लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र]

Ninth Session

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[Vol. XXXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20, शनिवार, 13 दिसम्बर, 1969/22 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 20, Saturday, December 13, 1969/Agrahayana 22, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
541	रांची क्षेत्र में आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों के बीच झगड़ा — Dispute between Adivasis and Non-Adivasis in Ranchi area	1
542	हिन्दी भाषी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा उप-कुलपतियों का सम्मेलन — Conference of Education Ministers and Vice-Chancellors of Hindi Speaking States...	2
543	अखिल भारतीय छात्र संघ तथा अखिल भारतीय युवक संघ द्वारा प्रदर्शन — Demonstration by all India Studends federation and All India Youth Federation ...	2
544	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन प्रयोगशालाओं में नियुक्तियों/शिकायतों संबंधी प्रश्नों का निपटारा करने के लिए समिति — Committee to deal with Appointments/ Complaints in Laboratories under CSIR	3
545	बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद — Bihar UP Border Dispute	3-4
546	काश्मीर को भारत संघ से पृथक करने की जनमत संग्रह मोर्चे की मांग — Demand for Cession of Kashmir from Indian Union by Plebiscite Front	4

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

547	अन्तर्देशीय पर्यटन का विकास	Promotion of Internal Tourism ...	4–5
548	भारत के संग्रहालयों के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में समिति	Committee Re: Working of Museums in India	5–6
549	नई दिल्ली में नेहरू विश्व-विद्यालय की स्थापना के कार्य में प्रगति	Progress made in setting up of Nehru University, New Delhi	6
550	चम्बल घाटी में डाकुओं का आतंक	Dacoits in Chambal Valley ...	6–7
551	नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के चित्र का प्रदर्शन	Displaying of Portraits of Netaji Subhas Chandra Bose in Nehru Museum, New Delhi	7
552	विदेशी छात्रों के शिक्षा शुल्क में ब्रिटिश सरकार द्वारा वृद्धि	Increase by U. K. Government in Tution Fees for Overseas Students	7–8
553	विभिन्न राज्यों में गोला बारूद इत्यादि के निर्माण में वृद्धि	Increase in the manufacture of explosives in various States	8
554	श्री हरिकृष्ण, संसद् सदस्य को डराने धमकाने के प्रयत्न	Attempts to intimidate Shri Hari Krishan, M. P.	9
555	कालेज छात्रों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण	Compulsory Military Training to College Students ...	9
556	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया के किरायों में वृद्धि	Fare raise by IAC and Air India ...	9–10
557	गोविन्द सागर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Govind Sagar as a Place of Tourist Interest	10
558	14 अगस्त, 1969 को श्रीनगर में पाकिस्तान दिवस का मनाया जाना	Pak. Day Celebrated in Srinagar on 14.8.1969	10–11

559	भारत-तिब्बत सीमा पर बसे हुए सीमा सुरक्षा दल के सैनिक	Border Security Force Personnel settled in Indo-Tibet Border	11
560	भारत में विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries in India	11–12
561	भारत में माओ के पोस्टर	Mao Posters in India	12
562	एयर इंडिया द्वारा जम्बो जेट विमानों की सप्लाई के लिये दिये गये क्रयादेशों में परिवर्तन	Revision of orders by Air India in respect of supply of Jumbo jects ...	12–13
563	अहमदाबाद के दंगों के बारे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा जारी किया गया परिपत्र	Circular issued by staff of Aligarh Muslim University on Ahmedabad riots .. –	13
564	बिहार में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कदाचार	Malpractices in University Examinations in Bihar	13–14
565	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में टाटा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय	Decision on the recommedation made by Tata Committee on International Airports ...	14
566	लोगों को हिन्दी सिखाने का वैज्ञानिक तरीका	Scientific method of teaching Hindi	14–15
567	अश्रु गैस का प्रभाव	Effect of Tear Gas ...	15
568	एयर इंडिया के विमानों के नामों का सरलीकरण/शुद्ध उच्चारण	Simplification/Correct Pronunciation of names of Air India's Aircrafts	15–16
569	असैनिक विमानन विकास कोष	Civil Aviation Development Fund ... –	16
570	नई दिल्ली स्थित नेहरू संग्रालय को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Nehru Museum, New Delhi ...	17

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता.प्र. सं./U.S.Q.Nos.

3601 प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने आत्म-हत्या का प्रयत्न — Attempt to commit suicide before P.M.'s residence 17–18

3602 केशोड़ हवाई अड्डे के धावन पथ की मरम्मत — Repairs of Runway at Keshod Airport ... 18

3604 दिल्ली विश्व विद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम — Correspondence Courses in Delhi University 18–19

3605 डा. धर्म तेजा पर भारत का बकाया धन — Amount owed by Dr. Dharma Teja 19–20

3606 भारत में होटल व्यवस्था के बारे में पश्चिम जर्मनी के एक विशेषज्ञ की राय — Opinion of a West German Expert on Hotel Management in India 20

3607 गया (बिहार) के निकट फाल्गू नदी पर पुल का टूटना — Collapse of bridge over river Phalgu near Gaya (Binar) 20–21

3608 मध्य प्रदेश में नये राज पथों का निर्माण — Construction of New Highways in Madhya Pradesh 21

3609 मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय — Central University in Madhya Pradesh 21 22

3610 मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों पर भोजन जलपान व्यवस्था — Catering arrangements at Tourist Centres in Madhya Pradesh 22

3611 भारत पर्यटन विकास निगम को विश्रामगृह का कब्जा दिया जाना — Handing over of Rest Houses to India Tourism Development Corporation ... 22

3612 मद्रास पत्तन न्यास तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बीच परामर्श सेवा सम्बन्धी करार — Agreement beween Madras Port Trust and Engineers India Ltd. regarding consultancy Services 22–24

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3613	मद्रास पत्तन न्यास और इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के बीच परामर्श सम्बन्धी सेवाओं के बारे में करार	Agreement between Madras Port Trust and Engineers India Ltd., regarding consultancy services	24–25
3614	मद्रास पत्तन न्यास तथा इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के बीच करार	Agreement between Madras Port Trust and Engineers India Ltd.	25–26
3615	जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर को मान्यता देना	Recognition to Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur	27
3616	ग्वालियर महाराज की आस्तियां	Gwalior Maharaja's Assets	27
3617	उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण	Compulsory military training for women in U. P.	28
3618	विदेशों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में पूल अधिकारियों के रूप में काम करना	Foreign qualified doctors working as pool officers under CSIR	28–29
3619	विदेश यात्राओं को जा रहे मंत्रियों द्वारा खरीदे गये उपहार	Gifts purchased by Ministers while going Abroad ...	29
3620	यात्राओं के दौरान मंत्रियों को प्राप्त उपहार तथा भेंट	Gifts and presents received by Ministers while on Foreign Tour ...	29–30
3621	मंत्रियों की परिलब्धियों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on perquisites of Ministers ..	30–31
3622	मंत्रिमंडल सचिव के सेवाकाल का बढ़ाया जाना	Extension granted to Cabinet Secretary	31
3623	मध्य प्रदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि	Increase in number of Tourists visiting Madhya Pradesh ...	31–32

3624	चलचित्र प्रदर्शन की समाप्ति पर राष्ट्र गान के प्रति स्वल्प सम्मान	Seant respect for National Anthem at the end of Film Shows ...	32
3625	बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers ...	32
3626	मध्य प्रदेश में डाकुओं का मारा जाना और उनकी गिरफ्तारी	Killing and capture of Docoits in Madhya Pradesh	33
3627	पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के फरीदपुर थाने में रखी गई डायनामाइट की छड़ियां	Dynamite sticks placed in Faridpur Police Station in Burdwan District, West Bengal ..	33
3628	पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश को नियत किये गये कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representation by the Staff allotted from Punjab to Himachal Pradesh ...	33–34
3629	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान भाड़े में वृद्धि	Increase in Air Fare by IAC	34
3630	कोयले तथा लिग्नाइट से संश्लिस्ट पेट्रोल निकालना	Extraction of Synthetic Petrol from Coal and Lignite by CSIR ..	34–35
3631	ग्रेड एक स्टेनोग्राफर योजना	Grade I Stenographer's Scheme ...	35
3632	छोटी सादरी स्वर्ण काण्ड के बारे में जांच	Inquiry into Chhoti Sadri Gold Scandal	35
3633	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा की रियायत	Leave Travel Concession to Central Government Employees	35–36
3634	जम्बो जेट विमानों को उतारने के लिये हवाई अड्डे	Airports for landing Jumbo Jets	36

3535	मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Visits by Ministers Abroad	36
3636	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार	Central Government Employees' right to strike	36–37
3639	एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सेवा निवृत हुए एक व्यक्ति की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति	Employment of a person as a Member of UPSC after retirement from a Central University ...	37
3640	बिहार लोक सेवा आयोग में एक सदस्य की नियुक्ति	Appointment of a member of Bihar Public Service Commission	37-38
3641	राष्ट्रीय एकता समिति की स्थायी समिति से बहिर्गमन	Walk-out from Standing Committee of National Integration Committee	38
3642	मोटर गाड़ियों की खरीद	Purchase of Vehicles	39
3643	संसद् भवन के निकट श्री रफी अहमद किदवई की मूर्ति लगाना	Statue of Shri Rafi Ahmed Kidwai near Parliament House ...	39
3645	मुजफ्फरपुर में एक सिनेमा घर पर बम फेंका जाना	Cinema in Muzaffarpur bombed	39–40
3646	मैसूर में विभाजन के लिए आन्दोलन	Agitation for Division of Mysor	40
3647	कोंकण पत्तनों के लिए यात्री किराये में वृद्धि	Rise in Passenger Fares for Konkan Ports	40
3648	भारत में शक्ति के हस्तांतरण के बारे में दस्तावेजों तथा पत्रों का प्रकाशन	Release of Documents/Papers regarding Transfer of Power in India ...	40–41
3649	अशोक होटल को और सुन्दर बनाना	Face lifting of Ashoka Hotel ...	41–42

3550	पर्यटकों, विमान समवायों और होटलों के मार्ग दर्शकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान	Institute for training of Guides for Tourists, Airlines and Hotels	42
3651	विदेशों में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार	Propagation of Hindi and other Indian Languages in Foreign Countries... ..	42–43
3652	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा माल ढोया जाना	Cargo Handled by IAC ...	43
3653	भारतीय भाषाओं की केन्द्रीय संस्था	Central Institute of Indian Languages	43-44
3654	मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा और गुना जिलों में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak Nationals living in Chindwara and Guna Districts of Madhya Pradesh	44
3655	मध्य प्रदेश के खंडवा, दुर्ग और ग्वालियर जिलों में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak Nationals living in Khandwa, Durg and Gwalior Districts of Madhya Pradesh ...	44–45
3656	मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक	Pak Nationals living in Ratlam District of Madhya Pradesh — ...	45
3657	मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak Nationals living in Sehore District of Madhya Pradesh	45–46
3658	अमरीकी प्रेजीडेंट निक्सन के भारत आगमन के समय नई दिल्ली में साउथ एवेन्यू में नारे लगाये जाने की घटना	Slogans raised in South Avenue, New Delhi at the time of President Nixon's visit to India	46
3659	मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak Nationals livings in Ujjain District of Madhya Pradesh — ...	46

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos. विषय Subject पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3660	बिहार में नये जिले बनाना	Formation of Districts in Bihar	47
3661	सचेतक बनाम आत्मा की आवाज पर मत के प्रश्न पर सचेतक सम्मेलन में हुई चर्चा	Question regarding whips versus concience votes discussed at Whips Conference ...	47
3662	हिमाचल प्रदेश में ड्राफ्टसमैनों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Draftsmen in Himachal Pradesh ...	47-48
3663	"धर्म बम्स" नामक पुस्तक पर प्रतिबन्ध	Ban on the Book known as 'Dharma Bums'	48
3664	कार्यालयों में कार्य का निपटारा	Disposals of work in offices	49-50
3665	सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	Representation of Minorities in Services	50
3666	दिल्ली विश्वविद्यालय के नान-टीचिंग कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तों का संहिताकरण	Condification of Service conditions of non-teaching staff in Delhi University	51
3667	कानपुर को पर्यटक स्थल बनाने की मांग	Demand for bringing Kanpur on Tourist map	51
3668	बैल्लूर मठ, कलकत्ता का संरक्षण	Protection of Bellur Math, Calcutta ...	52
3669	प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन	Reorganisation of Administrative Machinery	52
3670	नेहरू ब्रिगेड का बनाया जाना	Formation of Nehru Brigade ...	52-53
3671	दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Allegation against Delhi Police Officials ...	53–54
3672	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों तथा पत्तनों का पुनः नामकरण	Renaming of Islands and Ports in Andaman and Nicobar Group of Islands ...	54

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3673	लाल किला, दिल्ली में ध्वनि तथा प्रकाश कार्य-क्रम (सोन एट लुमियर) में परिवर्तन	Changes in Son-et lumiere Display at Red Fort, Delhi ...	54–55
3674	भारत में काम कर रहे अमरीकी प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित अध्ययन दोरे	Study Tours sponsored by US Foundation working in India	55–56
3675	सक्रिय सेवा में भारतीय सेवा अधिकारी तथा वार्धक्य आयु प्राप्त अधि-कारी	ICS Officers in Active Service and Super annuated officers ...	56
3676	कुछ विश्व विद्यालयों द्वारा प्राइवेट छात्रों के लिये एम. ए. तथा एल. एल. बी. पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन करना	Conducting of examinations in M.A. and LLB courses for private students by certain Universities ...	57
3677	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास	Development of Andaman and Nicobar Islands ...	57–58
3678	श्री काकुलम जिले में नक्सलवादियों के अड्डों का पता लगाना	Unearthing of Naxalite Hide out in Srikakulam District	58–59
3679	दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दूध के पाउडर की कथित बिक्री	Milk Powder allegedly disposed of by DMC employees	59
3680	सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये संस्कृत की शास्त्री उपाधि को मान्यता	Recognition of Shastri Degree in Sanskrit for purposes of appointment to Government Service	59–60
3681	यमुना नदी के घूघटा घाट पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge at Ghooghata Ghat on Jamuna	60
3682	होम गार्ड/सिविल डिफेंस में प्रशिक्षण	Training in Home Guards/Civil Defence	60–61

3683	केरल में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Kerala ...	61
3684	यात्रा एजेंटों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्ट्राचार की जांच	Checking of Unfair Practices indulged in by Travel Agents	61–62
3685	पर्यटकों के लिये मनोरंजन सुविधाओं के बारे में झा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations made by Jha Committee regarding entertainment facilities for tourists	62
3686	राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा के परियोजना प्रतिवेदनों तथा निबन्ध उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	Evaluation of Essay Answer Books and Project Reports on National Science Talent Search Examination	
3687	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष	Professors and Heads of Departments of National Council of Educational Research and Training	63-64
3688	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित भौतिकी, रसायन तथा गणित की पाठ्य-पुस्तकें	Text Books in Physics, Chemistry and Mathematics published by National Council of Educational Research and Training ...	64
3689	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती	Recruitment in National Council of Educational Research and Training	64
3690	इलैक्ट्रोनिक्स की शिक्षा	Education in Electronics	65
3691	चौथी पंचवर्षीय योजना में नौवहन सम्बन्धी आवश्यकतायें	Shipping requirements during Fourth Plan ..	65

3692 विश्वविद्यालयों, दिल्ली के कालेजों तथा दिल्ली विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले के बारे में एक समान शर्तें — Uniform Conditions regarding admission of Students in Universities and admission in Delhi Colleges and Delhi University ... 66

3693 नासिक के निफाद नगर में हरिजनों की हत्या — Murder of Harijans in Nifad Town of Nasik on 2–10 69. 66–67

3694 "अर्ली होमोनायड्स" के अनुसंधान के लिये चंडीगढ़ येल परियोजना के सम्बन्ध में करार — Agreement regarding 'Chandigarh-Yale Project for Research of early Homonoids 67

3695 सांताक्रुज हवाई अड्डे के निकट एक विमान-शाला (हेंगर) का निर्माण — Construction of a Hangar near Santa Cruz Airport 67–68

3696 दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद को समाप्त करना — Aboliton of Post of Assisant Lecturer in Delhi University 68

3697 शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया में ठेका श्रम प्रणाली की समाप्ति — Abolition of contract Labour System in Shipping Corporation of India 68

3698 कटिहार बिहार में प्रजासमाजवादी दल के सत्याग्राहियों पर लाठी चार्ज — Lathi charge on Praja Socialist Party's Satyagrahis in Katihar, Bihar ... 69

3699 सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा — Visit by Minister of Sate for Information and Broadcasting to Aligarh Muslim University 69

3700 विभिन्न मंत्रालयों में अनुवाद के लिये व्यवस्था — Arrangements for Translation in various Ministries ... 69–70

3701	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers working in Education Department of Delhi Administration ...	70
3702	ग्रेड चार के असिस्टेंटों की सिविल सूची	Civil list of Grade IV Assistants ...	70–71
3703	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालयों का संयुक्त संवर्ग	Joint Cadre of Ministries of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development	71
3704	अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Inland Water Transport ...	71
3705	दरभंगा जिले में छोटे हवाई अड्डों का विकास	Development of Smaller Airports in Darbhanga District	72
3706	दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा तम्बुओं में स्कूलों का चलाया जाना	Running of Schools in Tents by Delhi Administration	72-73
3707	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के लिये निदेशक सहायक निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Director/Asstt. Director for National Museum, New Delhi	73
3709	भारत तथा श्रीलंका के के बीच विमान सेवा	Air Service between India and Ceylon	73-74
3710	सरकारी क्षेत्र में नए होटलों की स्थापना	Setting up of new hotels in Public Sector ...	74
3711	भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार देने की योजना	Scheme for award of prizes, to authors writing books in Indian languages	74

3712	अन्तर्राष्ट्रीय होटल संघ का नई दिल्ली में हुआ सम्मेलन	Conference of International Hotel Association held in New Delhi ...	75
3713	चंडीगढ में एक मोटल का निर्माण	Construction of a Motel at Chandigarh ...	75–76
3714	बिहार में हरिजनों को भूमि का वितरण	Distribution of lands to Harijans in Bihar ...	76
3715	जम्मू तथा काश्मीर में सोपोर में दंगे	Riots in Soppore in Jammu and Kashmir ...	76
3716	युवकों में असन्तोष	Youth Unrest	76–77
3717	सेनाओं के विरुद्ध कार्यवाही	Measures against senas ..	77
3718	मनीपुर और त्रिपुरा के मुख्य आयुक्तों के पदों को उपराज्यपाल का दर्जा देना	Redesignation of Chief Commissioners of Manipur and Tripura as Lt. Governors	77–78
3719	अपराधों की रोकथाम	Prevention of Crimes	78
3720	दिल्ली में कारों और स्कूटरों की चोरियों में वृद्धि	Increase in thefts of Cars and Scooter in Delhi ...	70
3721	नई दिल्ली में पुराने किले की खुदाई	Excavations of Purana Qila in New Delhi ...	79
3722	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विनियम	Andaman and Nicobar Islands Regulation ...	80
3724	दिल्ली में व्यायाम प्रशिक्षण शिक्षकों के वेतनमानों का नियमित किया जाना	Regulation of Payscales for Physical Training Teachers in Delhi	80
3725	रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर (बिहार) को अनुदान	Grants to Ramakrishna Mission Vidyapith Deoghar, (Bihar)	80–81

3726	उत्तर लखमीपुर से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का वापिस बुलाया जाना	Recall of Central Reserve Police from North Lakhimpur	81
3727	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 का निर्माण	Construction of National Highway No. 12 ...	82
3728	निर्धनों तथा हरिजनों के लिए बिहार में खोले गये स्कूल	Schools opened in Bihar for the Poor and Harijans	82
3729	भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश का समितियों/ आयोग से सम्बद्ध होना	Former Chief Justices of India Associated with Committees/Commissions	81-83
3731	गैर सरकारी फर्मों का क्रय विक्रय	Sale and purchase of Planes to and from Private Parties	83
3732	नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पर खर्च	Money spent on Indian Institute of Technology New Delhi	84
3733	जैसलमेर हवाई अड्डा	Jaisalmer Airport	84
3734	विदेश जाने वाले मंत्रियों के लिए वेषभूषा सम्बन्धी विनियम	Dress regulations for Ministers going abroad	84-85
3735	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधियाचित बैठक के बारे में पालम हवाई अड्डे पर झंडों का दिखाया जाना	Display of banners at Palam Airport in connection with the requisitioned Meeting of AICC	85–86
3736	सफदरजंग हवाई अड्डे पर गोपनीय पत्रों का पकड़ा जाना	Seizure of Confidential Papers at Safdarjung Airport	86
3737	मणिपुर पुर के अनुसूचित जातिय क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना	Setting up of Educational Institutions in Scheduled Caste Areas of Manipur ...	86–87

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3738	धनवाद कोयला क्षेत्र के कोयला खान क्षेत्र के एक कार्यकर्ता की हत्या	Murder of colliery worker of Dhanbad Coal field	87
3739	आपराधिक विधि तथा समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों सम्बन्धी विचार गोष्ठी का प्रतिवेदन	Report of Seminar on Criminal Law and Contemporary Social Changes	87
3740	अन्दमान में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के लिये स्मारक	Memorials for freedom fighters in Andamans	88
3741	मृत्यु दण्ड को समाप्त करना	Abolition of Capital Punishment	88
3742	राज्यों के बीच सामान के लाने ले जाने पर लगाई जाने वाली चुंगी समाप्त करना	Abolition of Octroi Duty on Transportation of Inter State Goods	88 89
3743	बिहार में गंडक नदी पर पुल	Bridge over River Gandak in Bihyr	89
3744	मोतिहारी, चंपारन (बिहार) में बरसात के दिनों में यातायात बन्द होना।	Closure of Traffic during rainy days in Motihari-Champaran (Bihar) ...	89
3745	ग्रामीण लोगों के लिए संग्रहालयों की चलती फिरती प्रदर्शनियां	Mobile Exhibition of Museums for Rural People ...	89-90
3746	संसद् में विरोधी दलों के नेताओं के लिये सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of facilities to leaders of Opposition Parties in Parliament, ...	90
3747	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति	Promotion of Candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	90-91
3748	इंडियन एयर लाइन्स की क्षेत्रीय उड़ानों में घाटा	Regional Flights of IAC running at loss ...	91

3749	पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री द्वारा घेराव को एक बुराई के रूप में शामिल करने से इन्कार करना	Refusal of West Bengal Labour Minister to include Gherao as an evil	91
3750	बच्चों का अपहरण	Kidnapping of Children	92
3751	कलकत्ता से डिब्रुगढ़ जाने वाले रिवर स्टीम नवी-गेशन कम्पनी के स्टीमर	RSN Co.'s steamers operating from Calcutta to Dibrugarh ...	92–93
3752	ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं का अभाव	Lack of Road facilities in Rural Areas ...	93
3753	सिविल सेवा नियमों में परिवर्तन	Modification of Civil Service Rules ...	93-94
3754	अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय पटना के कर्म-चारी संघ की मांगें	Demands of Employees Union of Inland Water Transport Directorate, Patna	94
3755	राजनीतिज्ञों, अध्यापकों छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासनहीनता को समाप्त करना	Curbing of Indiscipline among Politicians, Teachers, Students and Workers	95
3756	दिल्ली में सरकारी बस्तियों में गुंडों का आतंक	Terror of Goandas in Government Colonies in Delhi	95
3757	सितम्बर, 1969 में बम्बई पत्तन के गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike of Dock Workers of Bombay Port in September, 1969	96
3758	गढ़वाल जिले में हवाई अड्डा	Airport in District Garhwal ..	96
3759	आनन्द मार्ग के धर्म चक्र पर आक्रमण	Attack on Anand Marg Dharmachakra ...	96-97
3760	मैसूर राज्य में हास्पेट में एक हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Aerodrome at Hospet in Mysore State	97

3761	मैसूर राज्य में संरक्षित स्मारक	Protected Monuments in Mysore State	98
3762	मलिमल्लेश्वर में अशोक के शिला लेखों तक पहुंचने के लिए प्रवेश मार्ग का निर्माण	Construction of approach roads leading to Ashoka/Incriptions at Malimalleswar ...	98
3763	बंगलौर में पांच स्टार वाले होटल के भवन का निर्माण	Construction of a five Star Hotel Building at Bangalore ...	99
3764	प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि	Increase in Salaries of Primary and Higher Secondary Teachers	99
3765	केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा (अपर डिवीजन ग्रेड) परीक्षा	Central Secretariat Clerical Services (U. D. Grade) Examination ...	99–100
3766	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भागलपुर (बिहार) की एक फर्म के कार्य की जांच	CBI Investigations into a Firm in Bhagalpur (Bihar) ...	100
3767	दिल्ली नगर निगम का कार्य काल	Term of Delhi Municipal Corporation	100-101
3768	पश्चिम बंगाल में चोरी छिपे लाये गये आग्नेय अस्त्र	Smuggled Fire Arms in West Bengal ..	101
3770	दिल्ली विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के अध्ययन के लिए एक केन्द्र की स्थापना	Establishment of a Centre for Japanese Studies in Delhi University ..	101–102
3771	अभिलेखागारों के बारे में कानून	Legislation on Archives	103
3772	नोवहन विकास निधि	Shipping Development Fund	103–104
3773	असम सड़क के निर्माण में प्रगति	Progress in Construction of Road to Assam ..	104–105

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3774	केरल में भारत विरोधी नारे	Anti-India Slogans in Kerala .	105
3775	दुर्गापुर गोली कांड	Durgapur Firing ..	105
3776	आनन्द मार्ग के साधुओं और सन्यासियों पर हमले	Attacks on Sadhus and Sanyasis of Anand Marg. ...	105–106
3777	पहलगांव तथा अमरनाथ के बीच एक सड़क का निर्माण	Construction of a Road between Phalgam and Amarnath ..	105
3778	लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र बनाने की मांग	Demand for Ladakh as Union Territory	106
3779	विमानों में उन्नतांशमापकों (अल्टीमीटरों) का लगाया जाना	Provision of Altimeter settings in Aircrafts...	106–107
3780	जर्मनलोक तंत्रात्मक गणराज्य से जहाज खरीदने का करार	Agreement for purchase of Ships from German Democratic Republic	107–108
3781	महानगरों में यातायात परिवहन के बारे में हुई विचार गोष्ठी की सिफारिशें	Recommendations of Seminar on Traffic Transportation in Metropolitan Cities ..	109
3782	प्राथमिक शिक्षा में समानता	Uniformity in Primary Education	109
3783	भारत में साक्षरता	Literacy in India	109–110
3784	पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पदों का आवंटन	Allocation of Posts of IAS and IPS to Punjab Haryana and Himachal Pradesh	110–111

3785	पालम हवाई अड्डे पर स्कूटर खड़े करने का शुल्क	Parking fee for Scooters at Palam Airport ...	111
3786	भूमि सम्बन्धी अशान्ति	Agrarian Unrest	111–112
3787	वर्तमान पर्यटन सुविधाओं में सुधार	Improvement in the Existing Tourist Facilities	112
3788	सोलिड स्टेट माइक्रो इलैक्ट्रोनिक्स फैराइट्स का देश में उत्पादन	Indigenous Production of Solid State Micro Electronics Ferrites	112–113
3789	बच्चों के लिये माध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम	Mid day meal programme for Children ...	113–114
3790	स्कूलों के प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमानों का संशोधन	Revision of Grades of School laboratory Assistants ...	114
3791	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग सम्बन्धी ज्ञापन	Memorandum demanding Ban on RSS ...	114–115
3792	संयुक्त राज्य अमरीका की सूचना सेवा के अधिकारियों की छात्र नेताओं के साथ भेंट	USIS Officials' meeting with Student Leaders	115
3793	ग्राम गीता का अनुवाद	Translation of Gram Geeta	115
3794	गृह–कल्याण केन्द्र	Grih Kalyan Kendra	115–115
3795	बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु तमिल नाडू की योजना	Tamilnadu Scheme for Employment Opportunities to Unemployed Engineers	118
3796	मनीपुर में सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तथा सेवा निवृत्ति सम्बन्धी लाभ	Pension and Retirement benefits to retiring Government Servants in Manipur... ...	118

अ.ता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
3797 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय	Delhi High Court's Judgement Reg. Joint Indian Administrative Service Cadre for Union Territories	119
3798 मनीपुर में राज्य गुप्तचर विभाग के पास से फाइलों का गुम होना	Loss of Files from Custody of State Intelligence in Manipur	119
3799 बिहार में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Spots in Bihar	119–120
3800 भारत और श्रीलंका के बीच नाव सेवा समाप्त करना	Suspension of Indo-Ceylon Ferry Service ...	120
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	121
नियम समिति	Rules Committee	122
कार्यवाही का सारांश	Minutes ...	122
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances	123
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	123
साक्ष्य	Evidence	123
सभा का कार्य	Business of the House	123
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापन के बारे में	Re. Introduction of Indian Tariff (Amendment) Bill	130
बिहार भूमि सुधार विधियां (खानों और खनिजों को को विनियमित करना)मान्यीकरण विधेयक	Bihar Land Reforms Laws (Regulating Mines and Minerals) Validation Bill ...	130
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	138

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	130
श्री फ. गो. सेन	Shri P. G. Sen	131
श्री रंगा	Shri Ranga — ...	132
श्री बृज भूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal	133
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	133
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh ...	134
श्री क. ना. तिवारी	Shri K. N. Tiwary ...	134
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	Shri Yashwant Singh Kushwah	135
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	136
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha — ...	136
श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh ...	137
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	142
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass — ...	142
कुछ दर्शकों द्वारा सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Contempt of House by Some Visitors	138
सभा के स्थगन के बारे में	Re. Adjournment of the House	142

लोक-सभा
LOK--SABHA

शनिवार, 13 दिसम्बर, 1969/22 अग्रहायण, 1891 (शक)
Saturday, December 13, 1969/Agrahayana 22, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* }

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Dispute between Adivasis and Non-Adivasis in Ranchi area

*541. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news-item published in the newspapers that there is fear of serious quarrel between the Adivasis and non-Adivasis in the Ranchi area owing to the fact that the land of Adivasis has been illegally occupied by the non-Adivasis;

(b) whether the attention of Government has also been invited to the fact that the office-bearers of the Chhota Nagpur Sewa Dal are exploiting the Adivasis and harassing them by committing illegal acts; and

(c) if so, the reaction of Central Government in regard thereto and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B Chavan) : (a) to (c) . Government are aware that an organisation known as 'Chhotanagpur Seva Dal' has been recently formed. No marked activity of the organisation has come to notice.

Government are seized of the socio-economic problems of the tribal areas and are taking suitable steps to tackle them on a priority basis.

Conference of Education Ministers and Vice-Chancellors of Hindi-Speaking States

*542. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken at the meeting of Education Ministers and Vice-Chancellors of Hindi-speaking States held in Chandigarh recently that Hindi should be made medium of instruction at all levels by 1973;

(b) if so, the reasons for fixing such a long period for this purpose;

(c) whether it is also a fact that such a situation has arisen because of the policies of University Grants Commission; and

(d) if so, whether any proposal for reconstituting the said Commission is under consideration of Government ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the meeting of the Coordination Committee of the Hindi-speaking States, which met on 7th November, 1969 at Chandigarh. This Committee reiterated the earlier recommendation of the Vice-Chancellors' Conference of Hindi-speaking States held at Varanasi on 1st and 2nd February, 1968 that attempts should be made to introduce Hindi as the medium of instruction in all faculties, including medicines, Engineering and Agriculture latest by July, 1973.

(b) The period of four years has been kept in view, because it was felt that books in Hindi at all levels in each discipline may be available by that time. Efforts are underway to produce books for some levels even by July, 1970 and July 1971.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

अखिल भारतीय छात्र संघ तथा अखिल भारतीय युवक संघ द्वारा प्रदर्शन

*543. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय छात्र संघ तथा अखिल भारतीय युवक संघ द्वारा 17 नवम्बर, 1969 को ससद भवन के निकट कोई प्रदर्शन किया गया था;

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसा ज्ञापन दिया गया था जिसमें बेरोजगारी प्रतिकर देने, छटनी तथा स्वचालित मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने, 18 वर्ष की आयु होने पर मतदान का अधिकार देने और खेती योग्य परती भूमि को भूमिहीन किसानों में वितरण करने की मांग की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2341/69]**

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन प्रयोगशालाओं में नियुक्तियों/शिकायतों सम्बन्धी प्रश्नों का निपटारा करने के लिये समिति

*544. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद् के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों तथा शिकायतों सम्बन्धी प्रश्नों का निपटारा करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारशें की थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) संघ लोक सेवा आयोग का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं की नियुक्तियों और शिकायतों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये उनके निपटारे के लिये कोई समिति स्थापित नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Bihar–U.P. Border Dispute

*545. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Janeshwar Misra :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the report of Trivedi Commission in respect of border disputes between Uttar Pradesh and Bihar has been fully implemented;

(b) in case it has not been implemented, whether Government are aware of the fact that thirteen persons were murdered in Narhi village of Ballia District in Uttar Pradesh on the border itself, because of delay in implementing the report;

(c) whether Government were already aware of the fact that both the Government of Bihar-where there is President's rule-and the Government of Uttar Pradesh want to keep the border dispute alive; and

(d) if so, the extent to which the Central Government are active on this issue ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) In order to give effect to Shri Trivedi's recommendations the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968 was enacted by Parliament in May 1968. Thereafter the demarcation of the fixed boundary as envisaged in the Act was carried out. The State Government who had to fix the boundry pillars had completed most of the work and the Government of India had proposed in consultation with the State Governments that the transfer of territories under the Act would be given effect from 1st October, 1969. However, by them some writ petitions were filed in the Patna High Court challenging the validity of the Act. These petitions were heard by the Division Bench of the Patna High Court from 24th to 28th November, 1969 and

the hearing will be resumed in that High Court on 12th December, 1969. Further action in pursuance of the Act has to await the decision of the High Court on these writ petitions.

(b) According to information received from the Government of U. P. and Bihar an incident of this nature did take place in an area lying on the Bihar side of the river Ganges.

(c) and (d) . Shri Trivedi's recommendations were accepted by both the State Governments and, as stated above, the law was enacted to give effect to these recommendations. So far as Government of India are aware, both the State Governments are anxious to end the border dispute as early as possible.

काश्मीर को भारत संघ से पृथक करने की जनमत संग्रह मोर्चे की मांग

*546. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री शारदा नन्द :

क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनमत संग्रह मोर्चा काश्मीर को भारत संघ से पृथक करने जैसी मांगों के समर्थन के लिये कार्य कर रहा है;

(ख) क्या ऐसे कार्यों को अवैध गतिविधि निरोध, अधिनयिम, 1967 के उपबन्धों के अन्तर्गत दाण्डिक अपराध माना जाता है: और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) . जनमत संग्रह मोर्चा जम्मू व काश्मीर राज्य के लोगों के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार की मांग करता रहा है। इस संगठन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना अब तक आवश्यक नहीं समझा गया है।

अन्तर्देशीय पर्यटन का विकास

*547. **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तर्देशीय पर्यटन का विकास करने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय पर्यटन का विकास करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . सरकार ने देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व को पूरी तरह स्वीकार किया है और उपलब्ध साधनों की सीमाओं के अन्दर रहते हुए, देशीय पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त, विदेशी पर्यटकों के लिये उपलब्ध सब सुविधायें देशीय पर्यटकों के लिये भी उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) . हम युवक होस्टलों की एक शृंखला का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिये चौथी योजना में 25 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त. होटल विकास ऋण निधि योजना के लाभ को मुख्य पर्यटन केन्द्रों पर एक तथा दो स्टार वाले होटलों को भी लागू करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

भारत के संग्रहालयों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में समिति

***548. श्री सीताराम केसरी :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में संग्रहालयों के कार्य संचालन की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार कर लेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां। भारत सरकार ने केवल केन्द्रीय संग्रहालयों, अर्थात केन्द्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद; और भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के कार्य के पुनरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की है।

(ख) ससिति का गठन निम्न प्रकार से है :—

(1)	डा० एम० एस० रन्धावा	अध्यक्ष
(2)	प्रो० नुरुल हसन, संसद सदस्य	सदस्य
(3)	डा० एच० डी० संकालिया	,,
(4)	डा० मोती चन्द्र	,,
(5)	डा० एस० टी० सत्यमूर्ति	,,
(6)	श्री बी० बी० लाल	सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय हैं:—

(1) तीनों केन्द्रीय संग्रहालयों के कार्य का पुनरीक्षण करना और उनके कार्य में सुधार लाने के लिए सिफारिशें करना तथा विशेषकर इन संग्रहालयों में सुरक्षा प्रबंधों को समुन्नत करने के लिए सुझाव देना; और

(2) संरक्षित पुरातत्व स्मारकों और स्थलों के वर्तमान सुरक्षा प्रबंधों का पुनरीक्षण करना और उनको सुदृढ़ करने के उपायों का सुझाव देना।

(ग) समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है। फिर भी, समिति से कहा गया है कि यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

नई दिल्ली में नेहरू बिश्वविद्यालय की स्थापना के कार्य में प्रगति

***549. श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) विश्वविद्यालय के प्रशासकीय विभाग पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) यह विश्वविद्यालय कब तक स्थापित हो जायेगा; और

(घ) इस विश्वविद्यालय की मुख्य विशेषतायें क्या होंगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ग). विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् और शैक्षणिक सलाहकार समिति ने कार्य करना शुरु कर दिया है। विश्वविद्यालय ने, इसी-अध्ययन संस्थान को, विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली संस्था के रूप में ले लिया है। विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन 14 नवम्बर, 1969 को हुआ था और इसका पहला दीक्षांत समारोह उसी दिन हुआ।

(ख) 1,45,352 रुपए (30-11-69 तक)।

(घ) इस विश्वविद्यालय की विशेषताएं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 के उपबन्धों में और इसकी पहली अनुसूची में दी गई हैं।

Dacoits in Chambal Valley

***550. Shri Ramavtar Sharma :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh are experiencing great difficulty for a very long period because of the panic created by the dacoits from the Chambal ravines consequent to which no industrial progress is taking place there;

(b) whether it is also a fact that many meetings have been held between the Police Officers of these three States and the representatives of the Central Government but the dacoit menace could not be completely wiped out;

(c) whether it is also a fact that the arms and ammunition recovered from these dacoits consist of the weapons of the Indian army and those of the Pakistani make; and

(d) if so, the steps taken by the Central Government in this regard during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) . The Governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh have brought to our notice the activities of dacoits in the Chambal Valley areas. Meetings of the Police Officers of these States are periodically held in which measures for coordinated policing of the dacoit infested areas are discussed. No representative of the Central Government has participated in these meetings.

(c) and (d) . The Government of Madhya Pradesh have reported that some arms and ammunition recovered from these dacoits consisted of the weapons of the Indian Army and those of Pakistani make. Suitable enquiries in such cases are made by the State Government and the Ministry of Defence.

नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र का प्रदर्शन

*551. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि श्री जवाहर लाल नेहरू के चित्र सहित अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं के फोटो तथा चित्र नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली के प्रदर्शन के लिए रखे गये हैं लेकिन नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की फोटो अथवा चित्र को उनमें शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नेताजी की फोटो को, विशेषकर पण्डित नेहरू की फोटो के साथ नेहरू संग्रहालय में रखा जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी छात्रों के शिक्षा शुल्क में ब्रिटिश सरकार द्वारा वृद्धि

*552. **श्री कं० हाल्दर** :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन की सरकार द्वारा विदेशी छात्रों का शिक्षा शुल्क अत्यधिक बढ़ा दिये जाने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार की इस कार्यवाही को एक वर्ग के लोगों द्वारा जातीयता के आधार पर किया गया गम्भीर भेदभाव माना गया है; और

(ग) यदि हां, तो यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत सरकार ने मामले पर विचार किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि फीस में बढ़ोतरी पूर्णतः ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों की घरेलू समस्या है और इसलिए, किसी कार्रवाई को आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई को जातीय आधार पर भेदभाव पूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ब्रिटेन में सभी विदेशी छात्रों पर जिनमें आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड; जर्मनी, ग्रीस, नार्वे, दक्षिण अफ्रीका, अमरीका के छात्र भी हैं. इसका प्रभाव पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न राज्यों में गोला-बारुद इत्यादि के निर्माण में वृद्धि

*553. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, केरल तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बमों तथा अन्य गोला-बारूद के बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ऐसी सामग्री के निर्माण को रोकने के सरकार के उपाय निरर्थक रहे हैं; तथा देश में बड़े पैमाने पर अराजकता बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार इस बारे में कुछ नए उपाय करेगी और यदि ऐसे कोई उपाय किये जाने हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब राजस्थान और नागालैंड सरकारों से प्राप्त सूचना का एक विवरण संलग्न है।

शेष राज्यों से सूचना प्रत्याशित है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

विवरण

राज्य का नाम	(क) क्या राज्यों में बमों के बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण में काफी वृद्धि हुई है ?	(ख) क्या इसे दबाने के प्रयत्न निरर्थक रहे हैं और अराजकता बढ़ रही है ?	(ग) इसके कारण और किये गये नये उपायों के ब्यौरे क्या हैं ?
गुजरात	जी नहीं	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता
हरियाणा	जी नहीं	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता
उड़ीसा	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता
पंजाब	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता
राजस्थान	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता
नागालैंड	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता

श्री हरि कृष्ण संसद् सदस्य को डराने धमकाने के प्रयत्न

*554. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री हरि कृष्ण, संसद् सदस्य ने उनसे शिकायत की है कि उनको (श्री हरि कृष्ण को) डराने धमकाने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) शिकायत की जांच की जा रही है ।

कालेज छात्रों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण

*555. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्रत्येक कालेज छात्र को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देने की वर्तमान योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2342/69]**

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के किरायों में वृद्धि

*556. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स अन्तर्देशीय विमान सेवाओं के किरायों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और उसने इसके लिए सरकार की स्वीकृति मांगी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब ब्रिटेन से भारत के लिये एयर इंडिया की विमान सेवाओं के किराये में 30 प्रतिशत कमी कर दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया की आय पर क्रमशः किरायों में वृद्धि और किरायों में कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका दोनों के यात्री यातायात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1 नवम्बर, 1969 से इंडियन एयरलाइन्स के यात्री किरायों में, आसाम क्षेत्र को छोड़कर जहां वृद्धि 5% तक सीमित रखी गयी, मुख्य भागों पर 8% की तथा अन्य सब भागों पर 7% की वृद्धि की गयी ।

(ख) भारत सरकार ने यात्रा प्रोत्साहन स्कीम का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है जिससे कि यू० के० में रहने वाले भारतीय उद्गम के लोग सरकार से, एयर इंडिया, बी0 ओ० ए० सी० की सेवाओं पर यात्रा करते समय, लन्दन से बम्बई तक लागू किराये पर लगभग 37% का बोनस प्राप्त कर सकेंगे।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के यात्री किरायों में वृद्धि से चालू वर्ष (1969–70) के दौरान लगभग 110 लाख रुपये की तथा 1970–71 के दौरान लगभग 250 लाख रुपये की उपलब्धि होगी। यातायात के प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

यह आशा की जाती है कि लन्दन–बम्बई सेक्टर पर एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। पहले वर्ष में एयर इंडिया की लगभग 1.29 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की आशा है, जिसके क्रमशः बढ़कर स्कीम के परिचालन के पांचवें वर्ष में 1.57 करोड़ रुपये तक हो जाने की आशा है।

गोविन्द सागर का पर्यटक केन्द्र में रूप में विकास

*557. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का दौरा किया था तथा स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और गोविन्द सागर के विकास के बारे में कुछ निर्णय किये थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों तथा निर्णयों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है : और

(ग) यदि सरकार का विचार गोविन्द सागर क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का है, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1970–71 में इसको कार्यान्वित करने के लिए कितना धन नियत किया जा रहा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . यह निर्णय किया गया था कि चण्डीगढ में एक परिवहन इकाई (यूनिट) स्थापित की जाये, भाखड़ा बांध पर एक अल्पाहार–गृह (कैफिटीरिया) चलाया जाये, गोविन्द सागर में उपयोग के लिये मोटर लांचों की व्यवस्था की जाये, तथा गोविन्द सागर में मछली पकड़ने, जल–क्रीड़ा आदि जैसी किस–किस प्रकार की अन्य पर्यटन सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये यह जानने के लिये एक सर्वेक्षण किया जाये। इन निर्णयों के क्रियान्वयन पर कार्यवाही की जा रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान गोविन्द सागर के विकास के लिये 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

14 अगस्त, 1969 को श्रीनगर में पाकिस्तान दिवस का मनाया जाना

*558. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 अगस्त, 1969 को श्रीनगर में पाकिस्तान दिवस सार्वजनिक रूप से मनाया गया और इस अवसर पर पुलिस सहित, हजारों लोगों के सामने रस्मी

तौर पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). जम्मू और कश्मीर सरकार ने बताया है कि 14 अगस्त, 1969 को श्रीनगर में स्थानीय कालेज के कुछ विद्यार्थियों ने कुछेक पटाखे छोड़े, राष्ट्रविरोधी नारे लगाये और हरे रंग के कपड़े के झण्डे को प्रदर्शित किया था। यह पाकिस्तानी झण्डा नहीं था। पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की और कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।

Border Security Force Personnel settled in Indo-Tibet Border

*559. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the percentage of the Indian national settled in the Indo-Tibet border from amongst the personnel of the Border Security Force deployed there; and

(b) the steps being taken to increase the said percentage in view of the fact that the said nationals are accustomed to live in the difficult terrain ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government do not have any information of any personnel of the Border Security Force having settled on the Indo-Tibetan border.

(b) Question does not arise.

Foreign Missionaries in India

*560. **Shri Kanwar Lal Gupta** : **Shri Ram Singh Ayarwal** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri K. Anirudhan** :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2760 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the names and addresses of such foreign missionaries against whom Government have received complaints during the last three years and whose activities Government considered to be suspicious;

(b) the details of the said complaints and names of the foreign Missionaries against whom Government have taken action;

(c) the amount of money received by the foreign missionaries from abroad during the last three years; and

(d) the names and addresses of those missionaries and churches which received aid of Rs. 10,000 or more from abroad during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) A statement is laid on the table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2343/69]**

(c) and (d) . There is no law requiring missionary institutions etc. to maintain and submit for scrutiny accounts of income received, and expenditure incurred, by them. However, information which it has been possible to collect in respect of the years 1965-67 has been sent to the Department of Parliamentary Affairs for being laid on the Table of the House in fulfilment of the assurance given in reply to unstarred question No. 3206 on the 9th August, 1968.

In this connection, attention is also invited to the statement made by the Home Minister in this House on the 14th May, 1969 in regard to the general question of the use of foreign money in the last general elections and other purposes. Government propose to bring forward a comprehensive legislation to impose suitable restrictions on receipt of funds from foreign organisations, agencies or individuals, otherwise than in the course of ordinary business transactions.

भारत में माओ के पोस्टर

***561. श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ भागों में गांधी जी के जन्म दिवस पर भी माओ के पोस्टर दिखाई दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है कि देश में देशद्रोह को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय प्रजातंत्र का लाभ न उठाया जाए ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . मैसूर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 4 अक्टूबर; 1969 को बंगलौर में जनरल पोस्ट आफिस की दीवारों पर, केन्द्रीय तारघर के सामने वाले बस अड्डों पर और इन्कम टैक्स आफिस के निकट अंग्रेजी में हस्तलिखित इश्तिहार लगे पाये गये जिनमें क्रान्तिकारी साम्यवादी प्रचार संबंधी नारे और माओ आदि के लिए अभिवादन थे । राज्य सरकार कुछ ऐसे उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखे हुए है जिन पर दिवार पर इन पोस्टरों के लागने के उत्तरदायित्व का सन्देह किया जाता है । आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, गोवा, दमन व दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमिन दीवी द्वीप समूह तथा मनीपुर में एसे कोई पोस्टर नहीं देखे गये हैं । शेष राज्यों से सूचना अभी आनी है ।

Revision of Orders by Air India in respect of Supply of Jumbo Jets.

***562. Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the orders placed by Air India for supply of Jumbo Jets are now being revised;

(b) whether it is also a fact that the planes for which orders are now being placed are costlier; and

(c) if so, the complete details in this regard and also the reasons for revising the earlier order ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) : Air-India has placed orders for three Boeing 747 (Jumbo Jets). The first two were initially ordered as basic 747 aircraft and the third as a 747 B, which is an advanced version Air-India have now converted the order for the first two aircraft also to the advanced version, namely 747B, asit has an additional range of approximately 800 nautical miles and elso an increased payload capacity upto 15,000 lbs. The increase in cost is $. 9,18,000 per aircraft.

मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा जारी किया गया परिपत्र

*563. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह–कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान "दि स्टेसमैन" समाचार पत्र के राजनीतिक संवाददाता के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो कि उस समाचार पत्र के दिनांक 10 अक्टूबर, 1969 के संस्करण में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें कहा गया है कि अहमदाबाद के दंगों के बारे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा जारी किये परिपत्र में इस्तेमाल की गई असंयत भाषा आंखें खोलने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परिपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि परिपत्र की भाषा असंयत है, तो इसे जारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . राज्य सरकार द्वारा परिपत्र की जांच की जा रही है ।

बिहार में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में कदाचार

*564. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 नवम्बर, 1969 के "हिन्दू" नामक समाचार पत्र में "विश्वविद्यालय परीक्षाओं में घोर कदाचार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें बिहार के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में कदाचारों के अनेक उदाहरण दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एक मामले में उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालयो को पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि स्कूल अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के संबंधी छात्रों के कदाचारों को सहन नहीं किया; और

(ग) क्या सरकार का भविष्य में परीक्षाओं में कदाचारों को समाप्त करने के लिए कठोर कार्यवाही करने का विचार है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ परामर्श करके, उपयुक्त कार्यवाही करनी होनी। केन्द्रीय सरकार इस मामले में जितनी सहायता कर सकती है, उतनी सहायता करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में टाटा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय

*565. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों संबंधी समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो निर्णय कब तक किये जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) . अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति की सिफारिशों में (क) चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित वर्तमान टर्मिनल भवनों में अन्तरिम परिवर्तन और (ख) 106.12 करोड़ रुपये की लागत से दीर्घ-कालिक विकास कार्यक्रम शामिल हैं। अन्तरिम परिवर्तनों से सम्बन्धित 265 लाख रुपये की लागत के निर्माण कार्यों के लिये सरकार की अनुमति जारी की जा चुकी है। जहां तक दीर्घ-कालिक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस प्रयोजन के लिये चौथी योजना में 50.45 करोड़ रुपये की राशि शामिल की गई है। दीर्घकालिक निर्माण कार्यों के लिये अब तक 333 लाख रुपये की अनुमति जारी की जा चुकी है, और अन्य सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है। सरकार ने चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्ध के लिये एक स्वायत्त निगम की स्थापना के बारे में समिति की सिफारिशें भी सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली हैं, तथा इस प्रयोजन के लिये विधान प्रस्तुत करने का प्रश्न विचाराधीन है।

लोगों को हिन्दी सिखाने का वैज्ञानिक तरीका

*566. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हिन्दी सिखाने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका निकालने की आवश्यकता का सुझाव दिया है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति लगभग 6 महीने की अवधि में हिन्दी सीख सके;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि लोग इतनी अवधि में रूसी भाषा सीख सकते हैं ?

(ग) यदि हां, तो यह कहां तक संभव है;

(घ) क्या विशेषज्ञों ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। शिक्षा मंत्री ने सुझाव दिया था कि शिक्षा और शिक्षण की प्रणाली के पाठ्यक्रम इस प्रकार के बनाये जाने चाहिए जिनके द्वारा छः से आठ महीने तक के समय में बुनियादी हिन्दी सीखना सुलभ हो सके।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण संस्थान, आगरा जो केन्द्रीय भारतीय-भाषा संस्थान के परामर्श से हिन्दी सिखाने की कार्यपद्धति का अनुसंधान करने में संलग्न है, एक योजना को अन्तिम रूप दे रहा है जिसमें हिन्दी भाषा के गहन शिक्षण की एक पद्धति के निर्माण की संभावना की परिकल्पना की गयी है ताकि सीखने वाला अल्प अवधि के भीतर भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए संस्थान द्वारा 12 सप्ताह का एक गहन पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है जिसका लक्ष्य भाषा में काम करने की योग्यता प्रदान करना है।

Effect of Tear Gas

***567. Shri P. L. Barupal :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the report of Pathology Department of the American Institute of Armed Forces to the effect that the effect of tear gas is so dangerous that it can even result in loss of eye-sight;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether Government propose to ban the use of tear-gas; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). A copy of the report of the Pathology Department of the American Institute of the Armed Forces is being obtained from the Government of U. S. A. However, the chemical agents used in the tear smoke shells etc. used in this country are well tested for their pathological effects and are known to have no permanent injurious effect on the human body; extensive tests in the laboratory and in field conditions are carried out before any tear gas material with new chemical agents are introduced in the police forces.

एयर इंडिया के विमानों के नामों का सरलीकरण/शुद्ध उच्चारण

***568. श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयर इंडिया के विमानों के नामों को, जो अधिक नहीं हैं, सरल बनाने की सम्भावना पर विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या घोषणाकर्ताओं को इन विमानों के नामों का ठीक उच्चारण करने की शिक्षा दी जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया ने अपने बोइंग विमानों के नाम हिमालय की सुप्रसिद्ध चोटियों के नामों पर रखे हैं। इन नामों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह पहले ही किया जा रहा है। तथापि, कारपोरेशन ने आदेश जारी कर दिये हैं कि इस मामले पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

असैनिक विमानन विकास कोष

*569. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री तेन्नेटी विश्वनाथन् :
श्री भगवान दास :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक विमानन विकास कोष स्थापित करने और उसे कायम रखने का उद्देश्य क्या है;

(ख) इस कोष में कुल कितनी राशि है;

(ग) क्या इस कोष से पिछड़े क्षेत्रों में हवाई अड्डों के विकास के लिए सहायता दी जायेगी; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अविलम्ब योजनायें हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उडडयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 8.12.1969 को 1,61,88,924 रुपये।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

(1) इंडियन एयर लाइन्स को उन अलाभप्रद मार्गों के परिचालन के लिये, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये, जिनका कि अन्यथा वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, परन्तु जिनका क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा पर्यटन की अभिवृद्धि के लिये परिचालन आवश्यक है;

(2) ऊपर (1) में निर्दिष्ट विमान-सेवाओं के परिचालन के लिये आवश्यक ऐसी हवाई पट्टियों के निर्माण तथा आनुषंगिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए जिनका कि नागर विमानन विभाग के सामान्य कार्यक्रम में समावेश नहीं किया जा सकता वित्तीय व्यवस्था करने के लिये;

(3) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपने वर्तमान विमान-बेड़े को बदलने अथवा उसमें वृद्धि करने के लिये (भारत में निर्मित) विमानों की खरीद के लिये उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये।

नई दिल्ली स्थित नेहरू संग्रहालय को अन्यत्र ले जाना

*570. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि विदेशी और भारतीय पर्यटकों को, तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित नेहरू संग्रहालय, जहां पास में कोई ऐतिहासिक स्मारक आदि नहीं है, देखने जाने में बहुत कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गांधीजी, नेहरू जी और शास्त्रीजी की समाधियों का एक दूसरे के पास होना दर्शकों के लिए बहुत सुविधाजनक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दर्शकों की सुविधा के लिये और तीन मूर्ति भवन की विशाल इमारत को कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिये गांधी स्मारक संग्रहालय पर एक और मंजील का निर्माण करने और नेहरू संग्रहालय को वहां ले जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार ने यह निर्णय किया है कि तीन मूर्ति भवन से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय को न हटाया जाय।

प्रधान मन्त्री के निवास स्थान के सामने आत्म-हत्या का प्रयत्न

3601. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1969 के हिन्दू में "प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा आत्म-हत्या का प्रयत्न" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि श्री एम० सेल्वानाथन ने, जो उक्त घटना में शामिल थे, इस आधार पर अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आवेदन पत्र दिया था कि उन्हें डर था कि कुछ गेगस्टर उनका जीवन लेने पर तुले थे जिनसे उसने अत्यधिक सोना पकड़ने में सीमा शुल्क प्राधिकारियों की सहायता कर शत्रुता मोल ली थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसको, प्राधिकारियों से कोई उत्तर नहीं मिला; और

(घ) क्या मामले की पूरी जांच कर ली गई है; यदि हां तो गिरोह को समाप्त करने तथा अपराधियों को दण्ड देने के बारे में की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई समाचार सरकार के ध्यान में नहीं आया है। किन्तु श्री के० सेल्वाराथन नामक एक व्यक्ति, जब वह 30-9-1969 को प्रधान मन्त्री की कोठी के स्वागत कार्यालय में प्रतीक्षा कर रहा था, किसी औषधि के प्रभाव में पाया गया। जांच-पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया।

(ख) दिल्ली पुलिस के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

केशोड हवाई अड्डे के धावन पथ की मरम्मत

3602. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 29 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5460 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केशोड हवाई अड्डे के धावन पथ की मरम्मत करने की दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और यह काम पूरा होने में कितना समय लगने का अनुमान है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (श्री डा० कर्णसिंह) : धावनपथ को 4500 फीट तक बढाने के कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है। इस कार्य को प्रारम्भ करने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिये जाने की आशा है। मुख्य धावनपथ की मरम्मत करने के लिए एक प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम

3604 **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातकोतर उपाधि की परीक्षा के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम से कितने छात्रों को लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) अन्य कौन-कौन से विश्वविद्यालयों ने स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधियों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं या पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने भी पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ किये हैं :—

1.	पंजाबी विश्वविद्यालय	पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, बी० ए०, ज्ञानी (पंजाबी में आनर्स)
2.	राजस्थान विश्वविद्यालय	बी० काम
3.	मेरठ विश्वविद्यालय	बी० ए०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, 1969–70 से बी० ए० और एम० ए० में डाक द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का, मैसूर विश्व-विद्यालय का एक प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।

डा० धर्म तेजा पर भारत का बकाया धन

3605. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० धर्म तेजा द्वारा इस समय भारत को कुल देय राशि का ब्यौरा क्या है,

(ख) उससे अभी तक वसूल की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसकी और बकाया राशि को कब और किस विधि से वसूल किया जायेगा; और

(घ) जब से सरकार ने जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन को अपने कब्जे में लिया है तब से उसे कुल कितना लाभ हुआ है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी के नये प्रबन्धकों ने भारत में तथा बाहर डा० तेजा से मिलने वाली रकमों के बारे में अदालतों में बहुत से सिविल दावे किये और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से 15.66 लाख रुपये और ब्याज के लिए और दूसरा बम्बई हाई कोर्ट से 82.92 लाख रुपये और ब्याज के लिए दो डिक्री पहले ही प्राप्त करली है। 31.04 लाख रुपये और 115.97 लाख रुपये के दो सिविल दावे बम्बई हाई कोर्ट में लंबित है। डा० तेजा के खिलाफ और सिविल दावे किये गये हैं और इन दावों के बारे में कानूनी राय ली जा रही है। डा० तेजा से मिलने वाली रकम का ज्ञान इन दावों के किये जाने और निर्णय होने पर मालूम होगा।

(ख) अभी तक निम्नलिखित रकम डा० तेजा से वसूल हो चुकी है :–

(1) स्टेट बैंक आफ इंडिया लंदन में डा० तेजा के साख के शेष धन से 310717–5–6 पौ०

और (2) भारत में उनके शेव्रोलेट कार की बिक्री से 46383.70 रु०

(ग) सिविल दावे में डिक्री प्राप्त करना ही एक तरीका है और तब जयन्ती शिपिंग कम्पनी में डा० तेजा के शेयरों को बेच कर लिया जाय। ये सब शेयर बम्बई हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन पहले ही कुर्क कर ली गई हैं। पहले ही प्राप्त दो डिक्रयों को पूरा करने के लिए इन शेयरों को बेचने का प्रस्ताव है। परन्तु कर वसूली अधिकारी, बम्बई ने भी इन शेयरों

को कुर्क किया है ताकि 1962–63 और 1963–64 के मूल्यांकन वर्षों से सम्बन्धित कुल 3,23,45,139 रुपये उनके आय कर के बकाये वसूल हो सके। कानूनी स्थिति यह है कि आयकर अधिकारियों का यह दावा शेयर के बेचे जाने पर जयन्ती शिपिंग कम्पनी के दावे की तुलना में पूर्ववर्तिता और प्राथमिकता लेगा।

(घ) कम्पनी की स्थिति सुधर गई है और उसे लाभ हो रहा है। परन्तु इस समय लाभ की रकम बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा कम्पनी के प्रबन्ध को अपने कब्जे में लेने की तारीख से लेखा कि अभी तक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

भारत में होटल व्यवस्था के बारे में पश्चिम जर्मनी के एक विशेषज्ञ की राय

3606. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारत में काम कर रहे होटल व्यवस्था तथा भोजन प्रौद्योगिक विशेषज्ञ पश्चिम जर्मनी के प्रोफेसर रेशफल ने, जो होटल व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यह शिकायत की है कि हमारे "होटल भारतीय होने की अपेक्षा अधिक पाश्चात्य हैं" और हमारे होटलों के में पाश्चात्य ढंग के मनोविनोद के साधन बहुत अधिक हैं;

(ख) क्या प्रोफेसर रेशफल ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेजी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(घ) गत दो वर्षों में कितने विदेशी होटल विशेषज्ञों को भारत में बुलाया गया है और हमारी होटल व्यवस्था के बारे में उन सबकी राय संक्षेप में क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) . हेडबर्ग, पश्चिम जर्मनी, के होटल प्रबन्ध संस्थान के प्रोफेसर रेचफैल सितम्बर, 1969 में भारत आये और सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उन्होंने राय व्यक्त की कि होटलों में अधिकतर सामान्य सज्जा और पर्यटकों के लिए खान–पान का प्रबन्ध ठेठ भारतीय शैली में होना चाहिए। उनकी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाने वाली है।

(घ) कोई भी अन्य होटल विशेषज्ञ सरकारी तौर पर भारत आमन्त्रित नहीं किये गये हैं, परन्तु एक विशेषज्ञ उस संयुक्त राष्ट्र दल में शामिल है जिसके कि शीघ्र ही भारत आने की आशा है।

गया (बिहार) के निकट फल्गू नदी पर पुल का टूटना

3607. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गया–मानपुर राष्ट्रपथ के समीप फाल्गू नदी के पुल के नवम्बर, 1969 के पहले सप्ताह में टूट जाने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या उनके सम्बन्धियों को जान तथा माल के लिए कोई मुआवजा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक प्रभावित परिवार को कितना-कितना मुआवजा कब दिया जा रहा है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) . अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभापटल पर रख दिया जायेगा ।

Construction of New Highways in Madhya Pradesh

3608. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to construct new highways in Madhya Pradesh;

(b) whether it is a fact that the old national highways in Madhya pradesh are not being repaired properly;

(c) if so, whether Government have under consideration any proposal to improve the condition of those national highways; and

(d) if not, the expenditure being incurred by Government thereon and its proportion to the expenditure incurred by other States ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Presumably the Member is referring to the question of new additions to the existing National Highway System in Madhya Pradesh. This matter is being examined in the light of the availability of funds.

(b) and (c) . Adequate repairs, within available funds are being carried out to the extent possible, Provision has also besn made in the 4th Five Year Plan for improvements to the existing National Highway System.

(d) Does not arise.

Central University in Madhya Pradesh

3609. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Central University in Madhya Pradesh;

(b) if so, the location thereof and the time by which the proposed university is likely to be set up; and

(c) if not, the reasons therefor and the names of the States in which Government have arleady set up such universities ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Education Commission has not favoured the setting up of Central Universities. As such, except for a proposal to set up a Central University to cater to the needs of the North Eastern Region, which is under consideration, there is no proposal to set up Central Universities elsewhere. Of the existing five Central Universities, two are in Uttar Pradesh, one in West Bengal and the other two in the Union Territory of Delhi.

Catering arrangements at Tourist Centres in Madhya Pradesh

3610. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether catering arrangements exist at all the Tourist Centres in Madhya Pradesh;

(b) if not, the names of those Tourist Centres where catering arrangements exist along with the names of those where the said arrangements have not been made, and whether Government propose to make such arrangements at the said centres; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) As far as our information goes, catering arrangements exist at all important tourist centres in Madhya Pradesh.

(b) and (c) . Do not arise.

Handing over of rest Houses to India Tourism Development Corporation

3611. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have handed over the Rest House, of the Public Works Department or other types of rest houses, to the India Tourism Development Corporation; and

(b) if so, the names of the places, the rest house of which have been handed over ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) . No, Sir. The Corporation, however, took over the management of three Tourist Bungalows at Khajuraho, Sanchi and Mandu on the 1st April 1967 from the Department of Tourism, Government of India, and their ownership was subsequently transferred to the Corporation on 1st January 1969.

मद्रास पतन न्यास तथा इन्जीनियर्ज इण्डिया के बीच परामर्श सेवा सम्बन्धी करार

3612. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल के लदान तथा उतारने के लिए मद्रास पत्तन न्यास तथा इन्जीनियर्ज इण्डिया लिमिटेड के बीच हुए परामर्श करार की भुगतान की शर्तें विशिष्ट खंड तथा अवधि क्या थीं;

(ख) क्या यह सच है कि उस करार की वैधता की अवधि समाप्त हो चुकी है;

(ग) यदि हां तो वैधता की अवधि को बढ़ाये बिना ही मद्रास पत्तन न्यास के अधिकारी द्वारा इन्जीनियर्ज इण्डिया की परामर्श सेवाओं का उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन्जीनियर्ज इण्डिया लिमिटेड ने फुटकर भत्ते (आऊट आफ पाकिट एलाऊंस) की राशि 5000 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रति मास करने के लिए कहा है;

(ङ) क्या यह सच है कि करार की कुल राशि लगभग 100000 रुपये है जिसमें से 40000 रुपये फुटकर भत्ता है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) . सलाहकार इंजीनियरों को दो व्यक्तिगत ठेकों के अंतर्गत जो सेवाएं सौंपी गई हैं उनके लिए पारिश्रमिक निम्न प्रकार हैं :—

(1)	परियोजना रिपोर्ट पर्ण अभिकल्प तैयार तथा प्रस्तुत करने तथा सेवाएं अभिग्रहण के लिए	निर्माण कार्य की लागत का 3 प्रतिशत
(2)	देशी उपकरण और समान के निरीक्षण निर्माण तथा उन्हें शीघ्र तैयार करने के लिए	निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत ।
(3)	संपूर्ण निर्माण कार्य के प्रबन्ध और निर्माण–पर्यवेक्षण के लिए	निर्माण कार्य की लागत का 2 प्रतिशत ।

सलाहकार इंजीनियर वेतन चिट्ठे जमा 100 प्रतिशत के समय आधार पर सम्बंधित अतिरिक्त भुगतान के पात्र हैं और इसके अलावा उस पर लगे खर्च जमा उस राशि का 15 प्रतिशत के भी हकदार हैं, यदि अधिकल्प में परिवर्तन अथवा आशोधन, स्थगित निर्माण कार्य को पुनः शुरू करने के कारण उत्पन्न अतिरिक्त कार्य और समझौते के बाहर के अतिरिक्त कार्यों के करने के लिए ।

सलाहकार इंजीनियर अपरिमार्जित सामान लादने की सुविधाओं और उत्पादन दलान सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क और जेब खर्च से बाहर के खर्च के भुगतान पात्र है और अतिरिक्त शुल्क तथा जेब खर्च से बाहर का खर्च किसी भी स्थिति में रेजिडेंट इन्जीनियर के ओवरस्टे के लिए क्रमशः 5000 रुपये और 10000 रुपये अधिक नहीं होंगे । जेब खर्च से बाहर के खर्च में वे खर्चे शामिल होंगे जो छपाई, रेखाचित्रों की खरीद, तार, टेलीफोन, केबल, यात्रा और होटल खर्च और विज्ञापन पर उचित तौर पर और वास्तव में किये गये हो ।

निर्यात सामान के मद्रास रिफाइनरीज से मद्रास पत्तन पर टैंकरों में और कच्चे तेल के आयात को मद्रास पर टैंकरों से नयी तेल गोदी पर मद्रास रिफाइनरीच में स्थानांतरित

करने के लिए पाइप लाइन वल्क ट्रांसफर की आधारभूत सुविधाएं निर्माण कार्यों के क्षेत्र में शामिल है। निर्माण कार्य के कुछ कार्यक्रम ठेके में निबन्धित होते हैं।

ठेके में रेजिडेंट इन्जीनियर के ओवरस्टे के लिए स्थगन और अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था है। अतः समझौते की मान्यता की समाप्ति का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि ठेके में सब आकस्मिक व्ययों की व्यवस्था है। अतः मान्यता की अवधि को आगे बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां। मैसर्स इन्जीनियर इण्डिया लिमिटेड ने मद्रास पत्तन न्यास से केवल शोधित उत्पादन की लदान के ठेके के लिए जेब खर्च से ऊपर के खर्च की अधिकतम राशि में संशोधन करने का अनुरोध किया है, क्योंकि कार्य की मात्रा में वृद्धि होने के कारण निर्माण कार्य की लागत ठेका करने की तारीख के निर्माण कार्य की तुलना में दुगनी हो गयी है।

(ङ) और (च) . समझौते का कुल मूल्य सम्पूर्ण निर्माण कार्य के समाप्त होने पर और निर्माण कार्यों के मूल्य के ज्ञात होने पर मालूम होगा क्योंकि पारिश्रमिक निर्माण कार्य के मूल्य के प्रतिशत के आधार पर देय है। प्रतिपूर्ति किये जाने वाली लागत भी सलाहकार इन्जीनियरों द्वारा पूरी सेवाएं अर्पित किये जाने के बाद ही ज्ञात होंगी।

मद्रास पत्तन न्यास और इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के बीच परामर्श सम्बन्धी सेवाओं के बारे में करार

3613. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड और मद्रास पत्तन न्यास के बीच कुल शुल्क के आधार पर तकनीकी परामर्श सम्बन्धी करार हुआ था;

(ख) क्या इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने मद्रास पत्तन न्यास मण्डल की पूर्व अनुमति लिए बिना और वर्तमान परामर्श करार में औपचारिक संशोधन किये जाने की प्रतीक्षा किये बिना ही तकनीकी परामर्श सम्बन्धी अतिरिक्त सेवाओं का काम आरम्भ कर दिया था;

(ग) क्या इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड कम्पनी लागत प्रतिपूर्ति आधार पर तथा कथित अतिरिक्त सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में लगभग एक लाख रुपये ले रही है जो दोनों पक्षों के बीच विद्यमान करार के उन खण्डों के अन्तर्गत है जो इन परिस्थितियों में और करार की अवधि के दौरान लागू नहीं होते;

(घ) क्या यह सच है कि इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड अतिरिक्त परामर्श सम्बन्धी सेवाओं के लिए धन ले रहा है वह अधिकतर फुटकर खर्चे में आता है;

(ङ) क्या यह सच है कि इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने जो मांगा है उसको मद्रास पत्तन न्यास ने देना स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं, इंजिनियर्स इण्डिया लिमिटेड और मद्रास पत्तन ट्रस्ट के बीच

तकनीकी परामर्श करार प्रतिशत के आधार पर देय शुल्क पर आधारित है और एक समान शुल्क के आधार पर नहीं।

(ख) मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड को अशोधित और शोधित चीजों को क्रमशः उतारने और चढ़ाने की अस्थाई सुविधाओं को शीघ्र दिये जाने के परिणामस्वरूप कार्य की मात्रा में वृद्धि हो गई। क्योंकि सिद्धान्त रूप से तत्काल अस्थाई सुविधाओं की व्यवस्था को स्वीकृत किया गया जो स्थायी सुविधाओं से निकटतम रूप से जुडी हुई थी। इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने अतिरिक्त कार्य पूरे किये। अस्थायी सुविधाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत दृढ़ कार्यक्रम बनाया गया था और उसे शीघ्र पूरा किया जाना था। चूंकि मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा पाइप योजना के लिए परामर्श सेवा प्रदान की जा रही थी, अतः इन अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भी मैसर्स इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा करार की सीमा के अन्तर्गत सेवाएं प्रदान की गई। उस समय यह सोचा गया कि प्रतिशत के आधार पर उन निर्माण कार्यों की सीमा के अन्तर्गत ये काम भी आ जायेंगे। तथापि मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने अतिरिक्त सेवाओं के अन्तर्गत इन सेवाओं के लिए दावा किया और इन धाराओं के अन्तर्गत भुगतान मांगा। चूंकि इस करार के अन्तर्गत निर्माण कार्यों व परिवर्तन आशोधन, स्थगन अथवा रद्द करना अतिरिक्त सेवाओं में शामिल थे, अत अतिरिक्त सेवाओं को निर्माण कार्य से बाहर ठेके में शामिल करने के आदेश दिये गये।

अगर यह भी समझ लिया जाय कि अतिरिक्त कार्य एक नया काम है तो ट्रस्ट इन कार्यों के लिए मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की सेवाएं प्रयुक्त करता क्योंकि वे पाइप लाइन कार्य के साथ सम्मिलित है और जिन्हें वे पहले ही कर रहे हैं। तथापि इसके लिए तब तक कोई भुगतान नहीं किया गया जब तक दिनांक 3-10-1969 तक पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं दी गई।

(ग) इन ठेकों में अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान भी शामिल है जो वेतन चिट्ठे और 100 प्रतिशत के समय आधार पर और इसके अलावा ऐसे खर्चे जो उस सम्बन्ध में किये गये हों और इस रकम पर 15 प्रतिशत की फीस पर संगठित किया जाता है। पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड की स्वीकृति के बाद यह राशि दे दी गई थी। इन अतिरिक्त सेवाओं पर कुल भुगतान का अनुमान 1.50 लाख रुपये का है।

(घ) से (च) . मद्रास पोर्ट ट्रस्ट इंजीनियर्स इण्डिया लि० का उनके साथ किये गये संविदा की शर्तों के अनुसार भुगतान कर रहा हैं।

मद्रास पत्तन न्यास तथा इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के बीच करार

3614. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन न्यास ने अपने तकनीकी परामर्शदान करार में अपनी ओर से निरीक्षण करने और कार्य को शीघ्र करवाने के लिए इन्जीनियर्स लिमिटेड की नियुक्ति की है;

(ख) क्या मद्रास पत्तन ने अपने द्वारा दिये जा रहे क्रयादेशों में इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को निरीक्षक, शीघ्र कार्य निष्पादनकर्ता नियुक्त किये जाने के बारे में औपचारिक रूप से कार्य उल्लेख नहीं किया है;

(ग) क्या मद्रास पत्तन न्यास ने लायड रजिस्टर आफ शिपिंग नामक एक गैर सरकारी कम्पनी को औपचारिक रूप से अपना निरीक्षक नियुक्त किया है;

(घ) क्या मद्रास पत्तन न्यास ने लायड रजिस्टर आफ शिपिंग की औपचारिक रूप से अपना निरीक्षक बनाते समय इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को भी अपने काम का निरीक्षक शीघ्र निर्ष्पादनकर्ता नियुक्त किया, परन्तु उनके द्वारा भेजे गये क्रयादेशों में इस बात का कोई औपचारिक संशोधन अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को कितनी हानि हुई है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) जी, हां ।

(ख) जहां कहीं भी निरीक्षण किया जाना है वहां मैसर्स इंजीनियर्स इन्डिया लिमिटेड या पत्तन न्यास के प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, क्रयादेशों में हवाले की व्यवस्था की जाती है । जहां तक शीघ्रता कराने का प्रश्न है क्रयादेश में कोई विशेष उल्लेख की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) मैसर्स इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सेवाओं में निरीक्षण और उसमें शीघ्रता कराना शामिल है और वे वेल्वु फेल्जेंज, पंप आदि जैसे विभिन्न आदेशों के बारे में वही कर रहे हैं । मैसर्स लायड्स का निरीक्षण मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को अच्छे किस्म के पाइप को देने के लिए पत्तन न्यास के आदेशों के बारे में ही माना गया, क्योंकि मैसर्स स्टील लिमिटेड ने निश्चित तारीखों को नियत करने में और मैसर्स इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व सूचना से निरीक्षण कराने में कठिनाई बतलाई । अतः मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने निरीक्षण में सुगमता है क्योंकि मैसर्स लायड्स की नियुक्ति का सुझाव दिया ताकि उनके संयन्त्र में प्रक्रिया कालीन निरीक्षण में सुगमता हो क्योंकि मैसर्स लायड्स भी सारे समय रूरकेला में उक्त परिस्थितियों में पत्तन न्यास ने मैसर्स लायड्स का निरीक्षण अच्छे किस्म के पाइप के देने के लिए केवल मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को दिये गये आदेश के बारे में माना गया ।

(घ) जी नहीं । लायड्स के पहले ही किये गये निरीक्षण के मामले में मै० इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा और निरीक्षण करने का प्रश्न नहीं उठता है । पाइपों की तुरन्त आवश्यकता होने की दृष्टि से मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को पाइप के प्रेषण में जल्दी कराने के लिए लगाया गया । ऐसे मामले में क्रयादेश में संशोधन या स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि वे केवल पत्तन न्यास की ओर से जल्दी कराते हैं, और कोई निरीक्षण नहीं किया गया ।

(ङ) मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को कोई हानि हुई है । इसका पत्तन न्यास को पता नहीं है ।

जवियर लेबर रिलेशन्स इन्स्टीट्यूट. जमशेदपुर को मान्यता देना

3615. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जेवियर लेबर रिलेशन्स इन्स्टीट्यूट, जमशेदपुर (बिहार) ने भारत सरकार से कभी इस बात का अनुरोध किया था उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जाये,

(ख) यदि हां, तो यह मामला अब किस स्थिति में है,

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने इस संस्थान को रांची विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने को कहा है, क्योंकि रांची विश्वविद्यालय की श्रम तथा समाज कल्याण की स्नातकोत्तर उपाधि को भारत सरकार ने 1968 में मान्यता दे दी है, और

(घ) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के रूप में इसे मान्यता देने से पहले सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस संस्थान को इस रूप में मान्यता न दी जाये क्योंकि यह संस्थान विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा चलाया जाता है और उसमें गैस–कैथोलिक कर्मचारियों तथा छात्रों के प्रति भेदभाव की नीति बरती जाती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) किसी संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय 'समझी जाने वाली' घोषित करने के प्रस्ताव सदा गुणों के आधार पर किये जाते हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो सलाह दी जाती है उसके आधार पर निर्णय किये जाते हैं।

Gwalior Maharaja's Assets

3616. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Maharaja of Gwalior and his family have jointly transferred the land and building of the Muharkar's Wada in Gwalior to the Scindia Devasthan Trust even though the property did not belong to the Maharaja of Gwalior.

(b) if so, the action taken by Government to divest the Maharaja of Gwalior or Scindia Devasthan Trust from the ownership of the said building and land and the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) . The Government of Madhya Pradesh have intimated that the property in question has been transfarred to the scindia Devastan Trust and that they are examining the question whether the property belongs to the Maharaja of Gwalior or not.

Compulsory Military Training for women in U. P.

3617. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that military training for women has been made compulsory in those districts of Uttar Pradesh which have not so far been declared border districts such as Pauri, Chamoli, Dehradun, Tehri, Almora, Pithoragarh, Nainital and Uttar Kashi Districts of Uttarkhand;

(b) if so, whether Government propose to declare all those Districts as border Districts;

(c) if so, whether the residents of these districts would be profited thereby; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) to (d) . Question does not arise.

विदेशों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में पूल अधिकारियों के रूप में काम करना

3618. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ डाक्टर जिन्होंने विदेशों से बड़ी बड़ी अर्हताएं प्राप्त कर रखी हैं, अभी तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन पूल अधिकारियों के रूप में काम कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पदों पर नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार पूल अधिकारियों के रूप में काम करने वाले डाक्टरों की संख्या कितनी है तथा उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विदेशों से विशेषज्ञता प्राप्त, 98 डाक्टर पहली नवम्बर, 1969 को वैज्ञानिक पूल में काम कर रहे थे।

(ख) जहां तक पूल का सम्बन्ध है, पूल के सभी अधिकारी किसी भी नियमित नियुक्ति के लिये आवेदन दे सकने में स्वतन्त्र हैं और उनसे ऐसा करने के लिये कहा जाता है। उनको नौकरी ढूंढने के लिये (ग) में बताये गये ब्यौरे के अनुसार सहायता भी प्रदान की जाती है। फिर भी, डाक्टरों के इच्छुक सभी संगठनों के भरती के अपने निजी ढंग और पद्धतियां हैं। इन पूल अधिकारियों को खपाना इन कार्य विधियों के आधार पर उनकी नियुक्ति पर ही निर्भर करती है।

(ग) 98, जैसा कि उपरोक्त (क) भाग में दर्शाया गया है । केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा उनको नियमित नौकरी ढूंढने में सहायता देने के लिये निम्नलिखित उपायों को प्रयुक्त किया जाता है :—

1. इन चिकित्सक वर्ग के व्यक्तियों के ब्यौरे केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के एक बेरोजगारी के चालू रजिस्टर में रखे जाते हैं और अधिसूचित रिक्त स्थानों के लिये निर्दिष्ट किये जाते हैं।

2. उनके नाम टैक्निकल मैनपॉवर बुलेटिन में भी नौकरी के लिये उपलब्ध व्यक्ति के तौर पर प्रकाशित किये जाते हैं और उन्हें सभी विश्व विद्यालयों, मैडिकल कालेजों औद्योगिक संगठनों तथा अन्य सम्भावित कर्मचारियों में परिचालित किया जाता है।

3. जिन चिकित्सा कर्मिकों की योग्यता और अनुभव उत्कृष्ट है, उनका नाम भी ऐसे संगठनों को विचारार्थ भेजा जाता है जिनकी ऐसे कार्मिकों में विशेष रुचि हो।

Gifts Purchased by Minister while going Abroad

3619. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of the Ministers who purchased gifts for presentation while going abroad during the last three years along with the total value thereof in each case;

(b) the total value of gifts received by them during those visits;

(c) whether Government have framed any rule fixing the limit of value of a gift which a Minister can purchase while going abroad and the manner in which he can utilize the gifts received by him; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Rama Swami): (a) and (b). As has been stated in the House on earlier occasions, the disclosure of information asked for would entail embarassing comparisons as between one friendly counruty and another and it would not be in the public intrest to disclose such details.

(c) and (d). No rule has been framed fixing the limit of the value of a gift which a Minister can purchase at Government expense while going abroad. The Code of Conduct for the Ministers contains a provision to the effect that a Minister should not accept valuable gifts except from close relatives and that he or members of his family should not accept any gifts at all from any person with whom he may have official dealings. Instructions also exist that when a Minister receives a gift during a tour abroad or from a foreign dignitary he may bring this to the notice of the prime Minister, indicating the approximate value of the gift. If its value is less than Rs. 450/- or if it is of a symbolic nature, it can be retained by the Minister. If however, there is doubt about the estimated value of the gift, the matter can be refferred to the Toshakhana for valuation. If the value is found to be within the prescribed limit of Rs. 450/- the gift will be returned to the Minister. If it exceeds Rs. 450/-, the recipient will have the option to purchase it from the Toshakhana by paying the difference between the value as assessed by the Toshakhana and Rs. 450/-.

Gifts and Present received by Ministers while on Foreign Tour

3620. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Home affairs be pleased to state :

(a) the names of the Ministers who received gifts and presents in foreign countries and in India during the last three years and the particulars of the gifts so received;

(b) the presents and gifts deposited by the Ministers in the Govenment treasury and the gifts and the presents retained by them and the names of those Ministers;

(c) the names of the Ministers who deposited the money in the Government treasury in lieu of these presents and the amount so deposited; and

(d) the names of the Ministers who have neither deposited the presents in the treasury nor have made payment in lieu thereof and the action being taken against them and the amount due from them to the Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Rama Swamy) : (a) to (d). As has been stated in the House on other occasions, the disclosure of information regarding gifts and presents received by Minister in foreign countries or from foreign dignitaries visiting India would entail embarrassin comparisons as between one friendly country and another and it would not be in the pnblic interest to disclose such details. The procedure for the disposal of such gifts and presents has been indicated in the reply to Unstarred Question No. 3619 answered today in the House. So far as the gifts from other persons are concerned, the Code of Conduct for the Ministers already provides that a Minister should not accept valuable gifts except from close relatives and that he or members of his family should not accept any gifts atall from person with whom he may have official dealings. The question of depositing such gifts in the Treasury of Toshakhana of making payment in lieu thereof, therefore, does dot arise.

Expenditure incurrsed on Perquisites of Ministers

3621. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred by Government on the maintenance of Government accomodation, salaries, allowances, tour expences and maintenance of cars of the Union Ministers during the financial years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 separately; and

(b) the estimated expenditure to be incurred on the above mentioned items during the financial year 1969-70 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Rama Swamy) : (a) and (b). The information in regard to the amount of expenditure incurred by the Government on maintenance of Government accommodation, salaries, allowances and tour expences of Union Ministers for the years 1966-67, 1967-68, 1968-69 and the estimated expenditure to be incurred on these items during the financial year 1969-70 is indicated in the attached statement.

The Ministers, while performing official duties, use staff cars belonging to Ministries. The staff cars are not specifically alloted to the Ministers.

Statement

Year	Maintenance of Government Accommodation	Salaries	Allowances	Tour Expenses
1966-67	10,64,306	13,10,075	1,14,027	14,07,629
1967-68	10,41 194	12,40.481	1,16,747	10,58,700
1968-69	11.74,381	12,98,161	99,064	20,56,236
1969-70 (Estimated Expenditure)	11,47,399	13,65,000	1,14,300	12,00,000

मंत्रि मण्डल सचिव के सेवा काल का बढ़ाया जाना

3622. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रि मण्डल सचिव का सेवाकाल जिन्हें नवम्बर, 1969 में सेवा निवृत होना था, बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका सेवाकाल बढ़ाने के क्या कारण हैं, जो इस परम्परा के विरुद्ध है कि देश में गम्भीर बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए किसी भी अधिकारी का सेवा काल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल उच्च अधिकारियों का ही सेवा काल बढ़ाया जाता है और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का नहीं, और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में अपना आदेश वापस लेने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) वर्तमान मंत्रिमंडल सचिव की सेवा में वृद्धि लोकहित में की गई है। यह कहना सही नहीं है कि वृद्धि प्रदान करने से किसी परम्परा का उल्लंघन हुआ है। विगत में भी जब कभी लोकहित में अपेक्षित हुआ, सेवा में वृद्धि प्रदान की गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। सेवा में अधिकारी की वृद्धि लोक हित में दी जाती है चाहे वह किसी श्रेणी का हो।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

Increase in Number of Tourists Visiting Madhya Pradesh

3623. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of tourists visiting places of tourist interest in Madhya Pradesh has gone up recently :

(b) if so the number of Indian and foreign tourists visit in Madhya Pradesh each year during the last three years ; and

(c) the amount of foreign exchange earned through foreign tourists visiting Madhya Pradesh during the above period ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c). The Department of Tourism does not maintain statistics showing the number of foreign tourists visiting individual States or places of tourist interest.

Scant respect for National Anthem at the end of Films Shows

3624. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Practice of paying due respect to the National Anthem at the end of film shows and A. I. R. Programmes is dwindlnig ;

(b) if so, whether Government propose to make necessary changes in this practice ; and

(c) the time by which a final decision would be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). Generally people stand up and observe proper decorum when the National Anthem is played in cinema houses. However, complaints were received form time to time of lapses in this mattter on the part of audiences. Some time ago the Minister for Information and Broadcasting had issued an appeal to the cinema exhibitors to ensure that proper decorum is maintained by the audiences when the National Anthem is played The State Governments were also requested to take appropriate measures in this behalf. The object of playing the National Anthem in cinema houses and the All India Radio is to remind the audience of the unity of our country and the people and there by, to foster the spirit of nationhood. It is, therefore, not proposed to make any change in this practice. Government, however hope that there will be fuller realisation among the audience that proper decorum should be maintained while the National Anthem is being played,

Unemployed Engineers

3625. Shri Narain Swarup Sharma Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5202 on the 3rd Aprial, 1969 and state :

(a) the details of the various development programmes included in the Fourth Five Year Plan to provide employment opportunities to the unemployed engineers ;

(b) whether Government propose to give unemployment allowance to all those unemployed engineers whose names are registered in the current registers of Employment Exchanges till the time they are provided with some suitable employment ; and

(c) if not, the time by which all the engineers in the country are likcly to be provided with employment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswami) : (a) Details are not yet available as the Fourth Five Year plan is still in the draft stage.

(b) No such proposal is under the consideration of Government.

(c) Fixation of such a time limit is not feasible.

Killing and Capture of Dacoits in Madhya Pradesh

3626. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Central Government have collected the statements from the State Government regarding the number of dacoits kiled and captured in the dacoit-infested areas of Madhya Pradesh during the last three years ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) . The requiste information is being obtained from Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt,

पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के फरीदपुर थाने में रखी गई डायना-माइट की छड़ियां

3627. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्दवान जिले में ग्रांड ट्रक रोड़ पर स्थित फरीदपुर पुलिस थाने में अक्तूबर, 1969 के अन्तिम सप्ताह और नवम्बर, 1969 के पहले भाग डायनामाइट की छड़ियां रखी पाई गई थीं ।

(ख) क्या इन छड़ियों में से एक छड़ी के समीप लाल पट्टी भी मिली है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकाला है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) . राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश को नियत किये गये कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

3628. श्री हेम राज : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सचिवालय से हिमाचल प्रदेश सचिवालय के लिए आवंटित 62 सचिवालय कर्मचारियों ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से अगस्त, 1969 में और उसके बाद सितम्बर में केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन भेजकर अनुरोध किया था कि उनके वेतनमानों और पदोन्नति के अवसरों के बारे में फैसला किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) . पंजाब सचिवालय के लिये आवंटित किये गये अनेक क्लर्कों से उनके निर्वाचित प्रतिनिधि के

द्वारा उनके पदों को हिमाचल प्रदेश सचिवालय के जूनियर क्लर्क के पदों के बराबर करने के विरुद्ध और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 के खंड (4) के अन्तर्गत गठित सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश किये गये पारस्परिक वरिष्ठता निश्चित करने के सूत्र को हटाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं। अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान भाड़े में वृद्धि

3629. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने 1 नवम्बर, 1969 से विमान भाड़ों में पुनः वृद्धि की है, और यदि हां, तो कितनी ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र को, जो तीन ओर से पूर्वी पाकिस्तान से घिरा हुआ है, देश के शेष भाग के साथ सम्पर्क के लिए मुख्यतया कलकत्ता-अगरतला विमान सेवाओं पर निर्भर करना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो इन बातों को तथा आदिवासियों वाले इस राज्य क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए कलकत्ता-अगरतला विमान सेवाओं को एक विशिष्ट मामले के रूप में, भाड़ों में की गई सामान्य वृद्धि से मुक्त कराने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर 'हां' में हो तो इस सम्बन्ध में सरकारने क्या निर्णय लिया है और यदि इस का उत्तर 'ना' में हो तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां। विमान भाड़ों में 1-11-1969 से निम्न प्रकार से वृद्धि कर दी गयी है:—

मुख्य मार्गों पर	8%
क्षेत्रीय मार्गों पर	7%
त्रिपुरा सहित पूर्वी मार्गों पर	5%

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए बहुत से अन्य मार्गों पर 8% तथा 7% के मुकाबले, उन सेक्टरों में जहां त्रिपुरा के लिए सेवायें परिचालित होती है भाड़े में वृद्धि को 5% तक सीमित रखा गया है।

कोयले तथा लिगनाइट से संश्लिष्ट पेट्रोल निकालना

3630. **श्री कृ० मा कौशिक :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री मीठालाल मीना : **श्री महेन्द्र माझी :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा (बिहार) के कोयले तथा (निबिल) लिगनाइट से संशिलष्ट पैट्रोल निकालने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) . केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान जीलगोरा में किए प्रयोगों में बिहार कोयले को उसकी अन्तर्निहित प्रकृति के कारण संश्लिष्टि तेल में परिवर्तन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

संस्थान में किए गए प्रयोगशाला प्रयोगों के, प्रत्यक्ष हाइड्रोजनीकरण द्वारा अथवा मैसी करण के जरिये फिशर ट्रोप्स संश्लेषण से निचेली लिग्नाइट को तेल में बदलने के उत्साहजनक परिणाम निकले हैं और आगे कार्य चल रहा है।

ग्रेड एक स्टेनोग्राफर योजना

3631. **श्री सी० के० चक्रपाणी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बन्धित मंत्रालयों के परस्पर विपरीत नीति निर्णयों के कारण ग्रेड एक स्टैनोग्राफर योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ; और

(ख) इस योजना को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छोटी सादरी स्वर्ण काण्ड के बारे में जांच

3632. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी-सादरी स्वर्ण काण्ड के माले में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस जांच के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) श्री गणपत लाल तथा अन्य द्वारा तथा कथित सोने के दुविधाओं के सम्बन्धित एक मुकदमा सिविल जज मजिस्ट्रेट उदयपुर के न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है। अपराधिक मुकदमें के लम्बन के दौरान कानून के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल करनी पड़ती है और इसमें समय लगता है।

(ग) यह न्यायालय में मुकदमें की प्रगति पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा की रियायत

3633. **श्री न० रा० देवधरे .**
श्री निहाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने घर (होम टाउन) जाने के लिये दो वर्ष में एक बार अवकाश यात्रा की रियायत दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन कर्मचारियों का घर ही वहीं है जहां वे काम करते हैं, उन्हें ऐसी कोई रियायत नहीं मिलती ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को ऐसी रियायत देने का है कि वे दो वर्ष में एक बार जहां चाहें जा सकते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) छुट्टी यात्रा रियायत की योजना का अभिप्राय सहकारी कर्मचारी को उसके मूल स्थान के अतिरिक्त किन्हीं अन्य स्थानों के यात्रा व्यय के लिए सहायता देना नहीं हैं ।

जम्बो जैट विमानों को उतारने के लिये हवाई अड्डे

3634. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्बो जैट विमानों के उतरने के लिये कहां-कहां हवाई अड्डे बनाये जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : जम्बो जेटों के लिये नये हवाई अड्डों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं की अभिवृद्धि की जा रही है ताकि उन्हें इन नये विमानों के परिचालन के योग्य बनाया जा सके ।

मन्त्रियों के विदेशों के दौरे

3635. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान मन्त्रिपरिषद् में ऐसा कोई मन्त्री, राज्य मन्त्री, अथवा उपमन्त्री है, जिसने अपने मन्त्रित्व काल में किसी भी बाहरी देश का दौरा नहीं किया और यदि हां, तो ऐसे मन्त्रियों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार

3636. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त देश के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संगठनों ने प्रधान मन्त्री से यह अपील की है कि हड़ताल करने का उनका अधिकार समाप्त नहीं किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या प्रधान मन्त्री इस मामले में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से और आगे बातचीत करेंगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Employment of a Person as a Member of U. P. S. C. after retirement from a Central University.

3639. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any Member of the Union Public Service Commission, who accepted membership of the Commission after his retirement from his old post in one of the Central Universities;

(b) whether a person, who is also keeping his lien in one or other form on some Government or semi-Government post, can become a Member of the said Commission under the rules; and

(c) in case any such person has accepted membership of the said Commission after serving all his connections in respect of his previous post, the date on which he served his connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) One Member joined the Commission after relinquishing his charge from a Central University.

(b) and (c). Under the existing rules, the lien of a Government servant whose pay is debitable to Civil Estimates in India and who is holding substantively a permanent post is terminated on his appointment as a Member of the Union Public Service Commission. It is presumed that the term "semi-Government post" refers to a post in a body incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government. If so, the position regarding retention of lien by a Member on a semi-Government post would depend on the rules framed by the body concerned in this regard subject to the provisions of the Constitution. Similarly a non-official person who prior to his appointment as a Member of the Commission was holding any post in a non-official or other autonomous body, can on his appointment to the commission & retain his lien in such non-official or autonomous body depending upon the rules of that body in this regard and subject to the provisions of the Constitution. The liens of four Members of the Commission who were formerly Government servants were terminated either on their retirement from Government service or on their appointment to the Commission which ever was earlier. One Member belonging to Armed Forces who joined the Commission on 3-2-1968 remained on deputation from the Army till he superannuated under the Army Rules on 16-6-1968. As regards the four non-official Members, two had no liens on their previous posts, one had retired from the post he was holding, and only one Member is retaining his lien on his previous post.

Appointment of a Member of Bihar Public Service Commission

3640. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Sradhakar Supakar :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have received memorandum or letters to the effect that political pressure was used in the appointment of a Member of the Bihar Public Service Commission;

(b) whether it is also a fact that a person who was suitable from every point of view and whose name had been duly recommended was not appointed as a Member; and

(c) if so, the persons who are mainly responsible for this ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Walk-out from Standing Committee of National Integration Committee

3641. **Shri Prakash Vir Shatri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether some Members of the Standing Committee of the National Integration Council walked out from its meeting held in Delhi recently;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the said Members had put up certain alternative proposal also; and

(d) if so, the reasons for which the Committee did not agree to these viewpoints ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). While the Standing Committee of the National Integration Council at its meeting on October 16, 1969 was considering adoption of the draft statement, one member withdrew from the meeting towards the end because certain amendments proposed by him were not acceptable to the Committee. A copy each of the statement finaley adopted and the list of amendments proposed by the member concerned is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2344/69]**

(d) The amendments were not accepted by the Standing Committee for the following reasons:-

(i) **Amendment No. 1** : The reference to 'the need for a common civil code for all citizens' was not considered relevant in relation to the statement which dealt primarily with immediate measures for restoring communal amity and harmony.

(ii) **Amendment No. 2 (a)** : This amendment was not accepted by the Committee as it would have faild to convey the Committee's intentions.

(iii) **Amendment No. 2 (b)**: The Standing Committee did not accept the amendment because it is not possible to define the 'mainstream' of national life in a nation where unity in diversity was the distinguishing feature and all talk about Indianising any minority community was in the Committee's view based on totally wrong premises.

मोटर गाड़ियों की खरीद

3642. श्री अब्दुल गनी दार : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष उनके मन्त्रालय द्वारा कितनी कारें, स्टेशन वेगन गाड़ियां, ट्रक तथा पुलिस गाड़ियां खरीदी गई तथा उनकी खरीद पर कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) इस अवधि में उनके मन्त्रालय के कितने अधिकारियों ने अपने इस्तेमाल के लिये कारें खरीदी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) गत तीन वर्षों में मुख्य मन्त्रालय के लिए कोई स्टेशन वैगन, ट्रक अथवा पुलिस गाड़ियां नहीं खरीदी गई थीं। स्टाफ कारों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है।

वर्ष	खरीद की गई कार की संख्या	खर्च की गई रकम
1967–68	1	19,405.67 रुपये
1968–69	1	50,586.63 रुपये
1969–70	2	38,832.00 रुपये
(ख) :		
1967	15	
1968	10	
1969	9	
	34	

संसद भवन के निकट श्री रफी अहमद किदवई की मूर्ति लगाना

3643. श्री अब्दुल गनी दार : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संसद भवन के निकट स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई की मूर्ति लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर में एक सिनेमा घर पर बम फेंका जाना

3645. श्री अब्दुल गनी दार : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर में एक सिनेमा घर पर 1969 में एक बम फेंका गया था, क्योंकि उसमें चीन के विरुद्ध एक चलचित्र दिखाया जा रहा था; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर के विभाजन के लिए आन्दोलन

3646. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसूर के असंतुष्ट कांग्रेसियों ने धमकी दी है कि यदि भूतपूर्व मैसूर राज्य में रहने वाले लोगों के प्रति आर्थिक विकास और रोजगार के मामले में कथित भेदभाव समाप्त करने के लिये तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो राज्य के विभाजन के लिये आन्दोलन आरम्भ कर दिया जायेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में छोटे राज्यों की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिये कोई आयोग नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को कोई ऐसी धमकी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोंकण पत्तनों के लिए यात्री किराये में वृद्धि

3647 श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोंकण पत्तनों के लिये यात्री किराये में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) . जी हां । 10 सितम्बर, सन् 1969 से 8 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि स्वीकृत कर दी गई क्योंकि वर्तमान दरें अपर्याप्त थी और कम्पनी घाटा उठा रही थी ।

भारत में शक्ति के हस्तांतरण के बारे में दस्तावेजों तथा पत्रों का प्रकाशन

3648. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की तत्कालीन सरकार ब्रिटेन सरकार से इस बात पर सहमत हो गई थी कि भारत में शक्ति हस्तांतरण सम्बन्धी सरकारी दस्तावेजों को सरकारी तौर पर वर्ष 1999 तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार भारत के तत्कालीन नेताओं के ब्रिटिश सरकार के बीच हुई बातचीत से सम्बन्धित दस्तावेजों, पत्रों, ज्ञापनों तथा सरकारी टिप्पणियों का ब्योरा देने वाला एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की सिफारिश के आधार पर विभाजन तथा शक्ति हस्तांतरण करने वाली घटनाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रकाशित करने का प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

अशोक होटल को और सुन्दर बनाना

3649. श्री एन० शिवप्पा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल को और सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केवल सुन्दरता को ही बढ़ाया जायेगा अथवा इसका उद्देश्य आवास का विस्तार करना अथवा होटल में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना है; और

(ग) होटल को और सुन्दर बनाने की योजना का मुख्य ब्योरा क्या है और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, हां । अशोक होटल्स लिमिटेड के निर्देशक मंडल ने अशोक होटल के कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों तथा उसकी मुख्य इमारत के दो मंजिलों (फ्लोरों) के नवीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है, क्योंकि 13 वर्ष पूर्व इसके निर्माण होने के समय से इसका कोई वृहत् नवीकरण नहीं किया गया था । वाणिज्यिक दृष्टि से अशोक होटल के बृहत् नवीकरण की आवश्यकता बहुत पहले महसूस की गयी थी और वर्तमान कार्य से इसकी सुन्दरता एवं लाभप्रदता में काफी सुधार होने की आशा है ।

नवीकरण की मुख्य बातें ये हैं:—

(i) सातवीं तथा आठवीं मंजिलों पर 126 कमरों का पूर्ण रूप से नवीकरण किया गया है ।

(ii) इन दोनों मंजिलों पर गोष्ठी कक्षों (लॉबियों) तथा बरामदों (कोरीडोरों) को अधिक अच्छी प्रकाश व्यवस्था और अधिक अच्छी छतों से दीप्तिमान बना दिया गया है ।

(iii) लांबी सहित मुख्य द्वार का पुनः डिज़ायन किया गया है ताकि वह क्षेत्र सीधा नवनिर्मित भू-दृश्य (लेंडस्केप) पर जाकर खुले।

(iv) वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्रों को अधिक वाणिज्यिक उपयोग (लाभ) प्राप्ति के लिये परिवर्तित कर दिया गया है। अधिकांश वर्तमान दुकानों का भी नवीकरण कर दिया गया है, वर्तमान डाइनिंग हाल तथा ग्रिल के स्थान पर तीन नये डिज़ायन किये हुए रेस्टोरेंट बनाये जा रहे हैं।

(v) कमरों में सेवाओं का सुधार करने के लिये, सब मंजिलों के लिये अतिरिक्त लिफ्टें लगाकर मुख्य किचन में एक केन्द्रीकृत कक्ष सेवा चालू की जा रही है।

पर्यटकों, विमान समवायों और होटलों के मार्ग दर्शकों के लिये प्रशिक्षण संस्थान

3650. श्री एन० शिवप्पा :
डा० प० मंडल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई सुझाव मिला है कि पर्यटकों, विमान समवायों और होटलों में मार्गदर्शकों के प्रशिक्षण के लिये सरकार द्वारा एक नियमित संस्थान अथवा कालेज स्थापित किया जाना चाहिए;

(ख) क्या सरकार इस बात की आवश्यकता का अनुभव करती है कि विदेशी पर्यटकों के प्रति ठीक ढंग का रवैया अपनाया जाए ताकि उनमें व्यवहार का विदेशियों पर स्थायी प्रभाव पड़े; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) सरकार ने पर्यटन विभाग में एक प्रशिक्षण कक्ष (ट्रेनिंग सेल) स्थापित किया है और वह एक नियमित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिये सक्रिय विचार कर रही हैं।

Propagation of Hindi and other Indian Languages in Foreign Countries

3651. Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the present position in regard to the work relating to the propagation of Hindi and other Indian languages in the foreign countries; and

(b) the action taken by Government so far in this regard and the details of the proposal made for the future in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). For the present this Ministry is continuing the appointment of three Hindi-cum-Cultural Lecturers in Surinam, Guyana and Trinidad respectively. It is also proposed to establish a library at Kathmandu (Nepal) during 1969-70, which will have a number of books and periodicals in Hindi and Sanskrit and will also have some books on Indology and Indian culture. The proposal for expanding the scheme for the propogation of Hindi in foreign countries from the next financial year is under discussion. Details are yet to be worked out.

The Indian council for Cultural Relations is maintaining one Professor of Indology at the University of Zagreb (Yugoslavia), who also teaches Hindi, one Professor at the University of Tehran (Iran) for teaching Sanskrit, one Professor at the University of Bucharest (Rumania) for teaching Hindi, and one Professor of Indian Studies at the University of Melbourne (Australia), who teaches Bengali, in addition to delivering lectures on Indian studies. The Council proposes to establish atleast ten Chairs of Indian Studies in the Universities of some foreign countries during the Fourth Five Year Plan. Out of these Chairs, three will be established in South East Asia, four in West Asia, two in Africa and one in South America. The Professors for these Chairs, who will be sent from India, apart from delivering lectures in Indian Studies, will be expected to teach some Indian languages also.

Cargo Handled by I. A. C.

3652. Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Airlines Corporation have carried fifteen thousand and twenty-three thousand tonnes of cargo during 1965-66 and 1968-69 respectively; and

(b) if so, the action taken so far and proposed to be taken in future to augment cargo capacity for handling the progressive increase in demand for more space ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Capacity for carriage of freight is being progressively increased by Indian Airlines by the acquisition of more aircraft and utilisation of capacity on Air-India services on some trunk routes.

Central Institute of Indian Languages

3653. Shri Yajna Dutt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the functions and procedure of Central Institute of Indian Languages, Mysore and the experience gained by it so far;

(b) whether its branches would be opened in other parts of the country also; and

(c) if so, when, and if not, the reasons thereof ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). The Government of India have recently established the Central Institute of Indian Languages at Mysore. The main purpose of the institute is to assist and coordinate the development of Indian Languages.

A major task of the Institute will be to identify the bonds of unity among different Indian languages in terms of history, vocabulary and literary and cultural themes and subject content.

The Institute would also undertake formulation of techniques for simplifying the teaching of indian languages, reducing the time element involved in learning different languages and preparing basic vocabularies for basic Tamil, basic Kannada, basic Hindi, basic Urdu etc.

The Institute will not only supplement the linguistic activities of the universities and State bodies, but will also provide the much needed agency of coordination to avoid wastage and duplication of effort. The Institute will initiate such inter-disciplinary programmes, which will require the cooperation of several universities, institutions and disciplines.

The Institute will also survey the major tribal languages, which have no script with a view to providing the script, to enable elementry education being imparted to the tribals in their own language and also for teaching the same to others, who come either in administrative or cultural contact with them.

As the Institute is still in its infancy and the required staff etc. is being appointed the question of gaining any experience at this stage does not arise.

The nature of activities as envisaged above does not call for establishment of branches in other parts of the country. The Institute will, however, establish field stations, wherever necessary for the survey of major tribal languages.

Pak Nationals living in Chhindwara and Guna Districts of Madhya Pradesh

3654. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2828 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the dates on which Pakistani nationals living stealthily in Chhindwara and Guna Districts of Madhya Pradesh respectively got themselves registered in these districts;

(b) the names of the persons concerned, the number of times they got the period of their visas extended and the period for which their visas were extended each time and in each case, separately; and

(c) the date on which the period of the last extension of their visas expired ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a)to(c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pak Nationals Living in Khandwa, Drug and Gwalior District of Madhya Pradesh

3655. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 2828 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the dates on which Pak Nationals at present living stealthily in the district of Khandwa, Durg and Gwalior in Madhya Pradesh got themselves registered in the respective Districts;

(b) the dates on which the period of extension of their visas finally expired;

(c) the number of times and the period for which their visas were extended each time; and

(d) the names of those persons who are living there stealthily ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Yidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक

3656. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री 8 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2828 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 56 पाकिस्तानी नागरिकों में से जो इस समय छिपे तौर पर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रह रहे हैं, प्रत्येक ने अपने आपको उस जिले में किस तारीख को पंजीकृत कराया था;

(ख) उनके पारपत्रों में भारत में ठहरने की जो अन्तिम वृद्धियां की गई थीं वे किस-किस तारीख को समाप्त हो गई थीं;

(ग) उनके पारपत्रों में भारत में ठहरने की वृद्धि कितनी बार बढ़ाई गई तथा प्रत्येक बार एवं प्रत्येक मामले में कितने-कितने समय के लिए बढ़ाई गई; और

(घ) इन पाकिस्तानी नागरिकों के नाम क्या है ।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Pak Nationals living in Sehore District of Madhya Pradesh

3657. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question. No 2828 on the 8th August, 1969, and state :

(a) the dates on which the five Pakistani nationals living stealthily in District Sehore of Madhya Pradesh got themselves registered in this district;

(b) the number of times these persons got the period of their visas extended and the period for which their visas were extended each time;

(c) the names of these persons; and

(d) whether Government propose to depute some special Police Staff to out these persons ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). The information in being collected and will be laid on the Table of the House.

Slogans Raised in South Avenue, New Delhi At the time of President Nixon's Visit to India

3658. Shri Bharat Singh Chauhan - Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bansh Narain Singh : Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

whether it is a fact that during the recent tour of President Nixon to India, some peasons had raised slogans while he was passing through South Avenue, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that Section 144 of the Criminal Procedure Code had been enforced in south Avenue area at that time; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information received from the Delhi Administration, a prohibitory order under section 144 of the Code of Criminal Procedure as in force in certain parts of the south Avenue area However, the place where the slogans were raised was not covered by the prohibitory order.

(c) Does not arise.

Pak Nationals living in Ujjain District of Madhya Pradesh

3659. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2828 on the 8 August 1969 and state :

(a) The dates on which 10 Pak. nationals who are at present living stealthily in Ujjain district in Madhya Pradesh, got themselves registered in that District;

(b) the date on which the period of their visas, last extended, expired;

(c) the names of the places they were authorised to visit in addition to Ujjain; and

(d) the names of these persons, who are living stealthily ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार में नए जिले बनाना

3660. श्री जि० मो० विस्वास : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में नए जिले और सब-डिवीजन बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने नए जिले और सब डिवीजन बनाये जायेंगे; और

(ग) राज्य में नये जिले और सब डिवीजन बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 6 नये जिले और 9 नये सब-डिवीजन बनाने का इरादा है। 21 नवम्बर, 1969 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 895 के उत्तर की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है।

(ग) सामान्य तथा विकासात्मक प्रशासन की दक्षता के हितों में जिलों और सब-डिवीजनों के पुनर्गठन के लिए एक पुरानी मांग रही है।

सचेतक बनाम आत्मा की आवाज पर मत के प्रश्न पर सचेतक सम्मेलन में हुई चर्चा

3661. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **संसद् कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मद्रास में हुए सचेतकों के सम्मेलन में हुए सचेतक बनाम आत्मा की आवाज पर मत के बारे में प्रश्न उठाया गया था और उस सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्य तत्सम्बन्धी संकल्प स्वीकार करने के पक्ष में थे; और

(ख) क्या यह सच है कि इस पर सर्वसम्मति होने के तर्क पर संकल्प पारित नहीं किया गया था ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सितम्बर 1969 में मद्रास के अन्दर हुए सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के कुछ प्रतिनिधियों ने आत्मा की आवाज के बहाने व किसी अन्य आधार पर मत देने की स्वतंत्रता के विरुद्ध संकल्प के लिये सूचनाएं दी थी। संकल्प की, जिस पर सम्मेलन की समितियों में से एक द्वारा विचार किया गया था, सम्मेलन द्वारा ग्रहीत करने की सिफारिश नहीं की गई।

(ख) क्योंकि प्रतिनिधियों द्वारा संकल्प की अनुमन्यता के विषय में विभिन्न मत प्रकट किये गये थे, सम्मेलन के सभापति ने इस पर विचार करने की अनुमति नहीं दी थी।

हिमाचल प्रदेश में ड्राफ्ट्समैनों की सेवा की शर्तें

3662. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश को दिये गए ड्राफ्ट्समैनों पर संयुक्त पंजाब के वे नियम लागू होने की व्यवस्था है जिनके अनुसार उनको सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और हिमाचल प्रदेश में पदोन्नति के लिये उनके मामलों पर विचार नहीं किया जाता;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट्समैनों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने के लिए, जो उनके पदोन्नति अवसरों को रोकने वाला हो, केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत अपेक्षित है;

(घ) यदि हां, तो क्या पुनर्गठन से प्रभावित अन्य राज्यों को भी इसी तरह की स्वीकृति दी गई थी; और

(ङ) क्या हिमाचल प्रदेश को दिए गए ड्राफ्ट्समैनों के लिए पदोन्नति के कोई नियम हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संयुक्त पंजाब सरकार में ड्राफ्ट्समैनों (डिवीजन) हैड ड्राफ्ट्समैनों (सर्किल) और सहायक इंजीनियरों के पदों पर क्रमशः पदोन्नति के लिये व्यवस्था है।

(ख) भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवंटित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवाशर्तों को नियोजित करने के लिये हिमाचल प्रदेश आवंटित सरकारी कर्मचारी (सेवा की शर्त) नियम 1968 में बनाये हैं। नियमों की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2345/69]**

(ग) और (घ). प्रश्न के पैरा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश में ड्राफ्ट्समैनों (डिवीजन), हैड ड्राफ्ट्समैनों (सर्किल) तथा योजना सहायकों के पद पर पदोन्नति के लिये विचार किया जाता है।

"धर्म बम्स" नामक पुस्तक पर प्रतिबन्ध

3663. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डा० अजिजुल अब्बासी विद्यार्थी द्वारा लिखित "धर्म बम्स" नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह पुस्तक भगवान राम और कृष्ण तथा प्रधानमंत्री के प्रति गन्दी गालियों से पूर्ण है; और

(ग) क्या सरकार इस पुस्तक के देश में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्।

(ग) उक्त पुस्तक की प्रत्येक प्रति को सरकार द्वारा जब्त करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-क के अधीन आदेश भी जारी कर दिये गये हैं। देश में इस पुस्तक के प्रवेश को रोकने के लिए हिदायतें भी जारी की गई हैं।

कार्यालयों में कार्य का निपटारा

3664. **श्री लोबो प्रभु :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी कर्मचारी के काम के वार्षिक अभिलेख में एक प्रविष्ठि न जोड़ने के क्या कारण हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि उसको नियत किये गए काम का उसने कितने प्रतिशत निपटारा किया है;

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की उस सिफारिश को न मानने के क्या कारण हैं, जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने द्वारा किये गये विशिष्ट कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत करे;

(ग) सेना की भांति सभी असैनिक कर्मचारियों का प्रतिवर्ष श्रेणीकरण न किये जाने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके श्रेणीकरण की बात उनको न बताई जाने के क्या कारण है; और

(घ) कर्मचारियों में अच्छा कार्य करने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और क्या उपाय किये जाते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). वर्तमान गोपनीय रिपोर्ट प्रपत्र में, उस सरकारी कर्मचारी को जिसके बारे में रिपोर्ट दी जाती है, उसको नियत काम के निपटान की गति के बारे में रिपोर्ट देने के लिये एक विशेष उपबन्ध है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें की हैं जिनमें एक सिफारिश वह है जिसका सदस्य महोदय ने जिक्र किया है। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) असैनिक कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के सम्बन्ध में उनका श्रेणी-करण करने की व्यवस्था है। जहां तक श्रेणीकरण को कर्मचारियों को बताने का सम्बन्ध है, सैनिक अधिकारियों के मामले में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उन्हें दिखाई जाती है और उन पर उनके हस्ताक्षर ले लिये जाते हैं। असैनिक पक्ष (साइड) में ऐसी प्रथा प्रचलित नहीं है, किन्तु जहां रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो वह प्रतिकूल टिप्पणी तथा सम्पूर्ण रिपोर्ट का सारांश सम्बन्धित अधिकारी को इसलिए सूचित किया जाता है कि अधिकारी प्रतिकूल टिप्पणी को सही रूप में देख सके। ये भी अनुदेश जारी किये गये हैं कि सम्बन्धित अधिकारी को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ऐसी टिप्पणी सूचित करने के अतिरिक्त, जो स्पष्टत: प्रतिकूल समझी जाती है, उन मामलों में जहां किसी अधिकारी के स्तर में उसके पिछले काम की तुलना में गिरावट आ जाती है जैसा कि उसकी वार्षिक रिपोर्ट से प्रतीत होता है, तो उस अधिकारी का ध्यान उक्त तथ्य की ओर विशेष रूप से दिलाया जाय ताकि वह अपने काम को सुधारने के लिये सतर्क हो सके। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये सम्बन्धित अधिकारी को, उस के उच्च अधिकारियों द्वारा लिखी गई गोपनीय रिपोर्ट दिखलाना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

(घ) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर पदोन्नति तथा अग्रिम वृद्धियां देने की योजना पहले से लागू है। अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में, यह तथ्य कि

प्रवरण पदों में पदोन्नति के मामले में विशिष्ट कार्य को ध्यान में रखा जायेगा, स्वयं अच्छे काम के लिये एक प्रोत्साहन है।

सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

3665. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने निम्न सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव रखा था. उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों से सेवाओं में इस समय तुलनात्मक रूप से अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता और कुल जनसंख्या में उनके अनुपात के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण कनारा के राजस्व प्रशासन में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल 1 प्रतिशत है, जबकि वहां उनकी जनसंख्या 9 प्रतिशत है; और

(घ) अल्पसंख्यकों को अनौपचारिक रूप से नियुक्तियों में कुछ आरक्षण देने के लिए निदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं, जिससे उनकी निराशा को दूर किया जा सके और राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य पूरा हो सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) यद्यपि राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा इस विषय पर कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया है तथापि सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान उठा था। इस विषय पर 19 मई, 1968 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया गया। गृह मन्त्री द्वारा यह बताया गया कि सेवाओं में किसी अल्प समुदाय को आरक्षण देने का विचार नहीं है। आवश्यकता इस बात को सुनिश्चित करने की है कि कतिपय अल्प समुदायों के प्रति कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है तथा अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उचित अवसर दिये जाते हैं। यह तय किया गया कि राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति का पुनरीक्षण किया जाय तथा सम्बन्धित सार्वधिक उपबन्धों के पालन के अधीन अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों की भर्ती में वृद्धि करने के सभी सम्भव उपाय किये जाएं।

(ख) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में सभी विभिन्न अल्प संख्यकों के नियोजन के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ समय पूर्व भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों से उनके अधीन मुसलमान तथा ईसाई कर्मचारियों के आंकड़े तथा राज्य सरकारों से मुसलमान कर्मचारियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना भेजने को कहा गया था। तीन केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में मुसलमान कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना 16 मई, 1969 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 9935 के उत्तर में दी गई थी।

(ग) इस मामले का सम्बन्ध मुख्यत: राज्य सरकारों से है, अत: गृह मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 16 के उपबंधों को देखते हुए, ऐसे कोई निदेश नहीं दिये जा सकते।

दिल्ली विश्वविद्यालय के नान-टीचिंग कर्मचारियों के लिये सेवा की शर्तों का संहिता-कारण

3666. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नान-टीचिंग कर्मचारियों के लिये संहिता-बद्ध सेवा शर्तें नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय के अनुचित रवैये के कारण विश्वविद्यालय के नान-टीचिंग कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न मामलों का बातचीत द्वारा समझौता कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारीवर्ग की सेवा शर्तों को जो फिलहाल लगभग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों के तदनुरूप निर्धारित की गयी हैं, अब संशोधित करके तथा अध्यादेश के रूप में संयुक्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। गैर शिक्षण कर्मचारीवर्ग के सदस्यों ने पहले कुछ अभ्यावेदन दिये थे और विश्वविद्यालय ने उन पर कार्रवाई की थी। विश्वविद्यालय ने ऐसी समस्याओं तथा मामलों की जांच करने के लिये एक कार्यकारी वर्ग भी नियुक्त किया था जिस पर गैर अध्यापन कर्मचारी वर्ग सम्बन्धी मामलों के बारे में ब्यौरे वार जांच पड़ताल तथा अध्ययन जरूरी प्रतीत होता है।

कानपुर को पर्यटक स्थल बनाने की मांग

3667. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर की विभिन्न संस्थाओं ने अनुरोध किया है कि कानपुर को पर्यटक-स्थल बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में समुचित विचार किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मुझे ऐसे किसी अनुरोध की जानकारी नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा किसी विशेष स्थान को 'पर्यटन के नक्शे पर लाने' (अर्थात् उसे पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करने) की कोई पद्धति नहीं है। हम केवल जहां कहीं उचित होता है पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करते हैं।

वेल्लूर मठ, कलकत्ता का संरक्षण

3668. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात का पता चला है कि पश्चिम बंगाल के कुछ राजनीतिक दल कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध वेल्लूर मठ को अपने अधिकार में लेने के लिये काफी प्रयत्न कर रहे हैं, और यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस मठ के संरक्षण के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर "हां" हों तो केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मठों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क). हावड़ा जिले में वेल्लूर मठ को किन्हीं राजनीतिक दलों द्वारा अधिकार में लेने के किन्हीं प्रयत्नों की राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन

3669. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में प्रशासनिक व्यवस्था का, जिसमें कि भारतीय सिविल सेवा के परंपरा निष्ठ तथा रूढ़िवादी अधिकारियों का प्रमुख है, पुनर्गठन करने तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील अधिकारियों का एक प्रशासनिक संदर्भ बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सन् 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग से, अन्य बातों के साथ साथ लोक प्रशासन को, सरकार की सामाजिक व आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने तथा विकास के सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का उपयुक्त साधन बनाने और इसे लोगों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देने की अपेक्षा की गई थी। आयोग ने सरकार को अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं जिनमें कर्मचारी प्रकाशन सम्बन्धी प्रतिवेदन भी सम्मिलित हैं। इन प्रतिवेदनों में की गई आयोग की कुछ सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार और कार्यान्वित की जा चुकी है तथा शेष सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। सरकार का आयोग की यथासम्भव अधिक से अधिक सिफारिशों को कार्यरूप देने का विचार है।

नेहरू ब्रिगेड का बनाया जाना

3670. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक नेहरू ब्रिगेड बनाये जाने की जानकारी है;

(ख) क्या इस ब्रिगेड के स्वयंसेवक वर्दी पहनेंगे और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ऐसी गैर-सरकारी सेवाओं के बनाये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार, सफेद कपड़े के बिल्ले, जिस पर "नेहरू ब्रिगेड" शब्द अंकित थे, और गांधी टोपी पहने स्वय सेवक 19-11-1969 और 22-11-69 को ध्यान में आये। सरकार के पास और कोई सूचना नहीं है कि क्या इस ब्रिगेड के स्वयं सेवक वर्दी पहनेंगे अथवा कोई प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(ग) गैर-सरकारी सेनाओं की गतिविधियों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण 25-7-1969 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 911 के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

3671. श्री रामावतार शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर ने 13 अगस्त, 1969 को उन्हे एक पत्र लिखा था, जिसकी प्रतियां सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी गई थीं और जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या इस पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ). एक पत्र दिनांक 13-8-1969 को भारत के प्रधान मन्त्री को सम्बोधित दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस-पेक्टर से प्राप्त हुआ जिसमें उसने सामान्य आरोप लगाये थे कि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते है। उसने यह भी लिखा था कि गांधी युग में दिल्ली पुलिस अधिकारियों के बीच सही विचारधारा लाने के उद्देश्य से वह 14 अगस्त 1969 से संसद भवन के सामने अनिश्चित काल के लिए भूख-हड़ताल करेगा। इस पत्र में दी हुई तारीख 13-8-69 को सब-इंस्पेक्टर शाहदरा मेंटल हास्पिटल के मेडिकल सुप-रिन्टेन्डेन्ट की सलाह पर डाक्टरी आधार पर मानसिक अवसाद के इलाज के लिये, जिससे वह पीड़ित था, छुट्टी पर था।

सब-इंस्पेक्टर ने 14-8-69 को संसद भवन के सामने दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हुए धरना दिया। चूंकि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की इस सलाह के बावजूद वह धरना देने से नहीं माना। अतः वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दोषारोपण का सामना कर रहा है।

जहां तक सब-इंस्पेक्टर के पत्र का सम्बन्ध है, क्योंकि आरोप सामान्य प्रकृति के थे, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों तथा पत्तनों का पुनः नामकरण

3672. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों तथा पत्तनों के नाम ब्रिटिश विजेताओं तथा शासकों के नामों पर रखे गये थे तथा अभी तक वही नाम जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे द्वीपों तथा पत्तनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे नाम भारत राष्ट्र के आत्मसम्मान के लिये अपमानजनक हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन द्वीपों तथा पत्तनों के नामों को भारतीय परम्परा के अनुसार रखा जायेगा तथा ऐसा करने में अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के नामों के साथ उन क्रांतिकारियों तथा शहीदों के नामों को भी जोड़ा जायेगा जो अन्दमान की सैलुलर काल कोठरी (जेल) में कैद रहे थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अनेक द्वीपों तथा पत्तनों के विदेशी-शब्दायमान नाम हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि ये सभी नाम ब्रिटिश लोगों के हैं । बहुत से नाम प्रत्यक्षतः निर्जीव पदार्थों के नाम हैं । ऐसे भी अनेक द्वीप हैं जिनका कोई नाम नहीं है ।

(ख). अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों के नामों की एक सूची अनुलग्नक I में संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2346/69**] । इस समय बहुत से द्वीपों का कोई नाम नहीं है । उत्तरोत्तर सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप द्वीपों की सूची में संशोधन हो सकता है । अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रमुख पत्तनों के नामों की सूची अनुलग्नक II में संलग्न है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की स्थानीय जनता वर्तमान नामों में किसी परिवर्तन का विरोध करती है ।

लाल-किला, दिल्ली में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम (सोन-एत-लुमियर) में परिवर्तन

3673. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किले, दिल्ली में दिखाये जाने वाले ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम में वचन दिये गये परिवर्तन कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं जबकि परिवर्तन करने का वचन वर्तमान संसद के प्रथय सत्र में दिया गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). नेताजी की वाणी, 'कदम कदम बढ़ाये जा' तथा 'वन्दे मातरम्' का समावेश करने की दृष्टि से ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन की लिपि (स्क्रिप्ट) का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस अवसर से लाभ उठा कर कुछ अन्य परिवर्तन भी किये जा रहे हैं। यह देरी कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हुई है, क्योंकि इस बात का निश्चय करने के लिये कि प्रदर्शन की सुचारुता में कोई कमी न आने पाय लिपि (स्क्रिप्ट) और उसके कलात्मक सृजन के बीच समन्वय को बड़ी सावधानी एवं सुपेशलता से निर्वाह करना पड़ता है।

भारत में काम कर रहे अमरीकी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रायोजित अध्ययन दौरे

3674. **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रहे प्रत्येक अमरीकी प्रतिष्ठान द्वारा प्रायोजित अध्ययन दौरों पर गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को बाहर भेजा गया था;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन देशों का दौरा किया;

(ग) किस एजेंसी अथवा किन एजेंसियों ने इन अध्ययन दौरों के लिये धन दिया;

(घ) अध्ययन दलों का आयोजन करने का वित्त पोषण कहां से होता है; और

(ङ) इन दौरों के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तीन प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, आंकड़े इस प्रकार हैं:—

	भारत में अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान	फोर्ड* प्रतिष्ठान	राकफैलर प्रतिष्ठान
1966–67	119	73	8
1967–68	96	128	2
1968–69	89	170	22

*सूचना 1966, 1967 और 1968 वर्षों की है।

(ख) ब्योरे सभा पटल पर रखे गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2347/69**]

(ग) और (घ). भारत में अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान यात्रा अनुदान पी० एल० 480 निधि, अमरीकी विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान/अमरीकी सरकार का डालर सहयोग फोर्ड फाउंडेशन :— दौरों का संचालन सीधे ही या तो प्रतिष्ठान द्वारा अथवा न्यूयार्क के अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा होता है। राकफेलर प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान के निजी साधन हैं।

(ङ) ऐसे अध्ययन दौरों से व्यक्तियों के अपने अपने क्षेत्रों में ज्ञान की सीमा का विस्तार करने में बेहुत मदद मिली है।

सक्रिय सेवा में भारतीय सेवा अधिकारी तथा वार्धक्य आयु प्राप्त अधिकारी

3675. **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० भोडक :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सिविल सेवा के कितने अधिकारी सक्रिय सेवा में हैं ;

(ख) सक्रिय सेवा में प्रत्येक अधिकारी का नाम और पद नाम क्या है ;

(ग) इनमें से कितने अधिकारी वार्धक्य-निवृत्ति आयु प्राप्त व्यक्ति है ;

(घ) वार्धक्य-निवृत्ति आयु प्राप्त प्रत्येक अधिकारी का नाम और पद नाम क्या है ; और

(ङ) पदोन्नति, वार्धक्य निवृत्ति इत्यादि के मामले में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस समय भारतीय सिविल सेवा के 128 अधिकारी अब भी सेवा में हैं जिनमें से 13 अधिकारियों का स्थानान्तरण भारतीय विदेश सेवा में किया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना अनुलग्नक I में दी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2348/69]**

(ग) और (घ) . वार्धक्य-निवृत्ति आयु प्राप्त भारतीय सिविल सेवा के उन अधिकारियों की सूची अनुलग्नक II में दी जाती है जिन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2348/69]**

(ङ) भारतीय सिविल सेवा के सभी अधिकारी अधि-समय मान के पदों पर आसीन हैं। वरियता का यथोचित ध्यान रखते हुए योग्यता पर आधारित वरण द्वारा उनकी आगे प्रोन्नति की जाती है। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के वार्धक्य-निवृतन को नियंत्रित करने वाले नियम सिविल सेवा विनियम 565 में निहित हैं जो इस प्रकार हैं :—

> "565 (क) भारत में उसके पहुँचने की तिथि से पैंतीस वर्ष की सेवा के पश्चात कोई अधिकारी, सिवाय विशेष कारणों से और राष्ट्रपति की स्वीकृति के, अपने पद पर नहीं बना रहेगा या किसी नये पद में नियुक्त नहीं किया जायेगा ; किन्तु यदि ऐसा अधिकारी अपने पद पर पांच वर्ष से कम रहा है तो उसे विशेष कारणों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति से उसके पद पर रहने की अनुमति तब तक दी जा सकती है जब तक कि वह पांच वर्ष के लिए अपने पद पर नहीं रह लेता है"

कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा प्राइवेट छात्रों के लिए एम० ए० तथा एल० एल० बी० पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन करना

3676. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि भारत में कुछ विश्वविद्यालयों (जैसा कि विक्रम विश्वविद्यालय) में प्राइवेट छात्रों को एम० ए० तथा एल० एल० बी० पाठ्यक्रमों की परीक्षायें लेने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या सरकार कुछ अन्य विश्वविद्यालयों को भी प्राइवेट छात्रों के लिए एम० ए० तथा एल० एल० बी० की परीक्षायें लेने की व्यवस्था करने की अनुमति देने का विचार कर रही है

(ग) यदि हां तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या है तथा किन-किन विषयों में एम० ए० पाठ्यक्रमों के आरम्भ किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उन परीक्षाओं की सूची दर्शाने वाला, जिनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्राइवेट तौर पर बैठने की अनुमति है, एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2349/69]**

(ख) विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय है और परीक्षाओं तथा पाठ्यक्रमों के मामले पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। अतः भारत सरकार द्वारा प्राइवेट छात्रों के लिये विश्वविद्यालयों की परीक्षायें करने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास

3677 **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न योजनाओं की अवधियों में अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि खर्च करने का विचार है ;

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नियत की गई राशि को पूरे तौर पर तथा ठीक प्रकार से उन प्रयोजना के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया जिनके लिए वह नियत की गई थी और उसका इस्तेमाल अन्य प्रयोजनों के लिये किया गया था जिसके कारण प्रगति की दर धीमी पड़ गई ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

	योजना अवधि	स्वीकृत लागत (रुपये लाखों में)	वास्तविक व्यय
(i)	प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	328.80	82.50
(ii)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	603.14	364.87
(iii)	तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	979.32	636.20
(iv)	वार्षिक योजना (1966–67)	158.31	105.79
(v)	वार्षिक योजना (1967–68)	278.39	125.44
(vi)	वार्षिक योजना (1968–69)	251.00	211.96
(vii)	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	1100.36	—

(ग) और (घ). तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना व्यय में कमी के मुख्य कारण विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां थीं जिसके परिणाम स्वरूप दो मुख्य भूमि-द्वीप जहाज इत्यादि का प्राप्त नहीं किया जा सकना, बस्तियां बसाने की योजना का स्थगत, जनता से कम सहयोग के कारण आवास योजनाओं का आंशिक कार्यान्वयन, तकनीकी कर्मचारियों तथा उपयुक्त ठेकेदारों का उपबन्ध न होना तथा आदमियों और सामग्री को एक द्वीप से दूसरे द्वीप को ले जाने में परिवहन की कठिनाइयां हुई, और योजना के धन को अन्य प्रयोजनों के लिये काम में लाने के कारण नहीं हुई। द्वीप समूह के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से चौथी योजना में परिवहन तथा संचार के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसमें एक द्वीप से दूसरे द्वीप तथा मुख्य भूमि द्वीप सेवाओं के लिए जहाजों को प्राप्त करना, सड़कों, घाटों का निर्माण आदि शामिल है। ग्रेट अन्दमान द्वीप समूह के मुख्य द्वीपों को जोड़ने के लिये अन्दमान ट्रन्क रोड बनाने का भी विचार है ताकि एक द्वीप से दूसरे द्वीप को आदमी तथा सामग्री ले जाने में सुविधा हो।

श्री काकुलम जिले में नक्सलवादियों के अड्डों का पता लगाना

3678. श्री हरदयाल देवगुण : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने श्री काकुलम जिले में पौडारा गांव में जांच पड़ताल की कार्यवाहियां करते हुए नक्सलवादियों के ऐसे अड्डों का जहां शस्त्रास्त्र बनाये जाते हैं, पता लगाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने बड़े परिमाण में बन्दूकें, देसी बम, बारूद तथा बम बनाने में काम आने वाले विस्फोटक पदार्थ और अन्य उपकरण पकड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने नक्सलवादियों के घृणित इरादों को असफल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस ने तीन बन्दूकें, दो देसी बम, थोड़ा-सा बारूद, विस्फोटक पदार्थ आदि पकड़े ।

(ग) श्री काकुलम, खम्मम, करीमनगर और वारंगल जिलों के कुछ क्षेत्रों को आन्ध्र प्रदेश दंगा-दमन अधिनियम, 1948 के अधीन अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । आन्ध्र प्रदेश पुलिस तथा केन्द्रीय रक्षित पुलिस की शक्तिशाली टुकड़ियों को उग्रवादियों की गति-विधियों से निपटने के लिए उस क्षेत्र में नियुक्त किया गया है । राज्य सरकार भी पड़ौसी राज्यों के साथ कार्यवाही को समन्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

Milk Powder allegedly disposed of by D. M. C. Employees

3679. Shri Molahu Prasad :
Shri J. K. Choudhury :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Bureau of Investigation has been investigating the case of selling in the market 90,000 pounds of Milk powder by some employees which was donated by one of the Social organisations for the poor Children of Delhi Municipal Corporation Schools ;

(b) if so whether Government have received the enquiry report of the Bureau : and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Minisiry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes Sir.

(b) No, Sir.

(c) The matter was at first investigated by the Vigilance Department of the Delhi Municipal Corporation and is now under investigation of the Central Bureau of Investigation.

Recognition of Shastri Degree in Sanskrit for purposes of appointment to Government Service

3680. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have recognised the Shastri Drgree in Sanskrit for purposes of appointment to Government services ; and

(b) if so, the details thereof and whether the State Gevernments have also recognised the said Degree for services under State Governments ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) . The Government of India have recognised Shastri (with English) of the Varanaseva Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, as equivalent to B. A. for the purpose of employment under the Central Government.

The Government of Uttar Pradesh have also similarly recognised the above degree as equivament to B. A., for recruitment to their own services.

As far as the Government of Bihar is concerned, they have granted recognition to Shastri (with English) of the Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyaeaya or of the former Bihar Sanskrit Association as equivalent to I. A. or B. A. (Part I), for purposes of employment under State Government.

Construction of Bridge at Ghooghata Ghat on Jamuna

3681. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that survey work in respect of the Inter State bridge (benefiting Madhya Pradesh and Uttar Pradesh) at Ghooghata Ghat on Jamuna river has been completed ;

(b) whether it is also a fact that the police of both the States is finding itself unable to overcome the decoits in this decoit infested area in the absence of the said bridge ;

(c) whether it is also a fact that this inter-State area is not being developed because of lack of means of communication ; and

(d) whether Government will include in the Fourth Five Year Plan the proposal of conetrurting this bridge in order to develop this area ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh). (a) to (c). The required informatin is being collected from the State Governments of Uttar Pradesh and Madhya Predesh and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(b) In view of the recent decision of Planning Commission to provide Central assistance in the form of loan for interstate roads, the views of the Madhya Pradesh State Government are being sought in the matter as their eareier request was only for a grant in aid.

होम गार्ड सिविल डिफेंस में प्रशिक्षण

3682. श्री क० अनिरुद्धन : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को होम गार्ड/सिविल प्रतिरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विशिष्ट कार्यक्रम है ; और

(ग) इस संवर्ग के लिए भर्ती का तरीका क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) होमगार्डों तथा नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और प्रशिक्षण का कोई वार्षिक कोटा नियत नहीं है और न ही ऐसा करना सम्भव है। 30 सितम्बर, 1969 को प्रशिक्षित होम गार्डों तथा नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की संख्या इस प्रकार थी।

होमगार्ड	—	5,21,063
नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक		1,82,132

(ख) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार कुल 5,99,526 प्रशिक्षित होमगार्डों तथा 4,41,400 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को रखने का विचार है। प्रत्येक राज्य में नगर, जिला तथा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज, नागपुर में उच्च प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(ग) होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी संगठन हैं जो सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। जो व्यक्ति होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा अधिनियमों, नियमों और विनियमों में निर्धारित आयु, शारीरिक उपयुक्तता आदि की शर्तों को पूरा करते हैं, भर्ती के लिए पात्र हैं।

केरल में पर्यटक केन्द्रों का विकास

3683. श्री मंगलाथुमाडम : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक विकास परिषद् की हाल ही में हुई बैठक में कोवालम जैसे केरल में पर्यटक केन्द्रों का और अधिक विकास करने का निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) . कोवालम के विकास के सम्बन्ध में पर्यटन विकास परिषद् की मीटिंग में कोई अतिरिक्त निर्णय नहीं किये गये। कोवालम का एक अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतटीय बिहार के रूप में विकास करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है। सरकार द्वारा पूर्ण योजना की अभी औपचारिक अनुमति दी जानी है, परन्तु 20 समुद्रतटीय कुटीरों पर कार्य तुरन्त शुरू होने वाला है।

यात्रा एजेंटों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार की जांच

3684. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रा एजेन्टों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार का पर्यवेक्षण करने के लिये कोई संगठन विद्यमान नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्रा एजेन्टों को कोई लाइसेन्स नहीं दिया जाता यद्यपि सरकार उन्हें विदेशी मुद्रा, टेलीप्रिंटर की मंजूरी, टेलीफोन्स कनैक्शन तथा पदोन्नति जैसी अनेक सुविधायें देती हैं ;

(ग) गत वर्ष यात्रा एजेन्टों के जाल-साजी, ठगी तथा भ्रष्टाचार के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ; और

(घ) पर्यटकों के हित में उनके कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक संगठन नहीं बनाने तथा लाइसेंस दिए जाने की प्रणाली लागू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). इस समय सरकार द्वारा यात्रा अभिकर्त्ताओं कोकोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। परन्तु, पर्यटन विभाग

अनुमोदित यात्रा अभिकर्त्ताओं की एक सूची रखता है और इससे यात्रा अभिकर्त्ताओं को उन रियायतों को, जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। यात्रा अभिकर्त्ताओं के विरुद्ध मिली शिकायतों की जांच पर्यटन विभाग के क्षेत्र-कार्यालयों (फील्ड आफिसों) द्वारा की जाती है। यात्रा अभिकरणों और पर्यटन उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण उपादानों के काम पर अधिक सतर्क निगरानी रखने के लिये विभाग का एक क्षेत्रीय कार्यालयों समेत निरीक्षण निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) दो अनुमोदित यात्रा अभिकरणों द्वारा तथा कथित अनुचित व्यवहारों के दो मामले (केस) पिछले वर्ष सरकार के नोटिस में आये और इनकी जांच की जा रही है।

(घ) यात्रा अभिकरणों के लाइसेंसिंग की व्यवस्था करने के लिए विधान पर सरकार विचार कर रही है।

पर्यटकों के लिये मनोरंजन सुविधाओं के बारे में झा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति

3685. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों के लिये मनोरंजन सुविधाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई झा समिति ने अपना प्रतिवेदन 1963 में पेश किया था और मूल्यवान सुझाव दिये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि न तो समस्या पर गम्भीरता से ध्यान दिया गया है और न ही झा समिति की सिफारिशो को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां थीं और उन कठिनाइयों को हल करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार ने झा समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि पर्यटकों के लाभार्थ भारतीय शैली के सहज मनोरंजन का तथा ऐतिहासिक स्थानों, विशेषकर दिल्ली में, ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनों का आयोजन किया जाना चाहिये। दिल्ली के लालकिले में 1965 के शुरू में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और यह सफलतापूर्वक चलता आ रहा है। साबरमती (अहमदाबाद) और शालीमार गार्डन (श्रीनगर) में दो ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटकों को मनोरंजन की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 40.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। जहां तक होटलों और रेस्टोरेन्टों में सहज मनोरंजन का सम्बन्ध है, देश के कुछ एक प्रमुख होटल पर्यटक रुचि को आकृष्ट करने के लिये विशेष रूप से लिपिबद्ध भारतीय नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते आ रहे हैं। भारतीय होटल और रेस्टोरेन्ट संगठनों के संघ को प्रेरित किया गया है कि वे अपने सभी सदस्यों को भारतीय कैबरे नृत्य के आकर्षक रूपों का विकास एवं आयोजन करने के लिये प्रोत्साहित करें। दिल्ली में वित्तीय उपदान देकर निजी सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा पर्यटकों के लिये उपयुक्त मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा के परियोजना प्रतिवेदनों तथा निबन्ध उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

3686. श्री पी० एंथनी रेड्डी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिणक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा के परियोजना प्रतिवेदनों तथा निबन्ध उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केवल दिल्ली में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनको दिल्ली से बाहर परीक्षकों को न भेजे जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न विषयों (भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान) की निबन्ध उत्तर पुस्तिकाएं तथा परियोजना प्रतिवेदन एक व्यक्ति को भेजी जाती है जो केवल एक विषय का विशेषज्ञ है; और

(घ) यदि हां, तो उस व्यक्ति के लिये अपने विशिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का ठीक–ठीक मूल्यांकन करना कहां तक सम्भव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी, नहीं। कुछ मामलों में, जबकि एक भाषा में, जांच की जाने वाली निबन्ध उत्तर पुस्तकें तथा प्रायोजना रिपोर्टें बहुत कम थीं, उनकी जांच ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई जो यद्यपि केवल एक विषय में विशेषज्ञ थे, किन्तु वे अन्य शाखाओं में भी पर्याप्त योग्यता रखते थे। फिर भी अब अनुदेश दिये गये हैं कि सभी मामलों में विभिन्न शाखाओं की निबन्ध उत्तर पुस्तकों और प्रायोजना रिपोर्टें केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जांची जाएं जो इन शाखाओं के विशेषज्ञ हों।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष

3687. श्री पी० एंथनी रेड्डी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियुक्ति समिति ने इन्टरव्यू लेने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कुछ विभागों के प्राध्यापकों और विभागों के अध्यक्षों को अयोग्य पाया ; हालांकि वे गत दो अथवा तीन वर्षों से इन पदों पर कार्य कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो इन्टरव्यू लेने वाले बोर्ड के सामने जाने के लिये केवल इन कुछ व्यक्तियों को कहने के क्या कारण थे जबकि अन्य व्यक्तियों को नियमित कर दिया गया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (ख) जी, हां। अन्य व्यक्तियों के साथ साथ एक प्रोफेसर और एक विभागाध्यक्ष का जिनके पदों का विज्ञापन किया गया था, साक्षात्कार किया गया था और उन्हें अनुपयुक्त पाया गया।

(ख) प्रोफेसरों के चार पदों में से तीन पदों का विज्ञापन नहीं किया गया था क्योंकि वेतनमानों और पदनामों के युक्तिकरण की योजना के अधीन जिसे 1.11.65 से लागू किया गया था और जिसकी शर्तों के अन्तर्गत विज्ञापन और साक्षात्कार के बाद भर्ती किये गये समस्त तीन उपनिदेशकों को प्रोफेसर का वेतनमान और पदनाम स्वतः दे दिया गया था। इन पदों के उपनिदेशकों के पुराने पदों के स्थान पर बदल दिया गया था। चौथे पद का विज्ञापन किया गया था क्योंकि इस पद पर स्थानापन्न रूप में काम करने वाला व्यक्ति एक फील्ड एडवाइजर था जिसका पद वेतनमानों और पदनामों की युक्तिकरण की योजना के अधीन रीडर के बराबर कर दिया गया था।

विभागाध्यक्षों के 13 पदों में से 9 पदों का विज्ञापन नहीं किया गया था, क्योंकि इनको वेतनमानों और पदनामों के युक्तिकरण की योजना के अधीन और जिसकी शर्तों के अन्तर्गत समस्त पुराने निदेशक स्वतः विभागाध्यक्ष बन गये, निदेशकों के पुराने पदों के स्थान पर बदल दिया गया था। तीन और पदों को भी विज्ञापित नहीं किया गया था क्योंकि इन पदों पर वे प्रोफेसर काम कर रहे थे जिनका वेतनमान 1100-1600 रुपये था जो कि विभागाध्यक्षों के वेतनभत्ता के बराबर है। एक पद का विज्ञापन किया गया था क्योंकि इस पर तदर्थ आधार पर एक व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहा था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित भौतिकी, रसायन तथा गणित की पाठ्यपुस्तकें

3688. श्री पी० एंथनी रेड्डी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के विज्ञान शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित भौतिकी, रसायन और गणित की पाठ्यपुस्तकों को वास्तव में विभाग के अधिकारियों द्वारा लिखा जाता है अथवा इनको रुसी पाठ्यपुस्तकों से अपनाया जाता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के विज्ञान शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित भौतिकी, रसायन और गणित की पाठ्पुस्तकों को रुसी पाठ्यपुस्तकों से नहीं अपनाया गया है। उन्हें यूनेस्को के विशेषज्ञों की सहायता से परिषद् के अधिकारियों ने लिखा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती

3689. श्री पी० एंथनी रेड्डी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की नियुक्ति समिति के कार्यकरण के बारे में व्याप्त आम असन्तोष को देखते हुए सरकार इस परिषद् के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां संघ लोक आयोग के माध्यम से कराने के बारे में विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जी नहीं। अपनी नियुक्ति-समिति की कार्य पद्धति के सम्बन्ध में कोई असन्तोष राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की नजर में नहीं आया है।

Education in Electronics

3690. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Education and Youth Service** be pleased to state :

(a) the progress made so far in providing education in electronics in view of the increasing demand for electronic goods and the Report of the Bhabha Committee; and

(b) the number of experts in electronics who would be available at the end of the Fourth Five-Year Plan ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Degree courses in electronics and radio engineering have been organised at 21 engineering institutions for an annual admission of about 670 students. For advanced training and research at the post-graduate stage, facilities have been organised at 10 centres for an annual admission of about 100 students. Twentyone polytechnics are conducting diploma coures in raido engineering for an annual admission of about 600 students.

The matter is under constant review and, depending upon the demand for technical personnel for the development of electronics industry, training facilities will be expanded.

According to the present enrolments at these institutions, about 2500 additional graduate-engineers, 500 specialists with the Master's degree, and about 2000 diploma-holders will be available during the Fourth Plan period.

Shipping requirements during Fourth Plan

3691. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of ships likely to be built in India by the end of the Fourth Plan Period;

(b) the percentage of the shipping requirements of the country likely to be met by them and that to be met by ships to be purchased from abroad; and

(c) the percentage of our foreign trade that would have to be carried on by foreign ships due to the shortage of Indian ships ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam, is expected to build about 21 ocean-going ships during the Fourth Plan period. The number of merchantile ships that Mazagon Docks and Garden Reach Workshops would build during the same period is still under consideration.

(b) No particular percentage of the total acquisition of ships during the Fourth plan is earmarked to be built in Indian shipyards but their shipbuilding capacity, both present and anticipated, will be fully taken into account before ordering ships abroad.

(c) At the end of the Fourth Plan, Indian ships are expected to carry about 40% of the country's overseas trade. The remaining 60% would be carried by foreign ships but, out of this, only 10% will be due to shortage of Indian ships. since self-sufficiency in the matter of carriage of import/export cargoes normally means the carriage of about 50% of such cargoes in national bottoms.

विश्वविद्यालयों, दिल्ली के कालेजों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के दाखिले के बारे में एक समान शर्तें

3692. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेजों में दाखिले की शर्तें एक समान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक विश्वविद्यालय में दाखिले की शर्तें एक समान बनाने का है;

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कालेजों में बी० ए० (पास०) बी० एस० सी० और बी० ए० (आनर्स) और बी० काम में दाखिले की शर्तें क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिल्ली के कालेजों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने छात्रों को दाखिला नहीं दिया गया ; और

(ङ) क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि आगामी वर्ष में दिल्ली के कालेजों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र को दाखिले से वंचित नहीं रखा जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। दाखिले की शर्तें उस विश्वविद्यालय विशेष पर निर्भर करती हैं जिससे कालेज सम्बद्ध है।

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय में दाखिले की एक समान शर्तें निर्धारित करने का, भारत सरकार को अधिकार नहीं है।

(ग) और (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यह मामला मुख्यत: दिल्ली प्रशासन और विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है और यह धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

Murder of Harijans in Nifad Town of Nasik on 2-10-1969.

3693. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Harijans were murdered in Nifad town of District Nasik, Maharastra on the 2nd October, 1969 on the Gandhi Birth Centenary day;

(b) whether the muderers have been arrested; and

(c) if not, the reasons therefor and the full details of this incident ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). According to the information furnished by the Government of

Maharastra two Harijan brothers were murdered at Ravlas village in Niphad Taluka of Nasik on 1st October, 1969. Six accused persons have been arrested and charge-sheeted. The case is sub-judice.

'अर्ली होमोनायड्स' के अनुसंधान के लिए चंडीगढ़ येल परियोजना के सम्बन्ध में करार

3694. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1967 में पंजाब विश्वविद्यालय के मानक-विज्ञान विभाग तथा येल (अमरीका) विश्वविद्यालय के 'पीबौड़ी म्यूजियम' ने 'अर्ली होमोनायड्स' के अनुसंधान के लिये चंडीगढ़ 'येल परियोजना' नामक परियोजना पर कार्य करने के लिये एक करार किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 21 अक्टूबर, 1969 के 'पैट्रियाट' में 'अर्ली होमोनायड्स' पर भारत का कार्य अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा 'ख्याति प्राप्त करने का प्रयत्न' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने येल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमरीका के पीबौडी संग्रहालय के साथ मिलकर अर्ली होमोनायड्स सम्बन्धी अनुसंधान कार्य शुरू किया था। यह परियोजना अक्टूबर, 1967 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी।

(ख) जी हां।

(ग) पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार यह व्यक्त करने के लिए रिकार्ड पर कुछ नहीं है कि ऐसा प्रयत्न किया गया था।

Construction of a Hangar Near Santa Cruz Airport

3695. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Narendra Singh Mahida :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new hangar is being constructed near the Santa Cruz Airport, Bombay in order to utilize the full capacity of the planes to be purchased;

(b) if so, the details of the size and type thereof;

(c) the expenditure likely to be incurred thereon; and

(d) the advantages likely to accrue therefrom ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Air India plan to construct a hangar for Boeing-747 aircraft. Indian Airlines are constructing two hangars with a Central Annexe at Bombay airport. The hangars will be 300 feet x 200 feet and the central annexe 300 feet X 90 feet.

(c) The estimated expenditure on construction of Air India's hangars will be approximately Rs. 55 lakh, whereas the two hangars of Indian Airlines are estimated to cost Rs. 122 lakh.

(d) The hangars are to be used for maintenance and overhauling of aircraft.

Abolition of Post of Assistant Lecturer in Delhi University

3696. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of Assistant Lecturer has been abolished in Delhi University;

(b) whether it is also a fact that there will be no condition regarding experience for the post of Lecturer;

(c) whether some Assistant Lecturers will be relieved due to this change; and

(d) if so, the alternative jobs being proposed to be assigned to them ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d). There are no established posts of Assistant Lecturers in the University or in the colleges. Persons are, however, appointed as Assistant Lecturers "temprarily against the posts of Lecturers," when no suitable candidates are available for appointment as Lecturers. The Executive Council of the University of Delhi has, at its meeting held on 1st November, 1969, decided that the present practice of appointing Assistant Lecturers against the post of Lecturers in the University Departments and the Colleges be discontinued with immediate effect. The Council has also set up a Working group to investigate, analyse and make recommendations regarding the various issues arising from the decision to discontinue the appointment of Assistant Lecturers and also to suggest the steps to be taken to implement the decision. The Working Group has yet to submit its report.

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में ठेका श्रम प्रणाली की समाप्ति

3697. श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड श्रमिकों को ठेके पर नियुक्त नहीं करता है ऐसा उसका नियम है । तथापि भारतीय जहाजी कम्पनियां जिनमें शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया भी शामिल है, पोतों के नौभरण चिपिंग पेंटिंग इत्यादि जैसे विभिन्न कामों के लिए लाइसेंस शुदा ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित करके ठेका देती हैं और इन कार्यों के लिए ठेकेदार डाक श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत डाक श्रमिकों को संबंधित सरकारी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मजदूरी पर नियुक्त करते हैं। शिपिंग कारपोरेशन ऐसे श्रमिकों को नियुक्त नहीं करता है । अतः इस कारपोरेशन में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Lathi Charge on Praja Socialist Party's Satyagrahis in Katihar, Bihar

3698. **Shri Lakhan Lal Kapoor** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Satyagrahis compaigning for flood-relief and consolidation of holdings under the auspices of Praja Socialist Party in Katihar Court compound in Purnea district of Bihar State were severely lathi-charged and beaten with shoes by the local police on the 31st October and on Ist, 3rd and 13th November as a result of which the condition of many Satyagrahis is serious; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Rama Swamy) : (a) and (b) Facts are being ascertained from the State Government.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा

3699. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा गत अक्टूबर में उक्त विश्वविद्यालय में गांधी हाल की आधार शिला रखने के लिए आमंत्रित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें समारोह सम्पन्न किये बिना लौटना पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से सहमत है कि वहां पर छोटे रूप में रबात कांड की पुनरावृति की गई थी; और

(घ) उन्होंने न केवल श्री गुजरात बल्कि सरकार तथा भारत की जनता के अपमान के घाव को भरने के लिए यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) 2 अक्टूबर, 1969 को गांधी शताब्दी स्मृति समारोह का उदघाटन करने के लिए सूचना तथा प्रसारण के राज्य मंत्री को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और प्राधिकारियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया था।

(ग) और (घ) . प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न मंत्रालयों में अनुवाद के लिये व्यवस्था

3700. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के लागू किये जाने से उत्पन्न अनुवन्द कार्य के लिये विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अब तक क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के 1968–69 के कार्यक्रम के सुझावों के अनुसार इस प्रयोजन के लिये इस बीच पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में कुछ न कुछ अनुवाद करने वाले कर्मचारी मौजूद हैं। बढ़े हुए काम को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रयत्न किये गये हैं। इस समय 15 मंत्रालयों/विभागों में विद्यमान अनुवाद करने वाले कर्मचारी पर्याप्त समझे गये हैं। बाकी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद करनेवाले अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति देने के लिए प्रस्तावों पर कार्यवाही हो रही है। गृह मंत्रालय में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुवाद करने वाले पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है।

(ग) यह सतत् प्रक्रिया है और अनुवाद-कार्य के बढ़ने के साथ-साथ इन कर्मचारियों की संख्या भी और बढ़ाने के प्रयत्न किये जाते हैं।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers working in Education Department of Delhi Administration.

3701. Shri Ram Charan :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the number of posts of Vice-Principals, Deputy Education Officers, Science Consultants and Television Officers in the Education Department of the Delhi Administration Delhi, separately;

(b) the number of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes among the officers who are working against the aforesaid posts;

(c) whether the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been appointed against the aforesaid posts, in accordance with an order of the Ministrry of Home Affairs; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

ग्रेड चार के असिस्टेंटों की सिविल सूची

3702. श्री राम चरण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेड चार के असिस्टेंटों की एक नई सिविल सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सूची में तीन सौ से अधिक नाम जोड़ दिये गये हैं और इन व्यक्तियों को उन व्यक्तियों से जिनके नाम 1961 की सिविल सूची में पहले से है, वरिष्ट बना दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य व्यक्तियों की वरिष्ठता के ऊपर इन नामों को जोड़ने का क्या प्रभाव पड़ा है, और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालयों का संयुक्त संवर्ग

3703. श्री राम चरण : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय का संवर्ग एक ही है;

(ख) पूर्ति विभाग का संवर्ग निर्माण तथा आवास विभाग के साथ होने के क्या कारण हैं जबकि यह एक पृथक मंत्रालय है और नगरीय विकास मंत्रालय का संवर्ग पृथक होने के क्या कारण है जबकि यह स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय का अंग है;

(ग) क्या इसका कर्मचारियों की पदोन्नति पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो प्रभावित कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) मंत्रालयों के पिछले पुनर्गठन के परिणामस्वरूप संवर्गों के पुनर्गठन होने तक पुराने संवर्ग अर्थात् (i) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय और (ii) निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय, बने हुए हैं।

(ग) और (घ) . किसी विकेन्द्रीकृत स्थापना में पदोन्नतियों में असमानता अपरिहार्य है। तथापि, ऐसी असमानताओं को कम करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियमों में अभी हाल में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किये गये हैं कि विकेन्द्रीकृत श्रेणियों में प्रोन्नतियां गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले कुछ 'कटिबन्धों' के भीतर ही की जायं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन संबंधी समिति का प्रतिवेदन

3704. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी भगवत समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दरभंगा जिले में छोटे हवाई अड्डों का विकास

3705. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोवाडा (बिहार के दरभंगा जिले में) आदि जैसे छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिये सरकार की कोई योजना है ताकि उनका इंडियन एयर लाइन्स की अन्य विमान सेवाओं में सम्पर्क जोड़ा जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स का इन स्थानों के लिये अनुसूचित विमान सेवायें परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा तम्बुओं में स्कूलों का चलाया जाना

3706. श्री न० रा० देवधरे : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली प्रशासन द्वारा कुल कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने इमारतों में स्थित हैं और कितने तम्बुओं में;

(ग) ये स्कूल कब से टैंटों में हैं; और

(घ) इन स्कूलों को उपयुक्त इमारतों में चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 278 राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल।

(ख) 246 स्कूल भवनों में हैं और 32 बिलकुल तम्बूवाली जगहों में हैं। फिर भी 63 भवनों में जिनमें 97 राजकीय स्कूल स्थित हैं। निर्मित स्थान की कमी को पूरा करने के लिए तम्बुओं का उपयोग किया जा रहा है।

(ग)

1956-57	–	2	स्कूल
1958-59	–	1	”
1961-62	–	1	”
1962-63	–	3	”
1963-64	–	2	”
1964-65	–	5	”

1965-66	–	6	स्कूल
1966-67	–	1	”
1967-68	–	7	”
1968-69	–	2	”
1969-70	–	2	”
जोड़	–	32	”

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 14 स्कूलों को उन भवनों में स्थान दिया जाएगा जो निर्माणाधीन हैं। 12 स्कूलों को उन भवनों में स्थान दिया जाएगा जिनके लिए 1969–70 के दौरान भवन–निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। 2 स्कूलों को उस भवन में स्थान दिये जाने की आशा है, जो कि 2/3 मास के समय के भीतर एक कालेज द्वारा खाली किया जायेगा। 4 स्कूलों को भवनों में स्थान दिया जाएगा जब कि वे स्थल, जिनका अर्जन किया जा रहा है, निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध हो जायेंगे।

उपयुक्त भाग (ख) के उत्तर में वर्णित 63 भवनों में तम्बुओं के संबंध में स्थिति यह है कि जोरदार कार्यक्रम के अधीन पक्के अतिरिक्त कमरों और नलिकाकार ट्रस वाली इमारतों का निर्माण करके अब इन तम्बुओं को हटाया जा रहा है। संभवत: 1970 के अंत तक इन स्कूलों में से तम्बू हटा लिए जाएंगे।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के लिए निदेशक/सहायक निदेशक की नियुक्ति

3707. **श्री न० रा० देवधरे :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में एक वर्ष से भी अधिक समय से कोई निदेशक अथवा सहायक निदेशक नहीं है और उसका कार्य रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में तथा वर्ष के दौरान जिस आवश्यक कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है उसे करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) से (ग) . राष्ट्रीय संग्रहालय जनवरी, 1969 से बगैर निदेशक के और जुलाई, 1969 से बगैर सहायक निदेशक के भी है; किन्तु वहां कार्य रुका नहीं पड़ा है। इन पदों को यथाशीघ्र भरने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और संग्रहालय के अन्य उच्च अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो वहां मंत्रालय की सहायता से संग्रहालय के महत्वपूर्ण कार्यों को देख रहे हैं।

भारत तथा श्री लंका के बीच विमान सेवा

3709. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका और भारत के बीच विमान सेवाओं में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। नवम्बर, 1969 से इंडियन एयरलाइन्स ने मद्रास–कोलम्बो–मद्रास मार्ग पर वाइकाउंटों को बदल कर उनके स्थान पर कारवेल विमान रख दिये हैं। इसके अतिरिक्त, त्रिवेन्द्रम–कोलम्बो त्रिवेन्द्रम मार्ग पर एच. एस. 748 की सेवा की आवृत्ति सप्ताह में एक बार से बढ़ा कर सप्ताह में दो बार कर दी गयी है।

Setting up of New Hotals in Public Sector

3710. Shri Onkar Singh : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state the number of additional hotels proposed to be set up in the near future in the public sector and the expenditure expected to be incurred thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Avition (Dr. Karan Singh) : A provision of Rs. 6.75 crores has been made in the Fourth Five Year Plan for the construction of hotels in the public sector by the India Tourism Development Corporation at Bangalore, Srinagar, Gulmarg, Dum Dum Airport (Calcutta), Jaipur Auranagabad, Udaipur, (Expansion of Laxmi Vilas Palace Hotel) and Kovalam (Hotel and 40 Tourist Cottages). Construction on the hotel project at Bangalore is in progress and it is expected that the projec. will be completed by June 1970 at an estimated cost of Rs. 150 lakhs.

Air India also considering plans for the construction of two hotels in Bomb.ay at Santa Cruz and Juhu Beach, at an estimated cost of Rs. 100 lakhs and Rs. 300 lakhs respectively.

भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार देने की योजना

3711. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी भारतीय भाषा में पुस्तकें लिखने के लिये लेखकों को पुरस्कार देने की योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०'2350/69**]

(ग) इसे चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1969–70 से शुरू किया गया है और पहले पुरस्कार इस वर्ष के अन्त तक घोषित किये जायेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय होटल संघ का नई दिल्ली में हुआ सम्मेलन

3712. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 नवम्बर, 1969 को नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय होटल संघ का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया;

(ग) सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(घ) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । अन्तर्राष्ट्रीय होटल संगठन की प्रशासन परिषद् की एक बैठक नई दिल्ली में 4 से 6 नवम्बर, 1969 तक हुई थी ।

(ख) भारतीय होटल तथा रेस्टोरेंट संस्थाओं के संघ से, जोकि संगठन के मेजबान (होस्ट) थे, पता चला है कि भारत सहित 16 देशों के प्रतिनिधियों ने उस बैठक में भाग लिया ।

(ग) और (घ). बैठक के अन्त में जारी किये गये एक प्रेस नोट की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2351/69]**

चण्डीगढ़ में एक 'मौटेल' का निर्माण

3713. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों के लिये चंडीगढ़ में 10 लाख रुपये की लागत पर शीघ्र ही एक मोटल का निर्माण किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का एक विशेषज्ञ दल निर्माण स्थल पर गया था ;

(ग) क्या इस दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) । चंडीगढ़ प्रशासन ने 5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से चंडीगढ़ में एक मोटल के निर्माण का सुझाव दिया है । सितम्बर 1969 में पर्यटन विभाग के एक अधिकारी तथा भारत पर्यटन विकास निगम के एक अधिकारी को, जब वे हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों से कुछ अन्य मामलों पर बातचीत

करने के लिये चंडीगढ़ गये हुए थे, प्रस्तावित मोटल के निर्माण के लिये दो वैकल्पिक स्थान दिखाये गये।

(घ) निर्णय व्यवहार्यता अध्ययन करने के बाद किया जायेगा।

Distribution of Lands to Harijans in Bihar

3714. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of persons arrested in connection with the agitation launched in Bihar since the Mahatma Gandhi Birth Centenary day in support of the demands for distribution of land, for providing residential accommodation to Harijans etc;

(b) the full details of the said agitation; and

(c) the difficulties being faced by Government in fulfilling the demands of the agitators ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Rama Swamy): (a) to (c) . Facts are being ascertained.

जम्मू तथा काश्मीर में सोपोर में दंगे

3715. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अगस्त, 1969 को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सोपोर में दंगे होने से दो दिन पूर्व गड़बड़ी करने के लिए उकसाने वाला साहित्य बांटा गया था;

(ख) क्या इन घटनाओं में नक्सलवादियों का हाथ होने का संदेह है;

(ग) क्या यह सच है कि बांटे गये साहित्य में लाहौर में छापी एक पत्रिका शामिल थी जिसमें इस सम्बन्ध में ब्यौरा दिया गया था कि अरब कमांडों ने किस प्रकार फिलिस्तीन मुक्ति आन्दोलन आरम्भ किया था और कि काश्मीर को आजाद कराने के लिए फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन कर्त्ताओं जैसे 1000 कमाण्डों की आवश्यकता है; और

(घ) क्या इन घटनाओं की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). जम्मू व काश्मीर सरकार से सूचना प्रत्याशित है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

युवकों में असन्तोष

3716. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने युवकों में असंतोष से कानून तथा व्यवस्था की स्थिति तथा विद्यार्थियों के आन्दोलनों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में में इस सम्बन्ध में किये गये अध्ययन में की गई एक टिप्पिणी में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पुलिस के महानिरीक्षकों के 1966 में हुए सम्मेलन में निर्धारित की गई विधि-निषेधों पर शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से शीघ्रतापूर्वक विचार करने का भी प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 8 अक्टूबर, 1969 को हुई बैठक की कार्य-सूची में सम्मिलित युवक असन्तोष विषयक मद पर गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पिणी में कुछ विक्षुब्ध प्रवृत्तियों का जिक्र किया गया था।

(ख) से (घ). पुलिस महा निरीक्षकों के सम्मेलन की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को प्रेषित की गई है, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था मे सम्बन्धित इन सिफारिशों पर उचित कार्यवाही करना राज्य सरकारों का काम है। शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार भी मंगाए गए हैं ताकि राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारों से अवगत कराया जा सके।

"सेनाओं" के विरुद्ध कार्यवाही

3717. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जनार्दनन :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद् की इस आशय की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी हैं कि विभिन्न 'सेनाओं' के विरुद्ध, जो जनता की प्रादेशिक भावनाओं को भड़का कर दंगे करने के लिए उकसाती हैं, समुचित कार्यवाही करने के लिए सख्त और कारगर उपाय किये जाने चाहिए;

(ख) इन सिफारिशों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में राज्य सरकारों का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि ऐसी संस्थाओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब कभी आवश्यक होगा कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

मनीपुर और त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त के पदों को उपराज्यपाल का दर्जा देना

3718. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर तथा त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों के आयुक्तों के पदों को उप-राज्यपाल का दर्जा देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन से क्या लाभ होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् :

(ख) इस बात की निरंतर स्थानीय मांग रही है कि इन राज्य क्षेत्रों में भी, जिनकी विशेष समस्याएं हैं, हिमाचल प्रदेश, गोवा तथा पाण्डिचेरी राज्य क्षेत्रों की भांति प्रौढ़ तथा अनुभवी व्यक्ति उनके प्रशासक हों। इस परिवर्तन से न केवल वास्तविक तथा तीव्र स्थानीय भावना की सन्तुष्टि होती है अपितु प्रशासक के पद के लिये उपयुक्त तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का चयन करने के लिए चयन-क्षेत्र का विस्तार होता है।

Prevention of Crimes

3719. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering a detailed scheme to prevent crimes in the country;

(b) whether it is also a fact that the number of crimes is increasing day by day;

(c) if so, the outlines of the said scheme; and

(d) the time by which the said scheme is expected to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. Since control and prevention of crimes is a State responsibility, the State Governments take suitable action in the light of the prevailing crime situations in the State.

(b) A statement is attached showing the number of (cognizable) crimes under the Indian Penal Code reported in the Country and the volume of crime per lakh of population, for the years 1964 and 1968.

(c) and (d) Does not arise.

Statement

Year	Total Cognizable crime	Volume of Crime per lakh of Population
1964	759013	159.6
1965	751615	154.4
1966	794733	159.4
1967	881981	172.5
1968	* 862602	164.6

* This figure is based on quarterly Crime review and is provisional.

Increase in Thefts of Cars and Scooters in Delhi

3720. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the incidents of thefts of Cars, Scooters and other vehicles in Delhi are continuously increasing;

(b) if so, the number of thefts of cars and scooters committed during the last three years separately;

(c) the number of cases detected; and

(d) the steps taken to check such theft incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) . A statement showing the incidents of thefts of cars, scooters and other vehicles in Delhi during the last three years and the number of cases detected etc. is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 2352/69]**

(d) Patrolling is intensified in affected areas to maintain a watch with a view to prevent commission of such offences. Plain clothed and uniformed police men are also deputed on strategic points. The activities of known car lifters and burglars are kept under watch.

नई दिल्ली में पुराने किले की खुदाई

3721. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में पुराने किले की खुदाई सम्बन्ध योजनाओं को अन्ि म रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका प्रयोजन क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(घ) इस खुदाई से इस प्राचीन स्मारक पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहाँआरा जयपाल सिंह) : (क) जी, नहीं । आयोजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना हैं ।

(ख) स्थल की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए खुदाइयां की जा रही है । पुराने किले के लिए लोगों का विश्वास है कि यह महाभारत की कथा से सम्बद्ध इन्द्रप्रस्थ नाम के पौराणिक नगर के स्थान पर है ।

(ग) कुल अनुमानित लागत अभी तैयार नहीं हुई है, किन्तु क्षेत्र में कार्य का लगभग तीन महीनों की अवधि का खर्च करीब 60,000 रुपये होने का अनुमान है ।

(घ) इस क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित खुदाई स्थायी स्मारकों से काफी फासले पर है और इसलिए उन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

Andaman and Nicobar Islands Regulation

3722. **Shri Chandra Shekhar Singh :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulations, 1956 has been unsuccessful in its purpose of protecting the aboriginal tribes and is now unnecessary;

(b) if so, whether Government propose to abolish the said Regulation; and

(c) the number of Christians in the Andaman and Nicobar Islands before and after the enforcement of the said Regulation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The total number of Christians in the Andaman and Nicobar Islands according to 1951 census was 9,494 and according to 1961 census is 17,973.

Regularisation of Pay-Scales for Physical Training Teachers in Delhi

3724. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri Nardeo Snatak :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay scales fixed according to the qualifications vide Education Ministry's letter No. F. 6-32/54-H-2 dated the 17 June, 1954 in respect of all the Physical Training Teachers appointed from 1950 to 1959 have been regularised vide Education Ministry's letter dated the 3Ist January, 1961 addressed to the Director of Education, Delhi;

(b) if so, whether the Directorate of Education, Delhi Administration have given pay-scales of Rs 100-250 (Revised Rs. 160-300) with effect from 17th June, 1954 or from the date of appointment to all the Intermediate qualified Physical Training Instructors appointed during the period from Ist April, 1950 to 31st December 1959 in accordance with the above mentioned letters of Education Ministry; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) . The required information is being collected from the Delhi Administration and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर (बिहार) को अनुदान

3725. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राधाकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर (बिहार) को कितनी राशि का अनुदान या सहायता दी गई;

(ख) क्या इस विद्यापीठ के कार्य-संचालन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत विद्यापीठ को निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये गये थे :—

1966–67—70,665.00 रुपये
1967–68— —
1968–69—52,014.00 रुपये

(ख) विद्यापीठ के काम-काज के बारे में लेखा परीक्षा रिपोर्टों में किसी टिप्पणी की मन्त्रालय को जानकारी नहीं है। इस मन्त्रालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त (क) में वर्णित सहायक अनुदानों का विद्यापीठ ने समुचित रूप से उपयोग किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर लखिमपुर से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का वापिस बुलाया जाना

3726. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर आसाम के उत्तर लखीमपुर में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की समूची कम्पनी को शुक्रवार 21 नवम्बर, 1968 को नगर से बाहर भेज दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) जो व्यक्ति बिना किसी उत्तेजनात्मक कारण के अनेक मकानों पर आकस्मिक छापा मारने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उत्तर लखीमपुर स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का शिविर वहां 14 नवम्बर, 1969 को कुछ घटनाओं के बाद समाप्त कर दिया गया जिनमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ कर्मचारी तथा नागरिक अन्तर्ग्रस्त बताए जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों तथा नागरिकों के बीच किसी तनाव अथवा गलत फेहमी को दूर करने की दृष्टि से यह आदेश दिया गया था।

(ग) उस इलाके के कुछ लोगों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस के पास दो आपराधिक मामले दर्ज कराये गये हैं और एक मामला कुछ नागरिकों के विरुद्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कमांडेन्ट द्वारा दर्ज कराया गया है। इस विषय में जांच पड़ताल की जा रही है और उसके पूरा होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 का निर्माण

3727. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 के निर्माण के लिए इस वर्ष कुल कितनी धन-राशि मन्जूर की गई है और आगामी वर्ष में कितनी राशि की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) उपर्युक्त धन राशि में से कितनी राशि खर्च की जाने की सम्भावना है;

(ग) इस राजपथ के निर्माण के लिए खर्च करने हेतु धन कब राज्य सरकार को दिया गया था; और

(घ) यह राजपथ कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के मूल निर्माण कार्यों के लिए 1969-70 के लिए की गई 16.14 लाख रुपये की व्यवस्था में से 6.94 लाख रुपये अगस्त, 1969 में आवंटित किये गये हैं। राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद शेष उपलब्ध राशि में से आवंटन देने का प्रस्ताव है। अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि चालू वर्ष में कितनी धनराशि के खर्च होने की सम्भावना है। जब तक 1970-71 का बजट पास नहीं होता है तब तक अगले वर्ष के लिए आवंटन नहीं दिया जा सकता है। धन की उपलब्धता के अधीन अब यह संभावना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 की लुप्त कड़ियों का निर्माण चौथी योजना में पूरा हो जायेगा।

Schools opened in Bihar for the Poor and Harijans

3728. Shri Kedar Paswan : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the total number of schools opened in Bihar for the poor and the Harijans and their District-wise break-up and whether Government proposed to provide any facilities for Harijans in these schools;

(b) if so, the time by which these facilities will be provided; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश का समितियों/आयोगों से सम्बद्ध होना

3729. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या गृह कार्य मंत्री समितियों/आयोग से सम्बंधित भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के बारे में 29 अगस्त, 1969 को अतारांकित प्रश्न 530 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों से इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध की गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2353/69]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी फर्मों के साथ विमानों का क्रय विक्रय

3731. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री ई० के० नायनार :
श्री भगवान दास :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी फर्मों से कितने विमान खरीदे गये;

(ख) इसी अवधि में गैर सरकारी फर्मों को कितने विमान बेचे गये; और

(ग) उनके विक्रय का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई खरीद नहीं की है।

(ख) इस अवधि के दौरान प्राइवेट पार्टियों को छः विमान बेचे गये, इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा दो डकोटा, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० द्वारा तीन पुष्पक और वनस्पति रक्षा निदेशालय द्वारा एक आस्टर विमान।

(ग) पुष्पक विमान की बिक्री बंगलोर प्रभाग में फैक्ट्री से बाहर वितरण (एक्स-फैक्ट्री डिलिवरी) के आधार पर पूर्व उद्धृत और मंजूर किये गये नियत दाम पर की गई, और विमान पूर्व अदायगी किये जाने पर दिये गये।

इंडियन एयरलाइन्स ने देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर विमान को बिक्री के लिये पेश किया।

वनस्पति रक्षा निदेशालय के आस्टर विमान को पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा बेचा गया, जिसने कि इस प्रयोजन के लिए विश्व भर से निविदा पत्र (टेण्डर) आमन्त्रित किये।

नई दिल्ली में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था पर खर्च

3732. **श्री भगवान दास :**
श्री ई० के० नायनार :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, नई दिल्ली पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इमारत बनाने पर कितनी राशि खर्च की गई है और इमारत कब पूरी हुई थी; और

(ग) क्या यह सच है कि घटिया किस्म की सामग्री प्रयुक्त किये जाने तथा खराब कारीगरी के कारण इस इमारत में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) . अक्तूबर, 1969 के अन्त तक, भूमि और उसके विकास पर, इमारतों और उपकरण पर खर्चा 717.15 लाख रुपये हैं (जिसमें उपकरणों के लिए विदेशी सहायता सम्मिलत है) इमारतों पर किया गया खर्च 408.98 लाख रुपये है ।

1961-62 से 1968-69 तक की अवधि के दौरान विभिन्न इमारतें विभिन्न समय में पूरी की गई थीं । कुछ इमारतों का निर्माण अभी हो रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

Jaisalmer Airport

3733. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports that the maps of the airport constructed at Jaisalmer have been handed over to Pakistan by certain pro-Pakistani elements;

(b) if so, whether Governments have arrested any person in this connection; and

(c) if not, the reasons therefore ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) . One Pakistani national who was arrested in July, 1969 in Jaisalmer made a statement implicating another persons. The latter was also arrested. The allegations regarding maps of the airport at Jaisalmer having been handed over to Pakistan have not been substantiated during the investigation.

विदेश जाने वाले मन्त्रियों के लिए वेषभूषा सम्बन्धी विनियम

3734. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विदेश जाने वाले मंत्रियों के लिए कोई वेष-भूषा सम्बन्धी विनियम निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 1969 में विदेशी दौरों के समय जिन मंत्रियों ने वेषभूषा सम्बन्धी विनियमों का पालन नहीं किया उनके नाम क्या हैं तथा उनकी कुल कितनी संख्या है;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो वेष भूषा निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि भारतवर्ष की एक राष्ट्रीय वेष भूषा है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) सरकार द्वारा कोई ऐसे विनियम निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) . भारत में पोशाकों की कई किस्में हैं जो जलवायु की विविधता को देखते हुए स्वाभाविक है। अतः सरकार ने भारत के लिए राष्ट्रीय पोशाक के रूप में कोई विशेष किस्म की पोशाक को निर्धारित करने वाले कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। फिर भी सही स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से औपचारिक अथवा समारोहों के अवसरों पर तथा कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा कुछ किस्म की पोशाकों को प्रयोग में लाने के आदेश 1954 में जारी किये गये थे। इन अनुदेशों का पालन करना मंत्रियों पर निर्भर करता है और इस सम्बन्ध में कोई कड़े विनियम निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधियाचित बैठक के बारे में पालम हवाई अड्डे पर झन्डों का दिखाया जाना

3735. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रवि राय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान श्री एच० वी० कामथ की शिकायत की ओर दिलाया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधियाचित बैठक के समर्थन में पालम हवाई अड्डे पर झण्डों को प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई अनुमती मांगी तथा दी गई थी; और

(ग) क्या ऐसी सुविधाएं राजनैतिक दलों को पहले भी दी गई थीं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . मेरे मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। 18 नवम्बर, 1969 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की अधियाचित बैठक (दिल्ली अधिवेशन) की आवास समिति के

सचिव ने हवाई अड्डा अधिकारी, नई दिल्ली, से पालम हवाई अड्डे के आहाते में एक स्वागत कार्यालय खोलने की अनुमति मांगी। समिति के सदस्य अपने व्यक्तियों को पहचान सकें, इसके लिए उन्हें आगमन कक्ष (एराइवल हॉल) में एक स्वागत-पटल (रिसेप्शन काउन्टर) लगाने की अनुमति प्रदान की गई। पटल पर एक अधिकार-चिन्ह (डेस्क इन्सिगिनजा) भी रखने दिया गया था। दिल्ली हवाई अड्डे के क्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधियाचित बैठक के समर्थन में झण्डों का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया।

(ग) मुझे भूतकाल में किसी राजनैतिक दल द्वारा हवाई अड्डों के क्षेत्र के भीतर झण्डों के प्रदर्शन के लिए मांगी गई अनुमति की जानकारी नहीं है। परन्तु प्रश्न के भाग (क) और (ख) में वर्णित सुविधायें अन्य विभिन्न संगठनों और समितियों को भी उपलब्ध की जाती रही हैं।

सफदरजंग हवाई अड्डे पर गोपनीय पत्रों का पकड़ा जाना

3736. **श्री शारदा नन्द** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व रेलवे डाक सेवा अधिकारियों ने सफदरजंग हवाई अड्डे पर डाक के एक थैले से, जो पाकिस्तान जा रहा था, भारत सरकार के गृह-कार्य मन्त्रालय के गुप्तचर विभाग की एक गोपनीय फाइल पकड़ी थी जो परिपत्रों, सरकारी निदेशों तथा डाक वितरण क्षेत्रों से सम्बन्धित थी;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस राष्ट्र विरोधी अपराध के लिए जिम्मेवार अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मणिपुर के अनुसूचित जातीय क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना

3737. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के निम्नलिखित आदिम जातीय क्षेत्रों अर्थात आन्द्रों गांव, सेकपाई, खुरखुल तथा फेयेंग में अब तक कितनी शिक्षा संस्थाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आन्द्रों गांव में जहां की आबादी कम से कम 8000 है, एक भी हाई स्कूल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो आन्द्रों तथा मणिपुर के अन्य अनुसूचित जातीय क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) . अपेक्षित सूचना मणिपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

धनबाद कोयला क्षेत्र के कोयला खान क्षेत्र के एक कार्यकर्ता की हत्या

3738. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद कोयला क्षेत्र के श्री रामदेव सिंह नामक भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) के एक कार्यकर्ता की 18 सितम्बर, 1969 को मधुवन्न कोयला खान में उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह एक जीप से उस मिटिंग की घोषणा कर रहा था जिसमें संसद् सदस्य श्री मुहम्मद इस्माइल द्वारा भाषण दिया जाना था;

(ख) यदि हां तो पुलिस ने कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं;

(ग) गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम तथा विवरण क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई जांच का पूरा ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) . राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 18 सितम्बर, 1969 की रात को एक जीप पर सवार होकर साम्यवादी दल मार्क्सवादी के कुछ कार्यकर्ता नादखरखी कोयला खान में अगले दिन होने वाली एक बैठक के बारे में घोषणा कर रहे थे । वह जीप जब मधुवन कोयला खान के निकट आयी तो लगभग 25 व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण किया और रामदेव सिंह नामक एक व्यक्ति को मार डाला । पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और मधुवन कोयला खान के सहायक प्रबन्धक समेत पांच व्यक्तियों को गिरफतार किया । मामले में जांच पड़ताल जारी है । गिरफतार व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं ।

आपराधिक विधि तथा समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों सम्बन्धी विचार गोष्ठी का प्रतिवेदन

3739. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री 25 जुलाई 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 836 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपराधिक विधि तथा समसामयिक सामाजिक परिवर्तनों सम्बन्धी विचार गोष्ठी का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अपराध के शिकार हुये व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या विचार गोष्ठी की अन्य सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) गोष्ठी का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

अन्दमान में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के लिए स्मारक

3740. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए स्मारक बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . पोर्ट ब्लेयर में केन्द्रीय मीनार और सेल्लुलर जेल के वर्तमान तीन खण्डों को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कायम रखने का निश्चय पहले ही किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। उन स्वतन्त्रता सेनानियों के नामों वाली संगमरमर की पटियां जेल की केन्द्रीय मीनार में पहले ही लगा दी गई हैं, जिन्हें सेल्लुलर जेल में बन्दी बनाया गया था।

पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लिए एक स्मारक खड़ा करने का भी निश्चय किया गया है। इस सम्बन्ध में भी ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

मृत्यु दंड को समाप्त करना

3741. श्री न० रा० देवघरे : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मृत्यु दण्ड को समाप्त करने के पक्ष में भारी बहुमत है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मृत्यु दण्ड को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) . विधि आयोग ने मृत्यु दण्ड को समाप्त करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया है और अपने 35वें प्रतिवेदन में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। प्रतिवेदन अभी छप रहा है। विधि आयोग देश की वर्तमान अवस्था में मृत्यु दण्ड को रखे रहने के पक्ष में हैं। मृत्यु दण्ड को समाप्त करने के प्रश्न पर विधि आयोग की सिफारिशों की, कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके परीक्षा करनी होगी।

Abolition of Octroi Duty on Transportation of inter State Goods.

3742. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4718 on the 28th March, 1969, and state :

(a) whether the Central Government have entered into any correspondence with the State Governments concerned regarding abolition of Octroi duty and other similar duties on the goods brought into the cities and have invited suggestions from them in regard to the imposition of other duties in lieu of the octroi duty;

(b) if so, the names of the States in which Octroi duty on various items including food-grains, has been abolished; and

(c) if the reply in part (a) above be in the negative, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) So far, octroi has not been abolished by any State, where it has been levied, except Andhra Pradesh which discontinued octroi in the Telengana area from 1-4-65.

(c) Does not arise.

Bridge over River Gandak in Bihar

3743. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that construction work on the bridge over river Gandak in Champaran District (Bihar) is being carried on very slowly;

(b) if so, whether it is also a fact that the Central Government are hesitating in making the funds available for the construction of the said bridge; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The progress has been slow due to delayed sinking of wells by the contractor.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Closure of Traffic during rainy days in Motihari-Champaran (Bihar)

3744. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that traffic from three main Police Stations of Champaran District, namely Ghora-Saban, Dhaka and Patahi to Dirtrict Headquarters Motihari-Champaran (Bihar) remains closed during the days of drought and particularly during rainy days due to Sikrahana river; and

(b) if so, whether Government propose to construct a bridge over Sikrahana river at lalbegia ghat and Madhubani ghat ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is available.

ग्रामीण लोगों के लिये संग्राहालयों की चलती फिरती प्रदर्शनियां

3745. श्री यशपाल सिंह : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का है यदि वे ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए संग्रहालयों की चलती फिरती प्रदर्शनियां स्थापित करें; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता किन शर्तों पर दी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संसद् में विरोधी दलों के नेताओं के लिये सुविधाओं की व्यवस्था

3746. श्री यशपाल सिंह : क्या **संसद्-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोक-सभा तथा राज्य-सभा में विरोधी दलों के नेताओं को कुछ सुविधायें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जैसी की कुछ अन्य देशों तथा कुछ राज्य विधान मण्डलों में व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक घोषित किया जायेगा ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). विषय विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति

3747. श्री किकर सिंह : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विभागीय परीक्षा में जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है, के माध्यम से प्रति वर्ष (1955 से 1963 तक परीक्षाओं में) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य जातियों के कितने उम्मीदवारों की, पृथक पृथक पदोन्नति की गई और अनुसूचित जातियों की संख्या में यदि कोई कमी रही तो उसके क्या कारण थे;

(ख) क्या इस वितरण को किसी वर्ष चुनौती दी गई थी और यदि हां, तो उस पर न्यायालय ने क्या निर्णय दिया;

(ग) क्या वर्ष 1963 की परीक्षा में अनुसूचित जातीय/अनुसूचित आदिम जातीय उम्मीदवारों ने पहले पदोन्नत कई गैर अनुसूचित जातीय/अनुसूचित आदिम जातीय उम्मीदवारों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त की थी और उनकी उपेक्षा की गई थी और अन्तिम तीन परीक्षाओं के 90 प्रतिशत रिक्त स्थानों का आरक्षण रद्द किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह शिकायत की गई है कि 1963 की परीक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सफलता प्राप्त उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उनके प्रति किये गये इस अन्याय को सरकार का विचार किस प्रकार समाप्त करने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है। सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2354/69]

Regional Flights of I. A. C. running at Loss

3748. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the regional flights of the Indian Airlines have been running at a loss;

(b) if so. the amount of loss suffered in 1968 and the amount of loss likely to be incurred during 1969;

(c) whether it is also a fact that as the regional flights are neglected, all the facilities are not available there or there is mismanagement in it, as a result of which a passenger has less attraction for it;

(d) if so, whether Government would ensure that all the facilities are provided; and

(e) if not, the other reasons for the loss ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The short-fall on the regional routes during 1967-68 and 1968-69 was Rs. 603.00 lakhs and Rs. 577.00 lakhs respectively. However, these short-falls have been offset by gains on the inter-regional routes.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) Higher fares on the regional flights would act as a deterrent to traffic. In the Eastern Region, fares have deliberately been kept low due to the inadequacy of other means of communication.

Refusal of West Bengal Labour Minister to include 'Gherao' as an evil

3749. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while speaking on the Trade Union Bill, the West Bengal Labour Minister refused to include 'Gherao' as an evil and favoured it indirectly; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) According to information received from the Government of West Bengal, there was no reference to gheraos in the speech of the State Labour Minister either during the introduction of the Trade Union (Amendment) Bill or during the general discussion.

(b) Does not arise.

Kidnapping of Children

3750. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a country-wide gang is engaged in kidnapping children and forcing them to beg after amputating their limbs;

(b) whether it is also a fact that about 200 such children were recovered from such gangs in Jammu and Kashmir and Bombay in August, 1969;

(c) if so, the steps taken by Government to smash such gangs operating in other States and to get the children released from their clutches;

(d) the result of such steps, if taken; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charn Shukla): (a) All State Governments (except Assam, Madhya Pradesh and West Bengal) and Union Territory Administrations have reported that no country-wide gang engaged in kidnapping children and forcing them to beg after amputating their limbs, has come to their notice. The information in respect of the State Governments of Assam, Madhya Pradesh and West Bengal will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

(b) The Government of Jammu and Kashmir and Maharashtra have reported that no such recovery was made by them. The Government of Maharashtra have, however, reported that in a special drive conducted by the Greater Bombay Police on the night between 6th and 7th August, 1969, 296 children were picked up. The children were spoilt or run-away children who had taken to a life of indolence and begging.

(c) to (e). The problem of kidnapping children for purpose of begging is considered a heinous crime. In order to coordinate the action of the States in curbing this crime, the matter has been discussed in the Conferences of the Deputy Inspectors General, C. I. D. of States and several procedural measures have been taken by the States to provide for effective investigation in such cases.

A proposal to amend Sections 363 and 363-A of Indian Penal Code is also under consideration of Government to provide for more severe punishment for this crime.

R. S. N. Co's Steamers Operating from Calcutta to Dibrugarh.

3751. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state ;

(a) the total number of steamers that the River Steam Navigation Company used to operate from Calcutta to Dibrugarh before the Indo-Pakistan conflict of 1965;

(b) the number of those steamers out of them which were seized by Pakistan;

(c) the places where the remaining steamers are anchored at present and their condition;

(d) the expenditure being incurred on them by Government per month; and

(e) the decision proposed to be taken by Government in regard to these steamers in view of the present attitude of Pakistan ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) 60 steamers and 104 flats.

(b) 15 Mainline Steamers, 32 flats, 4 laid-up steamers and 3 Barges.

(c) The remaining steamers are partly isolated in Assam and partly in Calcutta. The outlived steamers which are beyond economic repair have been treated as scrap.

(d) No expenditure is incurred directly by Government as the vessels are owned by the Central Inland Water Transport Corporation Ltd., Calcutta.

(e) Vessels at Calcutta are being utilised in lighterage work, movement of sand between Triveni and Haldia and passenger ferries. As regards the vessels isolated in Assam, a decision is yet to be taken on the manner in which they are to be utilised.

Lack of Road facilities in Rural Areas

3752. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether Government are aware that most of the rural areas in the country are not developing and progressing for want of roads there;

(b) if so, the encouragement given by the Central Government to the State Governments to remove this difficulty;

(c) whether the Central Government propose to give some sort of assistance to the State Governments for this important work; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d). The importance of Rural Roads in the economy of rural areas is fully recognised and special emphasis on the development of these roads is duly being laid in the Fourth Five-Year Plan The State Governments are however primarily responsible for all roads (other than National Highways) including Rural Roads and they have agreed to allocate for Rural Roads in the Fourth Plan period 25% of their total Fourth Plan Outlay on Roads. There is no provision in the Fourth Five-Year Plan for any earmarked Central financial assistance for Rural Roads as the Central assistance for State Plan schemes under that Plan will be in the shape of block loans and block grants.

सिविल सेवा नियमों में परिवर्तन

3753 **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंग्रेजी से प्राप्त पुराने सिविल सेवा नियमों में परिवर्तन करेगी ताकि सराहनीय सेवा का रिकार्ड रखने वाले अधिकारियों को पदोन्नति का पात्र बनने पर कोटा-नियम के नाम पर पदोन्नति के अवसरों से वंचित न किया जाये जैसा कि प्रधान मन्त्री ने शीतकालीन अधिवेशन के अवसर पर घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इन भर्ती नियमों में कब तक परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) ऐसी कार्यवाही करने में विलम्ब करने के क्या कारण है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). भारत सरकार के अधीन विभिन्न केन्द्रीय असैनिक सेवाओं/पदों की भर्ती के नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए जाते है । इन नियमों के उपबन्धों में अन्य बातों के साथ साथ किसी विशिष्ट सेवा के पदों को भरने की प्रणाली/प्रणालियां समाविष्ट है । प्रत्येक सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी नियुक्तियों की एक अथवा एक से अधिक प्रणालिया जैसे कि सीधी भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति इत्यादि ऐसे नियमों में निर्धारित की जाती है । अतः जहां किसी सेवा के भर्ती नियमों में पदोन्नति के लिए कोटा तथा सीधी भर्ती के लिए भी अन्य कोटा निर्धारित हो वहां इरादा यह होता है कि सीधी भर्ती के जरिये सेवा की दक्षता के हित में नया खून आता रहे इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए केवल पदोन्नतियों द्वारा सभी पदों को भरने के लिए वर्तमान भर्ती नियमों में कोई संशोधन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

Demands of the Employees Union of the Inland Water Transport Directorate Patna

3754. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that Inland Water Transport Directorate Employees Union, Patna. have placed before the authorities some of their demands viz , recognition of the Union, commissioning of traffic services without further delay, creating a joint cadre, converting the temporary posts into permanent ones, regularising the workshop employees and declaring them permanent ; and

(b) if so, the reaction of Government in respect of their demands ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) . The demands of the Employees' Union fall under 3 categories:-

(i) Recognition of the Union ;

(ii) Introduction of traffic services ; and

(iii) Service matters of the employees.

The present position in regard to these demads is as follows :--

(i) Recognition of the Union : The grant of recognition to any Union can be considered only after the expiry of one year of its acceptance of the prescribed Code of Discipline. The Union in question has yet to communicate its acceptance of the Code. It has also not furnished certain basic information/documents.

(ii) Introduction of Traffic Services : The Committee on Inland water Transport is already axamining two schems for introducing river services on the Ganga, submitted by the Government of Bihar one between Patna and Buxar and the other between Bhagalpur and Karacola. Further action in this connection can be taken only after the report of the Committee has been received.

(iii) Service matters of the employees : These are under exmination in consultation with the Ministries concerned.

राजनीतिज्ञों, अध्यापकों, छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासनहीनता को समाप्त करना

3755. **डा० कर्णी सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हमारे देश के अत्याधिक जिम्मेवार तथा प्रगतिशील नेतागण राजनीतिज्ञों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों के मध्य व्याप्त अनुशासन हीनता की बड़ी आलोचना कर रहे हैं और यह समझा जा रहा हैं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि यदि इस अनुशासन हीनता को रोका न गया तो यह हमारे जीवन, लोकतांत्रिक प्रणाली को नष्ट कर सकती है ; और

(ख) क्या सरकार अनुशासन हीनता सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं की जांच करने तथा इसको कम करने और यदि सम्भव हो, एक सीमा से बाहर अनुशासन यंत्र होने पर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के उपाय सुझाने हेतु कोई उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करेगी ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसे विचार सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Terror of Goondas in Government Colonies in Delhi

3756. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the inaction on the part of the Police in Delhi has gone to the extreme;

(b) whether it is also a fact that there is a widespread terror of mostly outsider goondas in the colonies of Central Government employees in Delhi and these goondas terrorise the people mostly during the day time and family members of the employees are afraid of them ;

(c) whether it is also a fact that Seva Nagar is one of the colonies worst affected by the goondas and most of them are residents of this coloney and most of their guardians are not Government servants ;

(d) whether it is also a fact that such goondas surround the students returning from the night Schools and colleges and tease them ; and

(e) if so, the action taken by Government to check this menace and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Sukhla) : No, Sir.

(b) No such incident has been reported to the Delhi Police.

(c) and (e) . Some dissatisfaction has been expressed in Sevanagar area. Police takes necessary preventive, other lawful measures such as intensive patrolling and surveillance in affected areas. Police authorities have been instructed to keep stricter vigil in Seva Nagar area.

Strike of Dock Workers of Bombay Port in September 1969

3757. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the total amount of loss sustained as a result of the strike of the Dock Workers of Bombay Port in September this year ; and

(b) whether their demands, which were fulfilled after such a long time, could not be fulfilled earlier in the same manner.

The Deputy Minister in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) . (a) and (b) - Apart from a few token stoppages of work by certain sections of port workers at Bombay, there was no strike during September 1969.

Airport in District Garhwal

3758. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviaton be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the District Garhwal of Uttar Pradesh is lagging behind from strategic point of view ;

(b) whether it is also a fact that Shri Bhakt Darshan, M. P. from that place had given an assurance to the public of the area that he was trying for an Airport to be built in Garhwal ;

(c) if so, whether any proposal to modernise Garhwal on the lines of Kashmir and Kumaon is under consideration of Government ;

(d) whether it is a fact that a large number of tourists visit Garhwal; if so whether they have to face a lot of transport difficulties ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The strategic importance of Garhwal is given due consideration by Government in drawing up its plans.

(b) Government are not aware of any such assurance given by Shri Bhakt Darshan, M. P. Indian Airlines have no proposal for introducing services to Garhwal.

(c) The Fourth Five year Plan of the State Governmeut provides for construction of tourist bungalows at Pauri, Binsar, Srinagar and Naugarh in Garhwal, and Pilgrim Sheds at Rudraprayag and Deoprayag.

(d) and (e) . Though there is no sizeable foreign tourist traffic, a very large number of Indian pilgrims visit the religious centres in the Garhwal region.

Public transport is available to places connected by motorable roads, e. g. Badrinath, Guptakashi (for Kedarnath), Gangani (for Yamnotri), Jhala (for Gangotri), although there is scope for improvement and expansion of these services.

आनन्द मार्ग के धर्म चक्र पर आक्रमण

3759. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूच बिहार पश्चिमी बंगाल में साम्यवादी (मार्क्सवादी) लोगों ने अभी हाल ही में आनन्द मार्ग के धर्म चक्र पर आक्रमण किया था और उन्होंने आनन्द मार्ग के एक अनुयायी को दिन दहाड़े तथा अनेक लोगों के सामने निर्दयता से मार डाला था तथा अन्य 10 को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था ;

(ख) क्या आनन्द मार्ग के धर्म गुरू तथा अन्य तीस अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया और हत्यारों में से किसी को भी नहीं पकड़ा गया ; और

(ग) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी धार्मिक संस्थाओं, इसके प्रमुखों तथा मुख्य अनुयायियों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) . पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार आनन्दमार्गियों के बिना अनुमति प्राप्त किये कूच-बिहार में तीन दिन का सम्मेलन किया। स्थानीय लोगों ने भाले और दूसरे हथियार ले जाने वाले आनन्द मार्ग के अनुयायियों का विरोध किया और 28-8-1969 को सम्मेलन के स्थान के समक्ष प्रदर्शन किया। आनन्द मार्गियों द्वारा इस पर रोष प्रकट किया गया और इस पर झगड़ा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 20 व्यक्तियों को चोटें आई जिनमें आनन्दमार्गी, कुछ जनता के लोग और कुछ पुलिस कर्मचारी थे। एक आनन्दमार्गी की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। आनन्द मार्ग के प्रधान श्री आनन्दमूर्ति और 28 दूसरे व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/153क और भारतीय विस्फोटक अधिनियम के कुछ उपबन्धों के अन्तर्गत तीन मामले दर्ज किये गये हैं। कानून के न्यायालय पहले ही मामले से अवगत हैं।

मैसूर राज्य में हास्पेट में एक हवाई अड्डे का निर्माण

3760. **श्री स० अ० अगडी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में तुंगभद्रा बांध के बाई ओर गिनिगेर में हैम्पी ध्वंसावशेष के समीप हास्पेट में एक हवाई अड्डे का निर्माण का प्रस्ताव अब किस स्तर पर निर्णयाधीन है ;

(ख) अन्तिम रूप से इसकी लागत का अनुमान क्या है तथा इस पर निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने भी हास्पेट में इस हवाई अड्डे के निर्माण की सिफारिश की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : हौस्पेट में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्राक्कलन को पुन: तैयार किया गया है और अब इसकी लागत का अनुमान लगभग 40.18 करोड़ रुपये है। धन की कमी के कारण चौथी योजना में इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकी, परन्तु इस प्रायोजना के लिये नागर विमानन विकास निधि से वित्तीय व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ग) इस प्रस्ताव को पर्यटन विभाग के अनुरोध पर प्रवर्तित किया गया है।

मैसूर राज्य में संरक्षित स्मारक

3761. श्री स० अ० अगडी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के वेलेरी, रायचूर तथा धारवाड़ जिलों में सीधे केन्द्र सरकार के अधीन कौन कौन से स्मारक हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि धारवाड जिले में, गाडाग में वास्तुकला के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्मारकों के देखभाल की बड़ी बुरी दशा है तथा वहां देखभाल के लिये कोई चौकीदार भी नहीं रखा गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसूर राज्य के धारवाड़ जिले के लकुण्डी तथा गाडाक में अनुपस्थिति रहने वाले चौकीदार है जो कि अपने घरों में बैठे बैठे वेतन प्राप्त कर रहें हैं; और

(घ) क्या धारवाड़ जिले में लक्कुण्डी के कुम्बैरश्वर मन्दिर में बने अवैध निर्माणों को हटा दिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह): (क) मैसूर राज्य के बल्लारी, रायचूर और धारवाड़ जिलों में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2355/69**]

(ख) जी नहीं, यद्यपि वहां कोई चौकीदार नहीं है, गाडाग के स्मारक भली भांति संरक्षित हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

मलिमल्लेश्वर में अशोक के शिला लेखों तक पहुंचने के लिए प्रवेश मार्ग का निर्माण

3762. श्री स० अ० अगड़ी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के रायचूर जिले में कोप्पल के समीप मलिमल्लेश्वर में अशोक के शिला लेखों तक पहुँचने के लिये प्रस्तावित सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तथा जो भाग बन पाया है उसका रख रखाव समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो शिला-लेखों तक पहुँचने वाली इस सड़क का निर्माण पूरा करने तथा इसके रख रखाव के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह): (क) और (ख). ऐसा समझा जाता है कि संकेत कोपबल में पालीकीगुंडु और गवीमट की पहाड़ियों में स्थित अशोक के दो शिला लेखों की ओर है । यदि ऐसा है तो शिलालेखों तक पहुँचने वाली सड़कें सुरक्षित सीमाओं से बाहर है और इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उन पर कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं है। इन पहुँचने वाली सड़कों के निर्माण तथा देख-रेख का दायित्व राज्य सरकार पर है।

बंगलौर में पांच स्टार वाले होटल के भवन का निर्माण

3763. **श्री स० अ० अगडी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में पांच स्टार वाले होटल के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस शिथिल गति के क्या कारण है ; और

(ग) इस भवन की कुल अनुमानित लागत क्या है और यह होटल सम्भवतः कब तक चालू हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं। होटल का अभी निर्माण हो रहा।

(ख) और (ग) . होटल की कार्यक्षमता में सुधार करने की दृष्टि से इसके प्लानों का पुनरीक्षण किया गया था जिसके कारण कुछ विलम्ब हो गया इस प्रोजेक्ट के कुल 150 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1970 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि

3764. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में प्राथमिक तथा उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्यों के साथ बातचीत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। चूंकि स्कूल की शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों का है, अतः इस प्रकार की कार्यवाही करने का काम उनका है। स्कूलों के शिक्षकों के वेतन मानों के पुनरीक्षण के बारे में शिक्षा आयोग की सिफारिशें राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ और क्रियान्वित के लिये भेजी गई थी। कुछ राज्य इन सिफारिशों को पहिले से क्रियान्वित कर चुके हैं।

केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा (अपर डिवीजन ग्रेड) परीक्षा

3765. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1966 में होने वाली केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा (अपर डिवीजन ग्रेड) परीक्षा केन्द्रीय सरकार क्लर्कस संघ की मांग पर रद्द कर दी गई थी;

(ख) क्या इस परीक्षा को दिसम्बर, 1969 में आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी क्लर्कस संघ की ओर से उस परीक्षा को रद्द करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(घ) क्या संसद सदस्यों ने भी इस प्रकार की मांग की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) . जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) कुल मिलाकर सेवा के व्यापक हितों में तथा दक्षता के हित में नियमों के अनुसार उक्त परीक्षा लेने का निर्णय किया गया ।

C. B. I. Investigation into a firm in Bhagalpur (Bihar)

3766. Shri Yogendra Sharma : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item appearing in the Hindi daily 'Arya Vart' published from Patna on the 31st August 1969 in which has been stated that C. B. I. is making investigations about a firm of Bhagalpur which received payment of about Rs. 14 lakhs and 80 thousand from Bihar Electricity Board, but the electrical goods for the supply of which the said payment was received, actually belonged to the Electricity Board ; and

(b) if so, the name of the said firm and the action taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government have seen a news item appearing in the news-paper 'Aryavarta' dated 31st August, 1969 under the heading."

The Central Bureau of Investigation are not conducting investigation into any case of alleged income tax evasion concerning a firm in Bhagalpur. Central Bureau of Investigation are, however. investigating cases relating to varius trnsactions involving officials of the Electricity Works Departments, Bihar. During the investigation conducted in these cases so far, no firm of Bhagalpur has come to notice.

(b) Does not arise.

दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल

3767. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान दिल्ली नगर निगम का कार्य-काल 1971 में समाप्त होगा ;

(ख) क्या सरकार का विचार आम चुनावों के साथ निगम के चुनाव कराने के लिए, इसके कार्य-काल की अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) ऐसे स्थगन के औचित्य के लिए अभी तक कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में चोरी छिपे लाये गये आग्नेय-अस्त्र

3768. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को अभी हाल ही में इस आशय की जानकारी मिली है कि पश्चिमी बंगाल में कुछ राजनैतिक दलों के सुयोजित संगठनों को अपनी हिंसात्मक और विघटनकारी गतिविधियां चलाने के लिए तथा इस प्रकार देश में अराजकता फैलाने और देश की सुरक्षा तथा अखण्डता को खतरा पैदा करने के लिए, बन्दूकों, दुनाली रायफलों, रिवाल्वरों तथा हथगोलों की सप्लाई की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) तो शस्त्र आदि प्राप्त करने वाले दलों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या सरकार को इन शस्त्रों आदि की सप्लाई के स्त्रोत का पता लगाने में सफलता मिली है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और शस्त्रों की इस तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (ङ) . प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के अध्ययन के लिए एक केन्द्र की स्थापना

3770. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार तथा जापान के मध्य दिल्ली विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के अध्ययन के लिए एक केन्द्र खोलने सम्बन्धी एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार का ब्यौरा क्या है तथा भारत की ओर से इस पर कितनी धन राशि खर्च होगी ;

(ग) क्या ऐसे ही केन्द्र भारत के कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास जैसे अन्य प्रमुख नगरों में भी खोले जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों को जापानी मामलों और संस्कृति तथा साथ ही जापानी भाषा के शैक्षिक अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। जापान सरकार केन्द्र को उस समय तक शिक्षण स्टाफ तथा आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध करती रहेगी जब तक कि स्थानीय शिक्षण स्टाफ पाठ्यक्रमों की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए समर्थन न हो जाए।

भारत सरकार, जापानी शिक्षण स्टाफ को वही विशेषाधिकार और सुविधाएं प्रदान करेगी जो कोलम्बो योजना (विवरण) के अधीन विशेषज्ञों को प्रदान की जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय उन्हें विजिटिंग प्रोफेसरों/प्राध्यापकों का पदनाम और ऐसे अन्य विशेषाधिकार प्रदान करेगा जो विश्वविद्यालय में इसी स्तर के अध्यापकों को दिए जाते हैं।

(ग) और (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

जापान के शिक्षण स्टाफ के सदस्यों को दिये जाने वाले विशेषाधिकार और सुविधायें :

(क) जापान से जापान के शिक्षण स्टाफ के वेतनों के प्रेषण पर आय कर की छूट।

(ख) जापान के शिक्षण स्टाफ द्वारा वचन के सामान्य प्रमाणपत्र देने पर निम्नलिखित वस्तुओं को शुल्क मुक्त आयात :

1. एक निजी मोटर गाड़ी अथवा मोटर साइकिल :
2. एक रेडियो अथवा रेडियो ग्रामोफोन :
3. एक रैफ्रीजरेटर और/अथवा होम फ्रीजर :
4. दो वातानुकूल येत
5. बिजली के छोटे सहायक यन्त्र :
6. व्यावसायिक उपकरण और जुगत

(ग) कुछ उपभोक्ता वस्तुओं (खाद्य पदार्थ, औषध, दवाइयां, शराब, तम्बाकू, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकायें प्रसाधन सामग्री आदि) का निम्नलिखित अधिकतम राशि की सीमा तक शुल्क मुक्त आयात :

1. यदि अविवाहित है, तो 4,500 रुपये (केवल चार हजार और पांच सौ रुपये) प्रति वर्ष ; और
2. परिवार वालों के लिये (चाहे बच्चे कितने ही हों प्रति वर्ष 7,500 रुपये केवल सात हजार और पांच सौ रुपये)

जापान के शिक्षण स्टाफ के सदस्यों को उपरोक्त वस्तुओं का आयात करने के विशेषाधिकार उन्हीं शर्तों के अन्तर्गत होंगे जो कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञों को प्राप्त हैं।

अभिलेखागारों के बारे में कानून

3771. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अभिलेखागार सम्बन्धी कोई कानून नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि ऐसे कानून की अनिवार्य आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले नौ वर्षों के दौरान इस प्रकार का कोई कानून संसद के समक्ष न लाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में एक विधेयक संसद में पेश करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख) . जी, हां ।

(ग) से (ङ) . इस मामले में जो विलम्ब हुआ है उसके लिए सरकार को खेद है । इस मामले में देर हो गई है । कानूनी, वैधानिक, वित्तीय तथा प्रशासनीय जटिलताओं की जांच और राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सांविधिक और अन्य निकायों से परामर्श करने के अलावा जिसमें काफी समय लग जाता है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को लागू होने वाले प्रस्तावित अभिलेखागार सम्बन्धी कानून द्वारा जिन दायित्वों को सामना करना होगा उनके लिए सरकार अग्रिम सम्वर्ती सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, यथाशीघ्र संसद के समक्ष विधेयक लाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाएगा ।

नौवहन विकास निधि

3772. **श्री प्रेमचंद वर्मा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन विकास निधि से भारतीय जहाजरानी कम्पनियों को वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां तो, वित्तीय सहायता किन शर्तों पर तथा कितनी दी जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस निधि का वास्तव में प्रयोग नहीं किया गया है तथा लगभग कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सहायता प्राप्त करने वाली पार्टियों के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो 1967-68 तथा 1968 69 में कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे तथा कितनी-कितनी धन-राशि दी गई थी ।

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। जहाजों के खरीद के लिए शिपिंग डेवलपमेंट फन्ड कमेटी ने जिन मुख्य शर्तों पर ऋण मंजूर किया वे निम्न प्रकार हैं:—

(1) ऋण की अधिकतम मात्रा नये जहाजों के मामले में कीमत का 90 प्रतिशत है। (हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में निर्मित जहाजों के मामले में 95 प्रतिशत) और वरते हुए जहाजों के मामले में मूल्य का 75 प्रतिशत है।

(2) नये जहाजों के लिये ऋण के मामले में ऋण के परिशोधन का अधिकतम अवधि 18 वर्ष है और वरते हुए जहाजों (पूरा आयकर जीवन का 20 वर्ष होने पर) के मामले में शेष आयकर जीवन का 3/4 हिस्सा हैं। दो वर्ष का अधिस्थगन काल की प्रारम्भिक अवधि अनुमत्य है, यदि उधार लेने वाली कम्पनियों ने मांगा हो (हि० शि० लि० द्वारा निर्मित जहाजों के मामले में प्रतिशोधन की अधिकतम अवधि अधिस्थगन काल के 3 वर्ष के सहित 19 वर्ष है)।

(3) ऋण पर ब्याज 8% प्रति वर्ष है परन्तु यदि मूलधन की अदायगी और ब्याज की आदायगी विहितदेय तारीख तक की जाती है तो ब्याज की दर घटा कर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी जाती है।

(4) ऋण की जमानत अधिकांश मामलों में जहाजों को गिर्वी रख कर दी जाती है और दूसरे मामलों में वित्तीय संस्थानों से मान्य प्रत्याभूति के रूप में होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1967 68 में 17 और 1968-69 में 10 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। 1967-68 में 1373.32 लाख रुपये की राशि और 1968-69 में 1971.04 लाख रुपये दिये गये।

Progress in Construction of Road to Assam

3773. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the progress made in the construction of Assam Road under the Lateral Road Project;

(b) whether it is a fact that work on this Road in U. P. State has come to a standstill; and

(c) if so, the reasons therefor and the time likely to be taken in resuming the work ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to the Lateral Road from Bereilly to Amingaon. Out of 23 major bridges,

129 medium bridges and 153 minor bridges, 16 major bridges, 40 medium bridges and 45 minor bridges have been completed. Out of 873 miles, 103 miles of roads have been completed. The work on the remaining miles and the bridges is at various stages of progress.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

केरल में भारत विरोधी नारे

3774. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल मे जनवरी, 1969 में कुछ व्यक्तियों ने भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक नारे लगाये थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केरल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जनवरी 1969 में केरल राज्य में ऐसे कोई नारे नहीं लगाये गये थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर गोलीकांड

3775. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुप्तचर विभाग के उप महानिरीक्षक ने दुर्गापुर गोलीकांड के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस के सिपाही नियंत्रण से बाहर हो गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने इन्जीनियरिंग कालेज में प्रवेश किया तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाही की; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि समस्त विषय की उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त जज श्री टी० पी० मुकर्जी द्वारा जांच की गई थी । उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई, 1966 को सार्वजनिक सूचना के लिए सरकारी गजट में प्रकाशित की गई है ।

Attacks on Sadhus and Sanyasis of Anand Marg

3776. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that extremist leftists of West Bengal have started lunching armed attacks on Sadhus and Sanyasis of Anand Marg to drive them out of the State and have assaulted and injured many of these Sanyasis;

(b) the details in this regard; and

(c) whether these Sadhus and Sanyasis have requested the Government of India to take suitable measures for their safety ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Government of West Bengal have reported that they have no such information. A reference is however invited to the answer furnished to Unstarred Question No. 3759 today in the Lok Sabha regarding incidents at Cooch Behar.

Construction of a road between Pahalgam and Amarnath

3777. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to stare whether arrengements are being made to construct a Pucca road between Pahalgam (Kashmir) and Amarnath to reduce the inconvenience caused to the lakhs of pilgrims visiting Amarnath from Pahalgam every year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Government are anxious to provide facilities for the very large number of pilgrims who visit Amarnath shrine annually. A jeepable road has already been constructed to Chandanwari. The terrain beyond Chandanwari upto the shrine is however verys teep and it would be difficult to construct a proper road from Pahalgam. A bridle path is being maintained in proper condition for the convenience of pilgrims.

Demand for Ladakh as Union Territory

3778. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Action Committee of the Buddha Sangh of Leh, Ladakh have informed the Government of India of their decision to launch an agitation in order to press their demand for declaring Ladakh as a Union Territory; and

(b) if so, the steps being taken by Government to meet the said demand ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise. Attention is in this connection invited to the reply given to Starred Question No. 271 on 1st August, 1969, in this House.

विमानों में उन्नतांशमापकों (आल्टीमीटरों) का लगाया जाना

3779. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान उतारने तथा उड़ाने के लिये कम से कम क्या जानकारी अपेक्षित है;

(ख) क्या दबाव के उतार चढ़ाव से चलने वाले उन्नतांशमापक सभी विमानों में लगाये जाते हैं;

(ग) क्या उन्नतांशमापक खराब होने के कारण अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं;

(घ) क्या पनागढ़ हवाई अड्डे तथा चकुलिया हवाई अड्डे में जो डम डम हवाई अड्डे के बैकलिप अड्डे हैं, विमान चालकों के लिये उन्नतांशमापक नहीं लगाये गये हैं;

(ड़) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिये गये हैं और यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिह) : (क) अपेक्षित न्यूनतम जानकारी निम्न प्रकार है :—

(i) विमान उड़ाने और उतारने के लिए उन्नतांशमापन व्यवस्था (आल्टीमीटर सैटिंग) (क्यू० एन० एच०),

(ii) विमान उतारने के लिए विमानक्षेत्र का वायु दाब (एयर फील्ड प्रेशर) (क्यू० एफ० ई०),

(iii) पृष्ठीय वायु (सर्फेस विंड),

(iv) पृष्ठीय ताप (सर्फेस टेम्प्रेचर),

(v) आर्द्रता,

(vi) क्षैतिज दृश्यता (धावनपथ-दृश्यता परास),

(vii) मेघ तल, मेघों की मात्रा तथा प्रकार;

(viii) जल-रोध, तुषार, संरोध (ब्लाकेज), धावनपथ प्रकाश-व्यवस्था आदि की दृष्टि से धावनपथ की उपयोगिता।

(ख) जी, हां।

(ग) विश्व के बहुत से भागों में कई दुर्घटनायें दोषपूर्ण उन्नतांशमापकों के कारण हुई हैं।

(घ) और (ड़) पानागढ़ में उन्नतांशमापकों (प्रेशर वैल्यूज) की व्यवस्था की गई है। चकुलिया के लिये भी ऐसे प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(च) जी, हां। भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ तथा इंडियन एयर लाइन्स ने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजे थे। इस सम्बन्ध में उठाये गये कदम ऊपर भाग (घ) और (ड़) में बताये गये हैं।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से जहाज खरीदने का करार

3780. श्री क० प्र० सिह देव : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से जहाज खरीदने के बारे में उस देश के साथ हाल ही में करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर कितना धन खर्च होने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार ने इसके साथ ही साथ देशी जहाज खरीद कर भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की सहायता करने के प्रयास किये हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). जर्मनी से जहाजों के खरीद के लिये भारत सरकार और जर्मन लोकतंत्र गणतंत्र के सरकार के बीच कोई करार नहीं हुआ है। परन्तु चालू वित्त वर्ष में 10 जहाजों के निर्माण के लिये जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य में एक शिपयार्ड को दो भारतीय कंपनियों ने एक ठेका दिया है। मोटा ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

जहाज की किस्म	—	माल जहाज
कुल भार	—	प्रत्येक 12,920 टन से 14,900 टन तक के।
मूल्य :	—	प्रत्येक जहाज 3.147 करोड़ रुपये से 4-125 करोड़ रुपये तक।
अदायगी की शर्त	—	सुपुर्दगी की तारीख तक मूल्य का 20 प्रतिशत और शेष 80 प्रतिशत 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रत्येक जहाज के सुपुर्दगी के 1 वर्ष बाद प्रारम्भ होना और उस पर ब्याज 3.75 प्रतिशत।

(घ) जी, हां। सरकार द्वारा 'भारतीय पोत' निर्माण उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये निम्न लिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को उपादान देना ताकि वे जहाजों के उत्पादन के लागत और उनकी विक्रय मूल्य के बीच के अन्तर को वहन कर सकें।

(2) चौथी योजना की अवधि के लिये उक्त शिपयार्ड की सम्पूर्ण क्षमता के लिये आदेश प्राप्त करना।

(3) विकास कार्यक्रम को धन देने के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड के शेयर पूंजी में सरकार का धन लगाना।

(4) सूखी गादी के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को धन देना।

(5) 1968 में एक समिति स्थापित करना जो सरकार को पोत निर्माण, पोत मरम्मत और पोत सहायकों के निर्माण के मामले में सलाह देना।

(6) 1968 में एक विकास कक्ष की स्थापना, ताकि पोत सहायकों को जो अब तक आयात किये जाते थे, के देश में निर्माण को प्रोत्साहन मिल सके। और

(7) रांची में एक समुद्री इंजन संयंत्र लगाना, जिसकी 1971 से आगे जहाजों के बनाने के लिये आवश्यक मुख्य इंजनों के उत्पादन की संभावना है।

महानगरों में यातायात परिवहन के बारे में हुई विचार गोष्ठी की सिफारिशें

3781. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित हुई महानगरों में यातायात परिवहन सम्बन्धी गोष्ठी में यातायात की समस्याओं को हल करने हेतु पूर्ण अधिकार प्राप्त एक स्वीकृत महानगर प्राधिकरण का गठन करने का सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विचार गोष्ठी में दिये गये इस सुझाव तथा अन्य सुझावों पर विचार कर लिया हैं;

(ग) यदि हां, तो उससे सम्बन्धित प्रमुख बातें क्या हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). सैमीनार की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Uniformity in Primary Education

3782. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Public Schools are a hindrance in bringing about uninformity in the system of primary education;

(b) if so, whether it is also a fact that his Ministry has taken a decision to abolish Public Schools in Delhi at least; and

(c) if so, the time by which this decision would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Literacy in India

3783. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh :
Shri B. P. Mandal :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the position in regard to literacy in the country at present and the State-wise details thereof;

(b) whether Government have prepared any scheme to bring about total literacy in the entire country within a specified period and, if so, the details thereof; and

(c) whether the various States were also consulted in this regard and, if so, the details thereof ?

The Minister of State for Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The percentage of literacy in India and for each State, as shown in the census of 1961, is given in the Annexure. [Placed in Library. See No. LT 2356/69]. In 1969 the percentage of literacy for the country as a whole is estimated to have risen to 33 (as against 24 in 1961). Statewise estimated of literacy for 1969 are not available.

(b) For early attainment of mass literacy, it is necessary to provide, as soon as possible, compulsory primary education to all children; and side by side, to organise literacy campaigns amongst adults. Both these are the responsibilities of the various State Governments. To the extent finances permit, the State Government are providing for expansion of primary education; and it is proposed to enrol, in the Fourth Plan, 124 lakhs of additional children at the primary stage and to raise the percentage of the children of the age group 6-11 enrolled from 78% in 1968-69 to 85% in 1973-74. For the spread of literacy amongst adults, the following programmes are proposed to be developed :—

(1) Mobilisation of voluntary efforts and local community resources;

(2) Conduct of pilot projects in selected districts and their extension to other area sin the light of experience gained;

(3) A programme of farmers' education and functional literacy to cover a million farmers;

(4) Organisation of literacy classes with the help of students, as a part of the National Service Scheme; and

(5) Establishment of a National Board of Adult Education to advise the Government on the development of programmes and for enlisting the cooperation of all the interests concerned and different agencies involved.

In view of the immense magnitude of the problem and the constraint of resources, however, it may not be possible to attain universal literacy within the 4th Plan period.

(c) The proposals stated above in (b) have been drawn up by the Central Government in consultation with the State Governments, while formulating the Fourth Plan programmes.

पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पदों का आवंटन

3784. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या गृह-कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाबी सूबा बनाते समय पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश-इन तीन राज्यों को-भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पदों का आवंटन करने के लिये क्या सिद्धान्त अथवा मापदण्ड निर्धारित किये गये थे; और

(ख) इन सिद्धान्तों अथवा मापदण्डों से कुप्रभावित अधिकारियों को क्या राहत दी गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पदों का आवंटन प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर और जहां आवश्यक था, नये पदों का सृजन करके किया गया था। यह आवंटन शंकर समिति की सिफारिशों पर किया गया था।

पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का आवंटन भी शंकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

पदों तथा अधिकारियों के आवंटन के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें देते समय समिति ने विभिन्न एककों की आवश्यकताओं, संतुलित संवर्गों को बनाने की आवश्यकता तथा एककों के विकास की आवश्यकताओं समेत विशेष आवश्यकताओं समेत सभी सम्बन्धित पक्षों को ध्यान में रखा।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के आवंटन अन्तिम समझे गये थे और उनके सम्बन्ध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया था।

पालम हवाई अड्डे पर स्कूटर खड़े करने का शुल्क

3785. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर कार खड़ी करने पर अब एक रुपया शुल्क लिया जाने लगा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पालम हवाई अड्डे पर स्वयं चलाने वाले दो पहियों वाला स्कूटर खड़ा करने पर भी प्रति स्कूटर एक रुपया शुल्क लिया जाता है, जबकि दिल्ली और नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन, क्रय-विक्रय क्षेत्रों आदि अन्य सभी स्थानों पर केवल 25 पैसे लिये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो शुल्क में अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या शुल्क कम करके उसे 25 पैसे करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सभी श्रेणियों के वाहनों के लिये प्रति वाहन एक रुपये का समान पार्किंग शुल्क लिया जाता है।

(ग) से (ङ). यातायात की प्रकृति और हवाई अड्डे की विशेष आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए समान शुल्क लेने का निर्णय किया गया था। विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये अलग-अलग शुल्क दरें नियत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूमि सम्बन्धी अशान्ति

3786. **श्री भजहरि महतो :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के नीति आयोजन तथा अनुसन्धान प्रभाग ने भूमि सम्बन्धी अशान्ति तथा भूमि सुधार के लिये किसानों के आन्दोलनों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है; और

(ख) क्या इस अध्ययन का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) एक सारांश सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2357/69]

वर्तमान पर्यटन सुविधाओं में सुधार

3787. श्री स० चं० सामन्त : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार्टर विमानों की उड़ानों की संख्या पर सभी प्रतिबन्ध हटाये जाने के फलस्वरूप विदेशी पर्यटकों को चार्टर उड़ानों की संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना को देखते हुए उनके मंत्रालय का विचार पर्यटक सुविधाओं में क्या सुधार करने का है;

(ख) क्या लम्बी प्रक्रिया तथा उससे होने वाली अत्यधिक देरी से पर्यटकों को राहत देने के उद्देश्य को सीमाशुल्क की जांच-पड़ताल संबंधी प्रक्रिया में कोई सुधार किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) पर्यटन संबंधी दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करने की दृष्टि से क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटकों के लिये होटल आवास में वृद्धि, पर्यटक बंगलों आदि के रूप में वर्तमान अनुपूरक आवास में सुधार, और परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) इस पहलू पर निरंतर विचार किया जाता है। दल के सदस्यों के सामान के सम्बन्ध में दल के नेता द्वारा हस्ताक्षरित केवल एक 'सामान पुनर्निर्यात प्रपत्र' अब स्वीकार कर लिया जाता है।

(ग) औपचारिकताओं के सुनिर्वाह एवं सरलीकरण के लिये एक उच्च स्तरीय सरलीकरण समिति स्थापित की गई है। यात्रियों की शीघ्र निकासी की व्यवस्था करने के लिये समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सरणि निर्धारण पद्धति (चेनलिंग सिस्टम) को चालू करने और आगमन पर पूरे किये जाने वाले सभी कागजातों को एक आरोहण/अवरोहण पत्र (इम्बार्केशन/डिसिम्बार्केशन कार्ड) के रूप में समेकित करने की सिफारिश की है।

"सोलिडस्टेट माइक्रो-इलैक्ट्रोनिक्स फेरिट्स" का देश में उत्पादन

3788. श्री स० च० सामन्त : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनैन्ट बनाने वाले एक प्रमुख उच्च व्यक्ति द्वारा रेडियो तथा टेलीविजन मशीनरी में प्रयुक्त होने वाली एक नई पद्धति "सोलिड स्टेट माइक्रोइलैक्ट्रोनिक्स फेरिट्स इन्ट्रीरटिड सर्किट्स", का देश में ही निर्माण आरम्भ करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस नवीन पद्धति से क्या लाभ है; और

(ग) इस पद्धति द्वारा लाघवता लाने में कितनी सफलता मिलेगी जिससे कि रेडियो रिसीवरों का आकार छोटा करने, अधिक विश्वसनीयता लाने तथा कच्चे माल की खपत में कमी करने में सहायता प्राप्त हो सके।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सोलिड स्टेट इलैक्ट्रोनिक सर्किट, जो इन्टेगेरेटिड सर्किट हैं, का (1) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बम्बई, (2) केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी संस्थान पिलानी, और (3) सोलिड स्टेट फिजिक्स प्रयोगशाला, दिल्ली में विकास किया जा रहा है।

फेराइटों का भी, जो इलैक्ट्रोनिक संघटक है, (1) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, (2) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना, (3) सोलिड स्टेट फीजिक्स प्रयोगशाला, दिल्ली और (4) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में विकास किया जा रहा है।

(ख) नवीन पद्धति का यह लाभ है कि इससे रेडियो और टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले संघटकों का आकार काफी कम हो जाएगा।

(ग) इन्टेगरेटड सर्किट्स बहुत से संघटकों का स्थान ले सकते हैं और इनसे लघु रेडियो रीसिवरों का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा सकता है। इसके अलवा, इन्टेगरेटड सर्किट्स अपनाने से उच्च विश्वसनीयता और लागत में कमी का बहुत फायदा है।

बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम

3789. श्री स० च० सामन्त : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण है कि 'केयर' संगठन से प्राप्त होने वाली सहायता के अन्तर्गत बच्चों के लिये 1962–63 में उनके मंत्रालय द्वारा आरम्भ किये गये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का आगे विस्तार नहीं किया गया है;

(ख) क्या 1966–68 में अकाल सहायता के रूप में बिहार को दी गई विशेष सहायता अब भी दी जायेगी अथवा उसका आंशिक अथवा पूरा भाग अन्य आवश्यकता वाले क्षेत्रो को दे दिया जायेगा;

(ग) इस कार्यक्रम में भारत सरकार का क्या अंशदान है; और

(घ) क्या इस सहायता को प्राप्त करने वाली राज्य सरकारें भी इस कार्यक्रम में अपना अंशदान देती हैं और यदि हां, तो कैसे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 42 लाख बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की योजना पांच राज्यों में 1962–63 में शुरू की गयी थी। अब उसका विस्तार 14 राज्यों में किया गया है और इससे 131 लाख० के लिए भोजन की व्यवस्था है।

(ख) बिहार के लिए दी गयी विशेष सहायता समाप्त करदी है। चालू वर्ष के लिए ऐसी कोई व्यवस्था न हीं और न हीं ऐसा विचार है कि किसी अन्य क्षेत्रों के लिए इसकी व्ययस्था की जाए।

(ग) और (घ) . इस योजना के परिचालन पर होने वाला प्रासंगिक तथा प्रशासनिक व्यय राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जा रहा है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, ऐसे खर्चे का 1966–67 तक 33.3 प्रतिशत और 1967–68 तथा 1968–69 के दौरान 40 प्रतिशत इसके द्वारा पूरा किया गया। चौथी आयोजना से केन्द्रीय सहायता का ढांचा बदल गया है और भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता योजनावार न देकर ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है।

स्कूलों के प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमानों का संशोधन

3790. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री क० लक्प्पा :
श्री लखन लाल कपूर :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने स्कूलों के प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमानों में संशोधन करने के बारे में 1967 में शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सिफारिशें सभी श्रेणियों के प्रयोगशाला सहायकों पर लागू की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो किन–किन श्रेणियों के वेतनमानों में संशोधन किया जा रहा है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) से (घ) दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उन सभी प्रयोगशाला सहायकों को वेतनमान जो 21-12-67 को काम पर थे, वित्त मंत्रालय की सहमति से हाल ही में परिशोधित किया गया है।

जहां तक विभिन्न राज्यों के स्कूलों में काम करने वाले प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमानों के परिशोधन का प्रश्न है, इसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग सम्बन्धी ज्ञापन

3791. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री के० रमानी :**

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में कोई ज्ञापन–पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग होती रही है।

(ख) हाल के साम्प्रदायिक दंगों को ध्यान में रखते हुये सरकार ऐसे संगठनों की गतिविधियों के विरुद्ध उपाय करने पर विचार कर रही है जो धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न धार्मिक और जातीय वर्गों के बीच असंगति अथवा बैर, घृणा अथवा द्वेष की भावना को फैलाते हैं अथवा फैलाने का प्रयास करते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका की सूचना सेवा के अधिकारियों की छात्र नेताओं के साथ भेंट

3792. **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सूचना सेवा के तीन अधिकारियों ने उन छात्र नेताओं के साथ, जिन्होंने गोहाटी, आसाम में हाल में हड़ताल आयोजित की थी, भेंट की; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस समय उनकी गतिविधियों की जांच की है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बताया जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सूचना सेवा के दो अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमरीका सूचना सेवा पुस्तक प्रोग्राम के सम्बन्ध में अपने कार्यालयी कार्य के दौरान सितम्बर, 1969 के महीने में गोहाटी और शिलांग का दौरा किया। उनकी कोई प्रतिकूल गतिविधियां ध्यान में नहीं आई हैं।

ग्राम गीता का अनुवाद

3793. **श्री देवराव पाटिल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संत तुकडोजी महाराज की "ग्राम गीता" का सभी भाषाओं में अनुवाद कराने का काम अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम को कब तक पूरा करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). संत तुकडोजी महाराज की "ग्राम गीता" का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का काम भारत सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया है।

गृह-कल्याण केन्द्र

3794. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री 29 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5392 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह–कल्याण केन्द्र, जिसे पंजीकृत संस्था बताया जाता है, के सदस्यों के नाम, पदनाम तथा पते क्या हैं, तथा इस संस्था के पदाधिकारियों के नाम, पदनाम तथा पते क्या क्या हैं;

(ख) उक्त केन्द्र के गत तीन वर्षों के आय और व्यय के लेखे तथा आस्तियों और दायित्व के लेखे क्या–क्या हैं;

(ग) विभिन्न बस्तियों में तथा अन्यत्र गृह–कल्याण केन्द्रों में अध्यापकों को क्या वेतनमान दिया जाता है;

(घ) विभिन्न किस्मों की श्रेणियों के प्रशिक्षणार्थियों अथवा बच्चों से कितना–कितना शुल्क लिया जाता है; और

(ङ) विभिन्न केन्द्रों में चौकीदारों, चपड़ासियों तथा दर्जियों को प्रति मास कितना कितना वेतन दिया जाता है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गृह कल्याण केन्द्र मई, 1965 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन, एक संस्था के ज्ञापन के अनुसरण में, जिसकी एक प्रति सलग्न है पंजीकृत किया गया था।

गृह कल्याण केन्द्र बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम, पदनाम तथा पते इस प्रकार हैं :—

श्री एल० पी० सिंह, सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

अन्य सदस्य :

1. श्री उमा शंकर, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. श्री बी० आर० पटेल, सचिव, कृषि विभाग, नई दिल्ली।
3. श्री जी० के० भनौट, संयुक्त सचिव वित्त-मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. श्री एन० जे० कामथ, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. श्री ई० कोलेट, संयुक्त सचिव और भाड़ा नियंत्रण, परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय (परिवहन सम्बन्ध) नई दिल्ली।
6. श्री पी० एन० नाटू, मुख्य कल्याण अधिकारी, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. कुमारी सी० ए० राधाबाई, उप-सचिव, गृह मंत्रालय जो गृह कल्याण बोर्ड की सचिव बोर्ड की संयोजक भी हैं।

अन्य कार्यकर्ता :

श्रीमती नीलिमा बनर्जी उप संयोजक, गृह कल्याण केन्द्र, 19 महादेव रोड, नई दिल्ली।

(ख) गृह कल्याण केन्द्र के 1965–66, 1966–67 और 1967–68 के आय और व्यय का खाता तथा परिसंपत्ती और दायित्वों के खाते का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2358/69]। 1968–69 के खाते को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) गृह कल्याण केन्द्र के शिक्षकों, जो विभिन्न बस्तियों तथा अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, निम्नलिखित मात्रा में मानदेय (न कि वेतन) दिये जाते हैं :—

	कार्य के घन्टे
शिक्षक (शिल्प) 75 रु० से 150 रु० प्रतिमाह	4½ घन्टे
शिक्षक (नर्सरी) 75 रु० से 100 रु० प्रतिमाह	3 घन्टे
शिक्षक (संगीत) 40 रु० से 100 रु० तक प्रतिमाह	1–2 घन्टे

(घ) विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षणार्थियों से निम्नलिखित शुल्क लिया जाता है:—

		शिक्षण शुल्क
(1)	**शिल्प**	
	सिलाई, कढ़ाई अथवा मशीन कढ़ाई	3 रु० प्रतिमाह
	ग्रीष्म अवकाश पाठ्यक्रम	
	एक विषय के लिये	5 रु० प्रतिमाह
	दो विषयों के लिये	8 रु० प्रतिमाह
	प्रवेश शुल्क	2 रु०
	परीक्षा शुल्क	2 रु०
(2)	**बाल केन्द्र**	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बालकों के लिये	1 रु० प्रतिमाह
	तृतीय श्रेणी कर्मचारी के बालकों के लिये	2 रु० प्रतिमाह
	द्वितीय श्रेणी कर्मचारी के बालकों के लिये	3 रु० प्रतिमाह
	गैर सरकारी कर्मचारियों के बालकों के लिए	5 रु० प्रतिमाह
	परीक्षा शुल्क	1 रु०
	प्रवेश शुल्क	1 रु०
(3)	**नृत्य तथा संगीत**	
	समूह नृत्य	निःशुल्क
	कथक नृत्य	3 रु० प्रतिमाह
	भारत नाट्यम	3 रु० प्रतिमाह
	सितार	3 रु० प्रतिमाह
	हारमोनियम्	2 रु० प्रतिमाह
	तबला	2 रु० प्रतिमाह
	शास्त्रीय संगीत	3 रु० प्रतिमाह
	सुगम संगीत	2 रु० प्रतिमाह
	प्रवेश शुल्क	2 रु०
	दो बहिनों के लिए रियायत	1 रु०

(ङ) विभिन्न केन्द्रों में चौकीदारों, श्रम-बालकों तथा दर्जियों को निम्नलिखित मात्रा में मानदेय दिया जाता है :—

(1) चौकीदारों, श्रम बालकों 60 रु० से 100 रु० तक प्रतिमाह।

(2) दर्जियों को 120 रु० से 240 रु० तक प्रतिमाह।

बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु तमिल नाडु की योजना

3795. **श्री सेझियान :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार ने बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों के लिए रोजगार के उपलब्ध करने हेतु एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क). जी नहीं श्रीमान् । मई, 1968 में भारत सरकार ने इंजीनियरों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के कुछ उपायों पर निश्चय किया और इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों से सिफारिश की । इन उपायों का एक सूचीबद्ध विवरण 26 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में सदन के सभा पटल पर रख दिया गया था । सुझाव के उत्तर में तमिल नाडु सरकार ने यह करने का निश्चय किया:—

(1) सिंचाई योजनाओं का अन्वेषण;

(2) तालाब मरम्मत योजनाएं;

(3) चुनी हुई प्रयोजनाओं पर तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना; और

(4) ठेकेदारों पर इन्जीनियरों को नियुक्त करने का दायित्व डालना ।

अन्य उपाय भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । इन उपायों के अतिरिक्त, जिन्हें राज्य सरकार भारत सरकार के सुझाव के उत्तर में कर रही है, बेरोजगार इन्जीनियरी स्नातकों के लिए रोजगार अवसरों के सृजन के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा कोई और योजना प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारियों को पेंशन तथा सेवा निवृत्ति सम्बन्धी लाभ

3796. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मनीपुर सरकार के कितने सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को अब तक वास्तव में पेंशन तथा सेवा निवृत्ति सम्बन्धी लाभ दिये गये हैं; और

(ग) क्या निवृत्त इन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की मंजूरी में देरी की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). मनीपुर सरकार के अनुसार 112 सरकारी कर्मचारी गत तीन वर्षों में सेवा से निवृत्त हुए जिनमें से 29 को पेंशन तथा अन्य को सेवा-निवृत्ति लाभों की स्वीकृति दे दी गई है । शेष मामलों को सेवा अभिलेख आदि पूरे न होने के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका । इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए मनीपुर सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये संयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

3797. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग बनाने के बारे में सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपीलें तथा फैसले के स्थगन के लिए आवेदन सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर दिये गये हैं।

मनीपुर में राज्य गुप्तचर विभाग के पास से फाइलों का गुम होना

3798. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राज्य गुप्तचर विभाग के पास से कुछ महत्वपूर्ण फाइलें गुम हो गई हैं; जैसा कि 1 नवम्बर, 1969 को प्रकाशित हुए मनीपुर की स्थानीय मासिक पत्रिका "लमयानबा" के चौथे अंक में पृष्ठ 26 पर "युरखाल मरूमदा" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार छपा है;

(ख) क्या मनीपुर के मुख्य आयुक्त सम्बन्धी भ्रष्टाचार सम्बन्धी कथित मामलों, जो इस पत्रिका के इसी अंक के पृष्ठ 28 पर प्रकाशित हुए हैं, और इस पत्रिका के पहले अंकों में "युरवालगी मरूमदा" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुछ अन्य मामलों की ओर सरकार का ध्यान पहले ही दिलाया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जांच करने और दोनों मामलों में उचित कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में पर्यटक केन्द्रों का विकास

3799. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में कितने पर्यटक केन्द्रों का विकास किया जायेगा तथा प्रत्येक केन्द्र की विकास योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) प्रत्येक केन्द्र का विकास करने पर अनुमानतः कितनी लागत लगेगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में बोधगया, राजगीर, नालन्दा और पटना में पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। अलग अलग स्कीमों की लागत के विस्तृत ब्योरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, परन्तु उनकी वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी ?

भारत और श्रीलंका के बीच नाव सेवा समाप्त करना

3300. श्री सेंझियान : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में भारत और श्रीलंका के बीच नाव सेवा समाप्त कर दी जायेगी;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी के दिनों में नावें वर्ष भर चलती रहीं; और

(ग) नाव सेवा अब बन्द करने के क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) स्थल रेलवे सेवा के विस्तार के रूप में दक्षिण रेलवे दिसम्बर, 1964 तक धनुषकोडी और तलाईमन्नार के बीच दो स्टीमरों अर्थात टी० एस० एस० 'डरविन' और टी० एस० एस० 'गासचने' से सारे वर्ष नियमित नौका सेवा चलाती थी। दिसम्बर 1964 में धनुषकोडी बंगस्तर तथा मंडपम एवं धनुषकोडी के बीच की रेल लाइन तूफान के कारण बुरी तरह टूट फूट गये थे और रेलवे द्वारा चलाये जा रहे जहाजों में से टी० एस० एस० 'गोसचने' नामक जहाज भूमि ग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना के कारण रेलवे ने नाव सेवा बन्द कर दी थी। रेलवे ने उसे पुनः चालू नहीं किया क्योंकि वह अलाभकारी थी।

श्री लंका के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखने की दृष्टि से भारत सरकार ने शिपिंग कारपोरेशन का भारत तथा श्री लंका के बीच एक यात्री सेवा चलाने के लिए कहा। धनुषकोडी बंगस्तर तथा मंडपम एवं धनुषकोडी के बीच रेल लाइन के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण धनुषकोडी से सेवा चलाना सम्भव न था। इसके अलावा भूमिग्रस्त होने से टी० एस० एस० पोत के अति क्षतिग्रस्त होने के कारण केवल एक पोत अर्थात टी० एस० एस० 'इरविन' सेवा चलाने के लिए उपलब्ध था। शिपिंग कारपोरेशन ने टी० एस० एस० 'इरविन' को अपने हाथ में लिया और उसकी मरम्मत की और 31 मार्च 1966 से रामेश्वरम् और तलाईमन्नार के बीच नियमित सेवा शुरू की। यह सेवा आजकल रामेश्वर के तट से लगभग ढेढ़ मील दूर धारा से चलाई जाती है। इस क्षेत्र में तेज तूफानी मौसम होने के कारण यह सेवा यात्रियों की सुरक्षा के हित में वर्ष नवम्बर और दिसम्बर में बंद रहती है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम और जल परिवहन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक यात्री पोत का प्रतिवर्ष यात्री सर्वेक्षण करना होता है और यह सर्वेक्षण अनिवार्य है। जिस अवधि में सेवा बंद रहती है उस समय टी० एस० एस० "इरविन" का वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष बंदई में किया जाता है ताकि वर्ष की शेष अवधि में सागर में जाने की सुरक्षा तथा संतोषजनक जहाज सेवा का सुनिश्चयन हो जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय औद्योगिक संस्था, कानपुर तथा भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय औद्योगिक संस्था, कानपुर के वर्ष 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(2) भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद के वर्ष 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2332/69]

पूर्व रेलवे के लक्खी सराय स्टेशन पर रेल दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं 24 अक्तूबर, 1966 को पूर्व रेलवे के लक्खी सराय स्टेशन पर हुई रेलगाड़ी संख्या 22 डाउन उत्तर बिहार एक्सप्रेस की दुर्घटना के सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा आयुक्त के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2333/69]

नवम्बर, 1969 में आन्ध्र प्रदेश में आये चक्रवात के बारे में विवरण

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : मैं आन्ध्र प्रदेश में नवम्बर, 1969 में आये चक्रवात से हुई हानि के सम्बन्ध में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2334/69]

केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री डा० एरिंग) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की, उपधारा (1) के अंतर्गत, केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2335/69]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 29 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2670 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954, का दसवां संशोधन, जो दिनांक 29 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2671 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीनों की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1968, जो दिनांक 29 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2677 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2336/69]**

मरमुगाओ पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1969

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अंतर्गत मरमुगाओ पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1736 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2337/69]**

नियम समिति
RULES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

Shri Narain Swarup Sharma (Domariaganj) : I beg to lay on the Table the Minutes of the sitting of the Rules Committee held on the 8th December, 1969.

श्री सेंथियान (कुम्बकोणम) : महोदय, मुझे मद संख्या 2 के सम्बन्ध में एक बात कहनी है। यह रेलवे सुरक्षा आयुक्त के प्रतिवेदन से सम्बन्धित है। यह रेल दुर्घटना तीन वर्ष पहले हुई थी और तीन वर्ष बाद जांच प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच करने तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में इतना अधिक विलम्ब क्यों हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तनिक अनियमित है।

डा० कर्ण सिंह (बीकानेर) : रेलवे सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। निष्पक्षता की दृष्टि से इस कार्यालय को रेलवे मन्त्रालय से हटाकर दूसरे मन्त्रालय के अन्तर्गत रखा गया है। इस सम्बन्ध में विलम्ब के कारणों का पता लगाकर सभा को सूचित करूंगा।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

सातवां प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

साक्ष्य

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 15 दिसम्बर, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा विधेयक, 1969

(आगे विचार तथा पास करना)

(2) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969

(संयुक्त समिति को सौंपना)

(3) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 1969 के निरनुमोदन सम्बन्धी सविविक संकल्प जो सर्वश्री कंवर लाल गुप्ता और नारायण स्वरूप शर्मा द्वारा पेश किया जायेगा।

(4) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(5) वर्ष 1969–70 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(6) वर्ष 1967–68 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(7) वर्ष 1969–70 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(8) वर्ष 1969–70 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (मणिपुर) पर चर्चा तथा मतदान।

(9) आसाम पुनर्गठन (मेघालय) विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(10) भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(11) स्थावर समिति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : श्री इमाम के संकल्प के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री रघुरामैया : कल यह मान लिया गया था कि उसे मंगलवार को लिया जायेगा ।

श्री रंगा : उसका उल्लेख किया जाना चाहिए था ।

श्री रघुरामैया : कल सभा में इस सम्बन्ध में घोषणा कर दी गई थी ।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगू सराय) : जमशेदपुर में बड़ी गम्भीर स्थिति है । 18 नवम्बर से लगभग 4,000 इंजीनियर हड़ताल पर हैं । इस हड़ताल को आज 26 दिन हो गये हैं । यह मामला यहां पर उठाया गया था और मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि किसी को हानि नहीं पहुँचाई जायेगी । लगभग 200 कर्मचारी मुअत्तिल किये गये हैं जिसके कारण अब तक हड़ताल चल रही है । इस पर चर्चा के लिए हमें अवसर दिया जाना चाहिए । मंत्री महोदय द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा नहीं किया गया है । मंत्री महोदय को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए ताकि आश्वासन पूरा किया जाये और हड़ताल समाप्त की जाये । हड़ताल समाप्त न होने की स्थिति में कोई भी घटना हो सकती है क्योंकि मेरी सूचना के अनुसार पुलिस ने भड़काने वाली बात की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का ध्यान रखा जायेगा ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy Speaker, I agree with Shri Yogendra Sharma that an early statement should be given by the Government in this regard.

Last week I raised the question that the fourth five Year Plan is being delayed and I doubt that Government is evading and the Government may take more time in bringing it. Therefore I would like that the Prime Minister may make the position clear before the House in this regard.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker, the Chardigarh issue has taken serious turn and therefore I would request the Government to make a clear statement on it A Minister of the Cabinet rank has in a statement said that if Chandigarh is not given to his state, that State would secede from the Indian Union and they would rege a war. It is not only a question of Chandigarh but of the whole country. Such dangerous statements are made by the responsible persons. The Parliament as well as the Government should take not of such a serious situation. The Government should take suitable action under relevant provisions to check such unlawful activities.

The Government should also take note of the reported talks between the Ministers of the Goveln nent and the leaders of Pakistan.

Recently a bank was looted in West Bengal by pro-Mao elements which is a matter of great concern for law abiding and peace loving people of the country. Therefore I request the hon Minister to take note of all these things and to make the position clear before the House.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मै श्री रणधीर सिंह की बात का समर्थन करता हूं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : अब इस सत्र में केवल आठ कार्य दिवस रह गये हैं। अभी सरकारी कार्य की जो घोषणा की गई है उसमें ही सारा समय पूरा हो जायेगा।

अनेक महत्वपूर्ण मामले ऐसे हैं जिन पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। दल बदलू सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को अनेक सप्ताह से विचार के लिये स्थगित किया जा रहा है। तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के बारे में श्री प्रकाश वीर शास्त्री के संकल्प पर चर्चा की जानी है। कुछ ऐसे मामलों पर इस सभा में चर्चा की जानी चाहिए जो दिल्ली प्रशासन अथवा महानगर परिषद् के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इनमें अनधिकृत बस्तियों तथा कालेजों की समस्याएं सम्मिलित हैं। इन समस्याओं पर इसी सत्र में विचार किया जाना आवश्यक है भलेही घोषित सरकारी कार्य को अगले सत्र के लिए स्थगित करना पड़े।

पाकिस्तानी तथा पंजाब के नेताओं की कथित बातचीत तथा पश्चिम बंगाल घटनाएं गंभीर हैं। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए तथा इन मामलों पर यहां पर चर्चा का अवसर दिया जाना चाहिए। कलकत्ता में बैंक में डकैती का मामला वित्त मन्त्रालय का विषय है न कि राज्य सरकार का। अतः वित्त मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सोमवार को विचार के लिये ग्रहीत किया गया है।

श्री बलराज मधोक : इन विषयों पर चर्चा के लिये अवश्य समय दिया जाना चाहिए इन्हें केवल इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि इन्हें लेने पर सरकारी कार्य रोकने पड़ेंगे।

श्री रणधीर सिंह : पंजाब के उस मन्त्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिसने देश के विरुद्ध बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं और उन पर यथा समय विचार किया जायेगा।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : यहां पर प्रशासनाध्यक्ष द्वारा राज्यों के प्रशासनाध्यक्षों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जैसा कि प्रधान मन्त्री बार बार करती है। अतः इस मामले पर भी अगले सप्ताह चर्चा की जानी चाहिए।

Shri K. N. Tiwari (Bettiha) : Mr. Deputy Speaker, the law and order situation in West Bengal has not been satisfactory since long. Rs. 4,62,000 were looted from a bank of Calcutta in a day light robbery. You have stated that a calling attention motion has been admitted for Monday on the above issue. But I would like to suggest that a discussion may be allowed instead of Calling Attention Notice because the law and order situation is very serious in West Bengal.

Opportunity should also given to discuss the matter relating to the formation of popular Government in Bihar, so that the people of Bihar may be apprised with actual position in respect of that State.

डा० रामसुभग सिंह : बिहार के मामले पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि भारत सरकार उस राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। वह बहुमत वाले नेताओं को सरकार नहीं बनाने दे रही है। कांग्रेस पार्टी के जिस नेता ने 184 व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की है उसे सरकार बनाने की अनुमति दी जाये।

Shri Shiv Chandra Jha : The S. S. P. may be given an opportunity to form a Government in Bihar.

Dr. Ram Subhag Singh : There is no S. S. P. in Bihar.

उपाध्यक्ष महोदय : यह तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है। माननीय सदस्यों ने कार्य सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए अपने विचार प्रकट कर दिये है। मुझे विश्वास है कि प्रभारी मन्त्री महोदय उन पर ध्यान दे रहे हैं और उपयुक्त अवसर पर उन पर विचार किया जायेगा।

श्री सेंथियान (कुम्बकोणम) : 1 जनवरी, 1970 से सिमेन्ट पर से नियंत्रण हटाने का सरकार का जो प्रस्ताव है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सभा द्वारा विचार विमर्श किया जाना चाहिए क्योंकि देश भर में उपभोक्ताओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार मूल्य नियंत्रण पद्धति समाप्त करती है तो उससे सीमेंट उद्योग में एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा जिससे बड़े व्यापारियों को लाभ होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार विमर्श करने का अवसर सभा को अवश्य मिलना चाहिए ताकि उसकी राय अच्छी तरह मालूम की जा सके।

Shri Ram Charan (Khurja) : Sir, the annual Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1967-68 which was laid on the Table of the House on 15th May has not yet been discussed. Similarly the Report of the Committee on untouchibility is lying undiscussed. Through you, Sir, I would request the Government to take up at least one of these Reports during the current session.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मुझे दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना है। पहली, केरल में वर्तमान स्थिति जहां मार्सिस्ट साम्यवादी दल सरकार ने त्यागपत्र दे दिया है और साम्यवादी दल ने जिसका वहां बहुमत नहीं है, अपनी सरकार बना ली है। प्रधान मंत्री ने राज्यपाल को इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। यह एक गम्भीर मामला है कि अल्प संख्यक दल से सरकार बनाने को कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर विचार-विमर्श करने का यह अवसर नहीं है। आपकी सूचना ग्रहीत नहीं की गई है। यह आपका केवल एक सुझाव है जो आप दे सकते हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लेने पर उसका मूल्य 5 रुपये प्रति टन बढ़ जायेगा और सरकार उपभोक्ताओं के मुकाबले एक तिहाई सीमेंट खरीदती है जिसके फलस्वरूप सरकार को 3 करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे जिसका असर देश की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा।

श्री हेम बरुआ : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट बैंक आफ इंडिया की कलकत्ता स्थित शाखा में जो सशस्त्र डकैती हुई है उस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यह पहली घटना नहीं हैं जब वहां ऐसा हुआ है....

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है। हम इस पर पृथक रूप से चर्चा कर सकते हैं। इस समय हमारा सम्बन्ध अगले सप्ताह की कार्यसूची से है जिसकी घोषणा मन्त्री जी ने की है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभा के कार्य के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की जाती हैं, अतः उसे पुनः सभा में उठाना उचित नहीं है। संसद् का वर्तमान सत्र 24 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है। ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि निवारक निरोध अधिनियम शीघ्र ही समाप्त हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये समाचार सच हैं अथवा नहीं।

इसके अलावा, हम नरेशों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बारे में भी कम से कम तीन घंटे की चर्चा चाहते हैं।

प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री के आश्वासनों के बावजूद अभी 1200 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी नौकरी से बाहर हैं और उन्हें अभी तक वापस नहीं लिया गया है। हमारा अनुरोध है कि प्रधान मन्त्री अथवा गृह कार्य मन्त्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति है, उससे सम्पूर्ण सभा अवगत हैं। सारे राज्य में भूखहड़तालें आदि चल रही है। इसलिये इस मामले पर अगले सप्ताह, कुछ समय निकाल कर, अथवा चालू सत्र की अवधि बढ़ा कर चर्चा करना आवश्यक है और इस विषय पर चर्चा करने का अवसर सभा को सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने वहां की अराजकता की स्थिति पर प्रकाश डालकर अपनी सरकार की भरसक निन्दा की है।

श्री रणजीत सिंह (बलीलाबाद) : सभा को सामान्य रूप से राष्ट्र की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित लोगों ने भी जैसे कि वाइस एडमिरल सोमन ने बताया है कि हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था आमतोर पर कमजोर है और जो कुछ राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी से और भी कमजोर हो गई है।

दूसरी बात बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिस पर किसी दिन भी निर्णय दिया जा सकता है। उस निर्णय से उत्पन्न परिणामों पर विचार-विमर्श करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर निर्णय प्राप्त होने के बाद विचार किया जा सकता है।

श्री रणजीत सिंह : इसके अलावा, हमें केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री जगजीवन राम से जिनका 42 संगठनों में हाथ है, सम्बन्धित मामले पर भी चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I have received a telegram from Shri Kedar Das M L. A. Bihar saying that the Jamshedpur Day is being celebrated throughout Bihar. The hon. Union Labour Minister had given us an assurance in this regard and he is now going back on his promise openly. The Bihar Assembly is not functioning now, There is Presidents' rule In the State. Therefore, the Labour Minister may be asked to make a statement on why he was not keeping his words.

Secondly, the Madholkar Commission which has already submitted its report has found Shri Kamakhya Narayan Singh, a Minister of Bihar guilty of misusing his office for achieving his personal ends. We want the Union Home Minister to make a statement on the matter,

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि देश में विध्वंसात्मक गतिविधियों के बारे में भी श्री प्रकाशवीर शास्त्री का जो प्रस्ताव आज की कार्यसूची में रखा गया था उसे अचानक आज की पुनरीक्षित कार्यसूची से निकाल दिया गया है। मैंने इस चर्चा में भाग लेने के हेतु क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल की स्थिति पर जहां अराजकता फैली हुई है, बोलना चाहता था, कल शाम कलकत्ता की अपनी यात्रा रद्द कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सारे मामले पर कार्य मंत्रणा समिति ने विचार किया था और उसने यह तय किया कि कार्य बहुत पिछे पड़ा है इसलिये आज सरकारी कार्य निपटाया जाये। अतः यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति का था।

श्री समर गुह : अब मैं सरकार का ध्यान एक गम्भीर अनौचित्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार संवैधानिक उपबन्धों का हनन कर रही है। वह सरकारी तौर पर वियतनाम क्रान्तिकारियों का स्वागत करने जा रही है और उस प्रतिनिधि मण्डल को देने के लिये सरकारी कोष से एक निधि गठित कर रही है। गैर-सरकारी तौर पर मैं उनका स्वागत करूंगा लेकिन वैदेशिक कार्य पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में है, इसलिये प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार संविधान में उल्लिखित केन्द्र के अधिकार को अपने हाथ में ले सकता है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार का रवैया जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है। मैं समझता हूं आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Deputy Speaker, Sir. Delhi is directly under the Centre. In faces numerous problems such as admission problems.

Jhuggi Jhonpri problem etc. as Shri Madhok just now pointed out and in every session we have been discussing one issue or the other but this will be the first session in which no issue concerning Delhi is discussed.

Secondly, I will submit that some time should be allotted to the issue of regional imbalance. Shri C. B. Gupta, Chief Minister of U. P. has demanded today that a judicial commission may be appointed to fix responsibility for it on the Centre and the States.

श्रीमती लक्ष्मी काम्तम्मा (खम्मर) : देश के विभिन्न भागों से चिन्ताजनक समाचार आ रहे हैं कि कुछ प्रतिक्रियावादी दल महिलाओं के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के बारे में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं। सारे देश में महिला संगठन इस बारे में बहुत चिन्तित है। मै केन्द्रीय सरकार से आश्वासन चाहती हूं कि वे इस प्रश्न पर नहीं झुकेंगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आज समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त समाजवादी दल के एक सदस्य अपने दल की अवज्ञा कर रहे हैं और चन्द्रभानु गुप्त को बहुमत प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को विधान सभा की बैठक बुलानी चाहिए।

श्री प० मु० सईद (लक्कदीव, मिनिकोय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह) : इस समय उत्तर प्रदेश में श्री सी. बी. गुप्ता की सरकार अल्पमत में है। मेरा अनुरोध है कि इस पर इस सभा में चर्चा होनी चाहिए।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Deputy Speaker, the serious scarcity conditions in Gujarat State should be discussed. According to the Ahmedabad edition of 'The Times of India' 48 persons have died of starvation in Banaskantha District alone. Adequate funds are not given to Gujrat. I urge a discussion on this subject.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : There should be a discussion on Termination of right to private property on which the Bill of Shri Nath Pai is pending or Government should move a motion on this issue. Secondly, the issue of acquisition of the place where Gandhiji was assassinated, should be discussed in the House.

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : The Chief Minister of U. P. has been alleging repeatedly that step-motherly treatment is being given by Centre to U. P. It is a serious charge. Therefore, an opportunity should be given to discuss this issue in the House.

Secondly, the Allahabad University has been closed indefinitely. It is alleged that a driver of University Grants Commission raped a girl student of that University Thus it becomes a Central subject. Some time should be allotted for discussion on the subject.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्लौर) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता में सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, संविधान की खुले आम अवहेलना हो रही है और राष्ट्रपति को कलकत्ता नगर निगम द्वारा दिये गये स्वागत समारोह में न तो राष्ट्रीय ध्वज

फहराया गया और न ही राष्ट्रगान गाया गया, क्या हम श्री गुह द्वारा रखे गये संकल्प पर विचार करने के लिए कल अथवा किसी अन्य दिन दो तीन घंटे के लिये सभा की विशेष बैठक नहीं बुला सकते हैं ?

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Many objection films are being shown during the International film festival here. Government should own an explanation for the same.

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों के बारे में अनेक सुझाव दिये गये हैं। इनमें से कुछ विषयों पर कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी पिछली बैठक में विचार किया था और कुछ के लिये समय भी नियत किया है। यदि कोई महत्वपूर्ण विषय रह गया है, तो समिति इस पर पुनः विचार करेगी।

श्री गुह ने श्री प्रकाश वीर शास्त्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर भाषणों के पूरे न होने का उल्लेख किया। लेकिन इसे इसलिए स्थगित किया गया कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने स्वयं कहा था कि वे आज दिल्ली में नहीं रहेंगे।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापन के बारे में

RE : INTRODUCTION INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : मैं श्री भगत की ओर से.....

उपाध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापन के समय उस मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए जिसके नाम में विधेयक हो। नियमों के अन्तर्गत कोई अन्य मंत्री पुरःस्थापन नहीं कर सकता है।

बिहार भूमि सुधार विधियां (खानों और खनिजों को विनियमित करना) मान्यीकरण विधेयक

BIHAR LAND REFORMS (REGULATING MINES AND MINERALS) VALIDATION BILL

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 और बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के कतिपय उपबन्धों और उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और किये गये कार्य को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सर्वोच्च न्यायालय ने बैजनाथ बनाम बिहार राज्य के मामले में निर्णय दिया है कि (क) संसदीय विधान (खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957) के अधीन आने वाले विषयों पर राज्य विधान मण्डल की शक्तियां लागू नहीं होती हैं;

(ख) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 9 और 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत संविहित खनन पट्टों के बनाये जाने के बाद उन खनन पट्टों को विनियमित करने का कोई प्रयास राज्य सूची की प्रविष्टि 18 में नहीं बल्कि संघ सूची की प्रविष्टि 54 में आयेगा यद्यपि इसका भूमि से सम्बन्ध है न कि इसके विपरीत; (ग) लघु खनिजों के विनियमन और विकास का सम्पूर्ण क्षेत्र संघ के नियंत्रण में ले लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के कुछ उपबन्ध, बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1964 द्वारा संशोधित रूप में, और बिहार लघु खनिज रियायत (प्रथम संशोधन) नियम, 1964 द्वारा शामिल किया गया बिहार लघु खनिज नियम, 1964 के नियम 20 के उप-नियम (2) को अवैध घोषित किया गया था।

बिहार सरकार ने कहा है कि इसके परिणामस्वरूप संविहित पट्टों के सम्बन्ध में लघु खनिजों पर इकट्ठी की गई स्वामित्व की कई करोड़ रुपये की राशि वापस करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में बताये गये सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए इन मामलों में विधान बनाने की शक्ति संसद् को प्राप्त है। इसलिये यह विधान प्रस्तुत किया गया है। चूंकि यह एक सीधा-सादा अविवादपूर्ण विधेयक है, मुझे आशा है कि इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : बिहार में इस समय राष्ट्रपति का शासन है। यद्यपि वहां की विधान सभा के नेता श्री हरिहर सिंह ने यह दावा किया है कि बहुमत उनके साथ है ऐसे मुख्य मंत्री जिन्हें बहुमत प्राप्त है यह अनुभव कर रहे हैं कि उनकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। कुछ समय पहले केरल तथा बंगाल के मंत्रिमण्डल केन्द्रीय सरकार की त्रुटियां निकालने का प्रयास करते थे परन्तु अब केन्द्र राज्यों की त्रुटियां निकालने का प्रयास कर रहा है। समाचार-पत्रों से पता चलता है कि प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश में जाती हैं और कहती है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री केन्द्र से झगड़ा करते हैं, अतः उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा क्षेत्र है। इस पर श्री सी० बी० गुप्त ने एक उदाहरण दिया है कि भारत की संचित निधि में से मद्रास सरकार को सहायता के लिये 24 करोड़ रुपये दिये गये हैं जबकि उत्तर प्रदेश को बाढ़ आदि के कारण अधिक नुकसान होने पर भी उन्हें बहुत कम राशि दी गई है।

बिहार एक खनिज पदार्थों वाला क्षेत्र है परन्तु वहां से अभ्रक चोरी छिपे बाहर भेजा जाता है। अभ्रक निर्यात की दृष्टि से एक मूल्यवान वस्तु है। इसलिये इन क्षेत्रों का पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिये। अब हमें पता चला है कि उच्चतम न्यायालय ने छोटे खनिजों के सम्बन्ध में बिहार सरकार की कार्यकारी शक्ति का विरोध किया है। विधेयक का मूल मामला बहुत अच्छा है तथा इसका समर्थन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसे अब केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में लाया गया है तथा इन मामलों पर अब संसद् द्वारा कानून बनाये जायेंगे।

बिहार सरकार ने खनिजों के सम्बन्ध में पहले ही धन वसूल कर रखा है और यदि उस नियम को अब रद्द कर दिया जाता है तो सरकार को 5 से 10 करोड़ रुपये के बीच राशि का पुनः भुगतान करना पड़ेगा। इसे देखते हुए सभा को इस विधेयक को पारित कर देना चाहिये।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि केन्द्रीय सरकार श्री हरिहर सिंह को बिहार का मंत्रिमण्डल बनाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है। विधानमण्डल को बुलाया जाना चाहिये अन्यथा आपके लिये मध्यावधि चुनाव कराने के सिवाय कोई चारा नहीं है। आपको अन्य दलों के सदस्यों को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिये। जैसा आप यहां करते हैं राज्यों में वैसे ही हो रहा है। यदि आप समझते हैं कि श्री हरिहर सिंह तथा अन्य व्यक्ति मंत्रिमण्डल नहीं बना सकते हैं तो आप श्री तिवारी अथवा संयुक्त समाजवादी दल के नेता को क्यों नहीं बुला लेते जो राज्यपाल को मिले थे ?

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभा इसको पारित कर देगी।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : इस विधेयक को लाने की आवश्यकता न पड़ती यदि केन्द्रीय सरकार, अथवा विधि मंत्रालय तथा राष्ट्रपति के सलाहकार संविधान के अनुसार अपना कार्य पूरा करते। बिहार में उनका अपना कांग्रेसी मंत्रिमण्डल था ; अन्य राज्यों के मामले में भी ऐसा हो रहा है जहां जहां उनके अपने मंत्रिमण्डल हैं। इस विधेयक की इसलिये आवश्यकता पड़ी क्योंकि जब जब विधानमण्डलों में चर्चा के लिये ये विधेयक आये तो सरकार के सलाहकार तब सोते रहे। यह आपत्ति तब उठाई गई जब गैर-कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों को शक्ति मिली और उनके द्वारा विधानमण्डलों में कुछ विधान लाये गये। परन्तु जहां जहां कांग्रेस मंत्रिमण्डल थे उन्होंने इस बारे में कोई परवाह न की। किसी भी विधानमण्डल में कोई भी विधेयक पारित किया जा सकता है बशर्ते कि स्थानीय सरकार उसे पुरःस्थापित करने के लिये अपने आपको उत्तरदायी ठहराती है। बिहार में यह विधान भी उसी तरह से पारित हुआ। इससे पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार संघ राज्य के रूप में काम नहीं कर रही है। यह दल के हित को दृष्टि में रखते हुए कार्य करती रही जिस कारण संविधान की अवहेलना हुई। कहानी यहीं खतम नहीं हो जाती है। किसी तरह से कोई व्यक्ति इसे उच्चतम न्यायालय में ले गया परन्तु तब भी इस सरकार के किसी विधि विशेषज्ञ की बुद्धि में यह बात नहीं आई कि यह विधान राज्य की शक्तियों के बाहर है और वह इसे उचित ठहराने का प्रयास करते रहे। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध निर्णय दे दिया। अतः इस विधान की इस प्रकार आवश्यकता पड़ी है।

बिहार की स्थिति कांग्रेस दल के एक सदस्य ने पहले ही स्पष्ट कर दी है। बिहार में कौन सी सरकार है जिसने यह कहा है कि यदि यह विधेयक अब पारित न किया गया तो करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा।

श्री हरिहर सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों को एक दल ने मंत्रिडण्डल बनाने का प्रस्ताव किया और उसने यह दिखाया कि हमारा बहुमत है। तब हमने यह समझा कि अब मंत्रिमण्डल बन जायेगा। परन्तु अचानक ही कांग्रेस दल में कुछ ऐसी चीज हो गई

जिससे उन्होंने मंत्रिमण्डल न बनने देने का प्रयास करना आरम्भ कर दिया। अतः यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्या उनके लिये राज्य स्तर पर भी यह झगड़ा करना आवश्यक है।

बिहार में राष्ट्रपति के नाम में सरकार चलाई जा रही है। वह सरकार जनता की सरकार नहीं है। और अब यह विधेयक इस आधार पर लाया जा रहा है कि यदि इसे पारित नहीं किया जायेगा तो बिहार सरकार को करोड़ों की हानि हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार के कई मंत्री एक साथ वहां जाते हैं और वहां एक प्रतिनिधि सरकार को बनने से रोकते हैं। सरकार का इरादा अनुचित है और वह चाहती है कि वहां अगले 6 महीनों में प्रतिनिधि सरकार न बन पाये। प्रतिनिधि सरकार का अर्थ यह नहीं है कि एक दल की सरकार हो। एक से अधिक दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। बिहार में मिलीजुली सरकार का होना कोई नई बात नहीं है। वहां पहले भी कई बार मिलीजुली सरकार बन चुकी है।

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Bihar Land Reforms Laws (Regulating Mines and Minerals) Validation Bill, 1969 has been brought because of the Supreme Court judgment given in Brij Nath Kedia case. According to that judgment Bihar Government had torefund crores of rupees collected in the form of royalty.

डा० राम सुभग सिंह : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री बृजभूषण लाल अपना स्थान ग्रहण करें। घंटी बजाई जा रही है।

माननीय सदस्य अब भाषण जारी रख सकते हैं।

Shri Brij Bhushanlal : It was also feared that the proceedings initiated to resume the unworked statutory lease holds might also be challenged. Because all these things were not within the powers of the State Government, therefore the Central Government has brought this Bill. I, therefore, support this Bill.

I suggest that before embarking on any legislation, all its pros and cons should be fully considered. The State Government should not try to usurp the powers of the Central Government.

I fail to understand why Jamshedpur has been kept out of the purview of land Reform Act. Jamshedpur should be brought within the purview of the said Act. Then I went to know why no action has been taken against Shri Kamakhya Narain Singh the owner of a mine in Bihar whose negligence was responsible for the serious accident which took a toll of about hundred lives.

There is Presidents rule in Bihar. The Assembly there has been suspended. Why doesn't you form a popular Government there ? With these words I support the Bill.

Shri Sive Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I support this Bill since in the absence of such a measure being brought the Bihar Government would have to suffer a

teremendous loss. Besides this I would also like to put it on record that the Central Government has badly ignored Bihar. The per capita income in Bihar in the lowest in the country despite the fact that Bihar has the biggest miner deposited in the country. The Tata Iron and steel Company and all the private sector coal mines in Bihar should be nationalised. It is most regaretable that the Government is not taking any action against the Raja of Ramgarh despite the fact that various charges have been levelled against him by the Madholkar Commission in its report. If you have of faith in democracy you should establish popular Government there. The opposition parties there should be given a chance to form Government there. The Central Government has done a great injustice to Bihar in the post-Independence period. Bihar is favourably placed in regard to uranium and other natural resources and this makes a strong case for the setting up of an atomic plant there.

इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ व्यक्तियों ने कुछ पर्चे सभा भवन में फैंके ।

At this stage some persons from the Visitors' Gallery threw some leaflets on the floor of the House.

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : आप को बधाई देने का मुझे यह प्रथम अवसर मिला है । इस विधेयक का सम्बन्ध झाड़खण्ड से है जो विश्व में खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में विश्व में एक समृद्ध क्षेत्र है । जब तक झाड़खण्ड क्षेत्र को एक पृथक राज्य का रूप नहीं दिया जाता तब तक उस राज्य में खुशी की लहर नहीं दौड़ सकती ।

बिहार में अध्यापकों, प्रोफेसरों तथा अन्य सिविल कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है । मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि कुछ लोगों ने इस विधेयक के महत्व को महसूस नहीं किया है । इस बात में संदेह नहीं कि राज्य सरकार ने कुछ गलतियां की हैं परन्तु ये गलतियां केन्द्रीय सरकार से भी हो जाती हैं । मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाये ताकि जिन लोगों को पिछले छः अथवा आठ महीनों से वेतन नहीं मिला है वे अपना वेतन प्राप्त कर सकें । इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाये ।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : I welcome this Bill. The administration of the State should not be allowed to remain in the hands of the Bureaucrats. A representative Government should be installed in Bihar immediately.

So far as the demand for a separate Jharkhand is concerned Government should not delay a decision in this regard. Government should make clear its views on this subject immediately otherwise it will give birth to wide spread agitations like Talengana in Andhra Pradesh and agitations in Punjab and Haryana.

South Bihar is rich in mineral resources. Some people are advocating for the establishment of a corporation there but I am against the establishment of any corporation in any part of India. In my view the chairman of a corporation is a super-Minister. Similar things can be said about the Managers of the public sector undertakings. Government should improve the working of the existing public sector undertakings instead of bringing new things under this sector.

There are no big, small or medium industries in North Bihar. This is the most backward area in Bihar. Great imbalance exists between North and South Bihar. This should be removed.

More industries should be established to solve the problem of unemployment. Equal distribution of land simply can not solve this problem. I urge upon the Central Government to the persons belonging to Bihar should be provided employment in the industries located in Bihar and the pace of industrialisation should be expedited.

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) ; I welcome this Bill. The workers of the mines have been demanding for a long time that these mines should be nationalised. I suggest that it will be in the interest of the worker as well as of the Government. Nationalisation of the mines is also essential for the rapid progress of the country. I would, therefore, say that the demand in regard to the nationalisation of the mines may be accepted.

I also want to suggest that the Government should be given free hand in the administration of the State. No political influence should be force on them. In this connection, I want to say that Sardar Harihar Singh should be given an opportunity to form the Government in Bihar as he is claiming the support of the majority. Let it be an experiment but he should be given an chance. The Central Government should help in forming the ministry there.

सभा के स्थगन के बारे में

RE : ADJOURNMENT OF THE HOUSE

Shri Kikar Singh (Bhatinda) : I want to suggest that the sitting of the House may be adjourned for the rest of the day as to-day is the martyrdom day of Guru Teg Bahadur.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं उनका समर्थन करता हूँ। हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है और प्रत्येक धर्म वालों को समान अवसर मिलना चाहिए।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I support Shri Kikar Singh.

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह विषय बिल्कुल ही अलग है और इस पर किसी अन्य अवसर पर चर्चा की जा सकती है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Similar situation had arisen in Rajya Sabha yesterday. You enquire from the Government side whether they are prepared for it or not ?.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संसद कार्य मंत्री के समक्ष अपना निवेदन रखें। परन्तु विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उसमें बाधा न डालें।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : कल भी ऐसा ही हुआ था। किसी सदस्य ने बात उठाई थी और आप ने सभा को स्थगित कर दिया था। अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग सिद्धांत नहीं अपनाये जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कल सरकार की ओर से प्रस्ताव आया था ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह बात गलत है । कल सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं आया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज विधेयक पर चर्चा चल रही है । पहले इसको समाप्त करना चाहिए ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : कल न केवल संसद-कार्य मंत्री, प्रधान मंत्री बल्कि समूची सभा इस बात पर सहमत हो गई थी । मैं श्री किकर सिंह का समर्थन करता हूं । आज के दिन गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया था । अतः सभा स्थगित की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें पहले इस विधेयक पर हो रही चर्चा को समाप्त करना चाहिए ।

बिहार भूमि सुधार विधियां (खानों और खनिजों को विनियमित करना) मान्यिकरण विधेयक–जारी

BIHAR LAND REFORM LAWS (REGULATING MINES OF MINERALS) VALIDATION BILL-Contd.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मुझे इस विधेयक का समर्थन करना ही पड़ रहा है । ऐसा करते हुए मैं सरकार के द्वारा लापरवाही से कानून पास कराने का उल्लेख करना चाहता हूं । विधेयकों को तैयार करते समय पूरा ध्यान नहीं दिया जाता । इसके फलस्वरूप देश के न्यायालय बड़ी संख्या में विधेयकों को गैर-कानूनी घोषित कर रहे हैं । अतः विधेयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार को उन पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये । उन्हें इस प्रकार शीघ्रता से प्रस्तुत करके पारित नहीं किया जाना चाहिये । इस कानून पर बिहार तथा केन्द्रीय सरकार के अधिवक्तओं को विचार करना चाहिये था । बिहार सरकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । बिहार में निर्वाचित सरकार की स्थापना के प्रति केन्द्रीय सरकार के रवैये पर मुझे बहुत हैरानी है । श्री हरिहर सिंह वहां के नेता चुने गये हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार राज्यपाल को आज्ञा नहीं दे रही कि वह श्री हरिहर सिंह को सरकार बनाने के लिये निमन्त्रण दें । यह उचित नहीं है । जहां कहीं भी राज्यपाल की सरकार हो वहां निर्वाचित सरकार बनाये जाने के पूरे अवसर उपलब्ध किये जाने चाहियें । बिहार में आजकल बड़ी खराब स्थिति है । लोगों की शिकायतें दूर नहीं की जा रही हैं । इस बारे मुझे व्यक्तिगत अनुभव है । मैं समझता हूँ कि श्री हरिहर सिंह को विधान सभा का बहुमत प्राप्त है और उन्हें मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये आमन्त्रित किया जाना चाहिये । इस मामले में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Sir, this Bill is concerned with two issues viz. mines and land reforms. The Bihar Government's law regarding land reforms was

a defective one. The result is that the Tatas zamindar is still there in Jameshedpur. The land reforms Act has not been applied there. The Government is afraid of Tatas. I hope things will be set right in this regard.

Raja Kamakhya Singh has been found guilty by Mudholkar Commission, but no action has been taken against him. I hope Government will move in the matter and take necessary action. Alongwith all other persons found guilty by Aiyer Commission should be dealt with firmly.....(interruption).

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : Ayer Commission's report has not come so far. It is not propert say any thing about it at present.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मुधोलकर आयोग बात की है, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है।

Shri Bhogendra Jha : The Raja of Ramgarh should be punished for the disaster of Dhori mine. Now he is expected to be provided a berth in the Ministry. It will not be tolerated by the people of Bihar. I feel Ayer Commission will also find the Raja of Ramgarh guilty. In such case he should be handcuffed. In Bihar all the landed interest have joined hand and have formed a syndicate now. These people are looting the poorer sections there. Shri Harihar Singh wants to take all those persons in his Ministry who have been found guilty by Mudholker Commission. The Jan Sangh and Swatantra are helping in this. The monopolies regarding land in Bihar should be abolished. The landless people should be given the land and these guilty persons should not be allowed to form Government in Bihar. The Central Government should introduce land reforms there. The rights of ownership of land should be transferred to Harijans and tillers. I may conclude that this Bill is an inadequate Bill a comprehensive bill be brought forward on his issue. Central Government should see that popular Government be installed them at an early date.

Shri Satya Narain Singh (Darbhanga) : I welcome this Bill. There is no popular Government in Bihar at present. The condition are not normal there as yet. An agitation by poor farmers is being carried on there. These peopie cannot raise their voice because there is no Assembly in the State. The big lanblords are taking undue advntage of this situation. They are harassing the poor people in every possible way. Many a incident has been reported. In Bengal also poor people are being subjected to tyranny. This state of affairs should come to an end in Bihar. A popular Government should be installed there. Those who claim that they have majority should be given a chance to form a Government.

Land reforms should be introduced immediately. It has become very essential now. We cannot tide over present crisis, if we do take necessary steps.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

कुछ दर्शकों द्वारा सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : CONTEMPT OF HOUSE BY SOME VISITORS

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने अपना नाम (1) श्री ताराचन्द सी० शाह (2) श्री कृष्ण पी० पाटिल और (3) श्री गुलाबराव आर० देशमुख बताया और जिन्होंने आज 12.25 बजे म० प० पर दर्शक दीर्घा से सभा भवन के अन्दर कुछ पर्चे फेंके और जिन्हें वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त अभिरक्षा में ले लिया, एक गम्भीर अपराध किया है और इस सभा का अपमान करने के दोषी हैं।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उन्हें शनिवार, 20 दिसम्बर, 1969 के 6 बजे म० प० तक के साधारण कारावास का दण्ड दिया जाये और तिहाड़ जेल, दिल्ली में भेजा जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने अपना नाम (1) श्री ताराचन्द सी० शाह (2) श्री कृष्ण पी० पाटिल और (3) श्री गुलाबराव आर० देशमुख बताया और जिन्होंने आज 12.25 बजे म० प० पर दर्शक दीर्घा से सभा भवन के अन्दर कुछ पर्चे फेंके और जिन्हें वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त अभिरक्षा में ले लिया, एक गम्भीर अपराध किया है और इस सभा का अपमान करने के दोषी हैं।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उन्हें शनिवार, 20 दिसम्बर, 1969 के 6 बजे म० प० तक के साधारण कारावास का दण्ड दिया जाये और तिहाड़ जेल, दिल्ली में भेजा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

The Motion was adopted

सभा के स्थगन के बारे में

RE : ADJOURNMENT OF THE HOUSE

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : एक बात पश्चिम बंगाल की जनता को उत्तेजित कर रही है.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मेरे पास तारें और ट्रंक काल आये हैं कि पश्चिम बंगाल के बर्धवान, मिदनापुर और अन्य स्थानों पर धान की फसल पकने पर किसानों की हत्या की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विधिवत प्रस्ताव रख सकते हैं।

Shri Kiker Singh (Bhatinda) : I request that the house be adjourned just now.

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मध्याह्न पूर्व आपने घोषणा की थी कि विशेषक पर वाद विवाद जारी रहने के बीच नए मामले नहीं उठाने दिये जायेंगे।

आज गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस है और सदन में उपस्थिति भी कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि श्री कीकर सिंह जी भी इसी विषय पर कुछ कहेंगे।

Shri Kiker Singh : Today is the martyrdom day of Guru Teg Bahadur and as such the House should be adjourned.

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि सभा की कार्यवाही स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री कीकर सिंह जी चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर के सम्मान में सदस्य खड़े हों।

Shri Kiker Singh : I wish that the house be adjourned.

श्री श्रीचन्द गोयल : सरकार को और सदन को विभिन्न सम्प्रदायों के साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए।

श्री सोनवाने (पेंढरपुर) : मैं श्री गोयल के मन्तव्य से सहमत नहीं हूं कि कोई भेदभाव बरता गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह बात मेरे निर्णय पर छोड़ें।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : उनके बलिदान को सारे समाज में सम्मान मिला, ना कि किसी विशेष सम्प्रदाय में।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि आपने गुरु तेग बहादुर को सम्मान दिया है और आप सदन को स्थगित करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस बारे में कोई पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं।

श्री अब्दुल गनी दार : कल सदन ईद के कारण नहीं, अपितु इसलिए स्थगित किया गया कि श्री जगजीवन राम के बारे में प्रस्ताव रखा जाना था।

श्री सोनवाने (पेंढरपुर) : मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वे इस मामले में राजनीति को क्यों ला रहे हैं ?

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : I support the resolution of Shri Kiker Singh that the house be adjourned so that we may be able to take part in the procession in the memory of Guru Teg Bahadur.

श्री रघुरामैया : उस महान बलिदान के प्रति सरकार की भी निष्ठा है। माननीय अध्यक्ष तथा दलों के नेताओं के साथ मिल कर इस बारे में निर्णय लेना चाहिए कि किन दिनों सभा की छुट्टियां की जाएं।

मेरा सुझाव है कि सभा 4 बजे स्थगित कर दी जाए इससे सदस्य जुलूस में भाग ले सकेंगे।

Shri Ram Gopal Shalwale : This could have been done even yesterday when the house was adjourned for the full day. Such discrimination should not be allowed.

श्री रघुरामैया : सभा इस बारे में निर्णय कर सकती है। मेरा सुझाव इतना ही था कि क्योंकि जुलूस 4 बजे निकलता है हम सदन को 4 बजे स्थगित कर दें।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आप सभा की भावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं

उपाध्यक्ष महोदय : सारा देश गुरु तेग बहादुर के महान कार्यों से परिचित है। यदि सभा चाहे तो सदस्यों को जुलुस में भाग लेने की सुविधा देने के लिए हम 4 बजे तक बैठें।

Shri Ram Gopal Shalwale : The procession will start at 2 P. M.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि भविष्य में विभिन्न दलों एवं पक्षों के नेता अध्यक्ष महोदय से मिल कर ऐसे मामलों पर निर्णय कर लिया करें तो अच्छा रहेगा। अब, जबकि सदन में मामला उठाया गया है, तो सदन को इस पर निर्णय लेना है।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस विधेयक की समाप्ति पर सभा स्थगित करें।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह समझौते का अच्छा सुझाव है।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : एक और छोटा विधेयक जांच आयोग (संशोधन) पर है जिसे संयुक्त समिति को सौंपने का विचार है। इस प्रस्ताव को बिना चर्चा के पारित किया जाए।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रघुरामैया : मेरा निवेदन है कि इसे बिना चर्चा के पारित किया जाये।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस विधेयक के लिए दो घण्टे नियत किये गये हैं। हम इसम सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की राय है कि हम इस विधेयक पर चर्चा पहले समाप्त कर लें और देखें कि बाद में क्या होता है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : इस विधेयक को समाप्त करने के पश्चात सभा के स्थगन करने का प्रस्ताव हमने समझने के रूप में ही स्वीकार किया था। यदि आप इस निर्णय को बदलना चाहते हैं तो इस सभा का इसी समय स्थगन चाहेंगे।

श्री रघुरामैया : ऐसे मामले में सरकार बाधक नहीं बनना चाहती। परन्तु मैं चाहूँगा कि भविष्य में ऐसे मामलों पर अध्यक्ष से मिलकर पहले ही निर्णय ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की राय यही प्रतीत होती है कि इस विधेयक को पारित करने के पश्चात सभा स्थगित हो।

बिहार भूमि सुधार विधियां (खानों और खनिजों को विनियमित करना) मान्यीकरण विधेयक–जारी

BIHAR LAND REFORMS LAWS (REGULATING MINES AND MINERALS) VALIDATION BILL-Contd.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया। सदन में किसी विधेयक को लाने से पहले पूरी तरह विचार किया जाता है और पूर्ण सतर्कता बर्ती जाती है। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रविष्टि 34 के अंतर्गत यह मामला केन्द्र के अधीन है। प्रविष्टि 23 के अधीन राज्य, उन मामलों पर जो राज्य सूची के अन्तर्गत है, विधान बना सकेंगे। इस प्रकार यह भ्रम उत्पन्न हुआ।

उच्चतम न्यायालय ने इस विषय में निर्णय दिया कि प्रविष्टि 54 के अधीन विधि बनाने की शक्ति केन्द्र द्वारा लिये जाने के पश्चात सभी विधेयक केन्द्र द्वारा पारित किये जाने चाहिए। उच्चतम न्यायालय न्यायपीठ का सर्वोच्च आसन है। इसीलिए यह विधेयक यहां रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, और बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1964, के कतिपय उपबन्धों और उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और किये गये कार्य को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 और अनुसूची, खण्ड 1 और अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का अंग बने ।"

खण्ड 2, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, the schedule, clause 1 the enacting formula and the Title were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

इसके पश्चात लोकसभा सोमवार, 15 दिसम्बर, 1969/24 अग्रहायण, 1891 शक के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 15th December 1969/24 Agrahayana, 1891 (Saka).

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर-3

P.L.S.48.XXXIV. 20.69 (N)
340

© 1969 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–३ द्वारा मुद्रित ।

© 1970 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, DIAMOND PRINTING PRESS, JAIPUR-3.